खण्ड-324, अंक-4
गुरूवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1899
(31 मार्च, 1977 ई0)

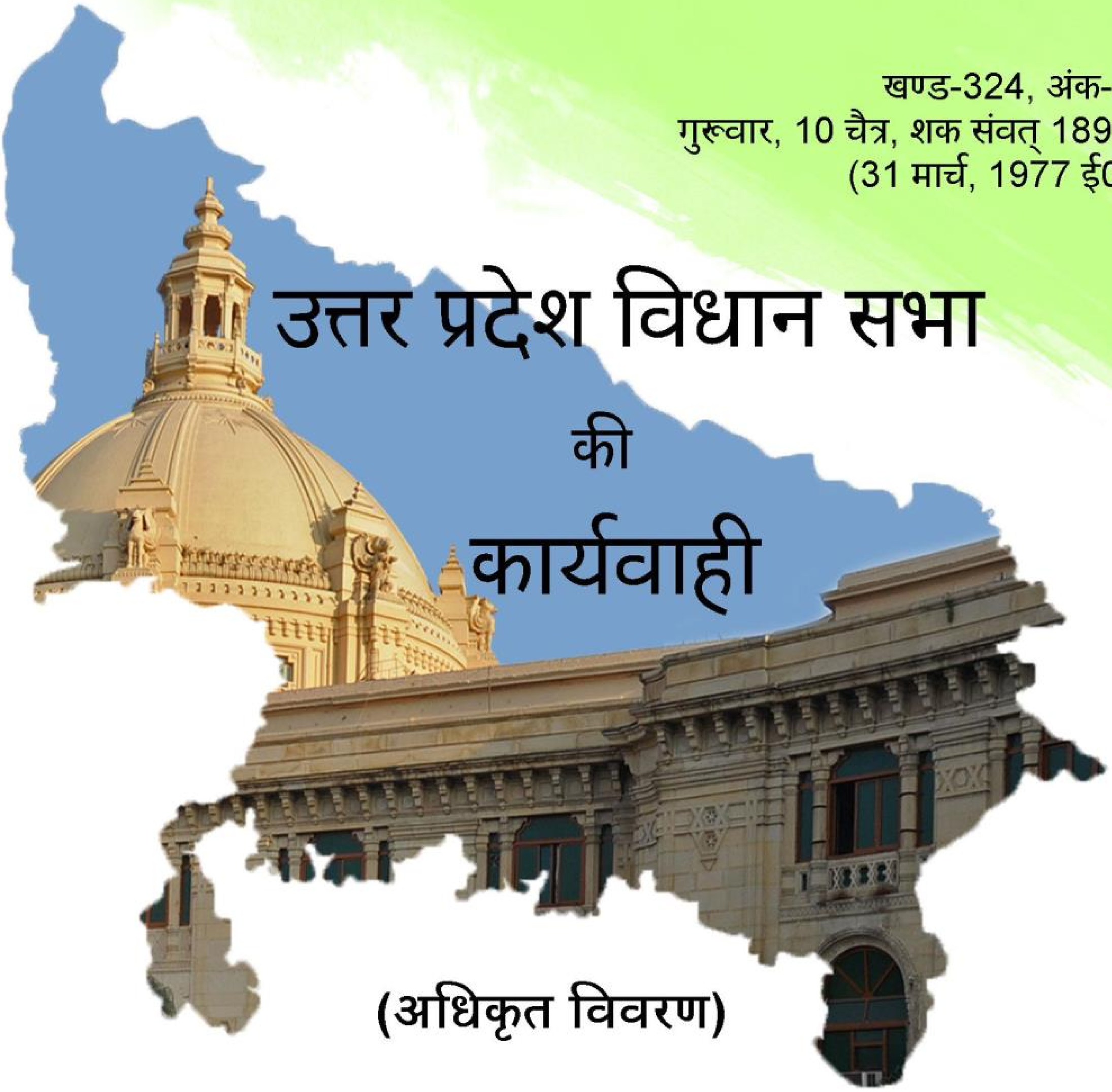

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 324 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1977

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

उपस्थित सदस्य 207–211

प्रश्नोत्तर 212–244

तारांकित प्रश्न 7 के सम्बन्ध में कलेक्टर तथा एस0 एस0 पी0, कानपुर के स्थानान्तरण की मांग 244–245

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 245

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा) 245

चौधरी चरण सिंह, सदस्य, विधान सभा के निरूद्धि के आदेश का बिखण्डन .. 246

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा का सदन की सदस्यता से त्यागपत्र के सम्बन्ध में सूचना 246

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने की घटना 246

जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभा वरी प्रसिद्धपुर में हरिजनों की भूमि की फसलों को उजाड़ कर उन्हें प्रताड़ित करने एवं गांव से निकाल देने के सम्बन्ध में वक्तव्य 246–248

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 248–254

दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा किये जाने की मांग .. 254–255

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .. 255–292

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चा फेंकने की घटना के सम्बन्ध म सूचना .. 292–293

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रतास्व (स्वीकृत) .. 293–310

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें 310

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना .. 310–311

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधानसभा द्वारा सदन की सदस्यता से त्यागपत्र के सम्बन्ध में सूचना 311

सदन के अनिश्चित काल क लिये स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत) 311–312

नत्थियां 313–315

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 1977

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई

उपस्थित सदस्य—404

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी ,श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट)
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव,श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का0 मु0 मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री

गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी ,श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ,श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धीरेन्द्र सहाय, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नत्थू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)

निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यार लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाबूलाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बाल कृष्ण सदवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद, खां
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती

यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु, श्री एडवोकेट
राम रती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाण्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण पाण्डेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री

वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नव्वन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरप्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

नोट—स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल, ग्राम्य विकास राज्य मन्त्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी तथा श्रम राज्य मन्त्री श्री रमेन्द्र वर्मा भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

गुरुवार, 31 मार्च, 1977

तारांकित प्रश्न

वाराणसी मास्टर प्लान के लिये ली जाने वाली कृषि भूमि

*1—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगरपालिका की सीमा से पांच किलोमीटर चारों तरफ के सैकड़ों गांवों को मिलाकर एक वृहद् मास्टर प्लान बनाया गया है और उसमें कृषि भूमि को दर्ज नहीं किया गया बल्कि सारी कृषि भूमि को आवासीय जमीन दिखाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

स्वायत्त शासन राज्य मन्त्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

वाराणसी विनियमित क्षेत्र का मास्टर प्लान उस क्षेत्र के वर्ष 1991 तक के भावी विकास के लिए बनाया गया है। इसमें नगर महापालिका, कन्टोन्मेंट, हिन्दू विश्वविद्यालय तथा 136 ग्राम सम्मिलित हैं। विनियमित क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 21602 हेक्टर्स है। भावी विकास के लिए मास्टर प्लान में 67.1 प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न भू-प्रयोग के अन्तर्गत शहरीकरण के लिए, 28 प्रतिशत कृषि के लिए तथा शेष 4.9 प्रतिशत अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

*2—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि उक्त मास्टर प्लान वाले क्षेत्र में भी अरबन सीलिंग ऐक्ट के मुताबिक किसानों को नोटिसें दी गयी हैं कि 14 अगस्त, 76 तक सभी लोग अपनी जमीनों का रिटर्न ए0डी0एम0, सीलिंग, अरबन एरिया, वाराणसी के यहां जमा करें नहीं तो बड़े पैमाने पर जुर्माना किया जायेगा? यदि हां, तो क्यों?

श्रीमती इन्द्र मोहिनी—

जी हां। नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976, जोकि एक केन्द्रीय ऐक्ट है, की धारा 38 के दंडात्मक प्राविधान से आगाह करते हुए नोटिस दिया गया था कि 14 अगस्त, 1976 तक रिटर्न दाखिल नहीं करने पर दो वर्ष का कारावास अथवा पांच हजार रुपए तक का अर्थदंड अथवा दोनों ही दण्ड दिया जा सकता है। भारत सरकार ने बाद में यह अवधि 15 सितम्बर, 1976 तक बढ़ा दी। इसके बाद भी तीन माह, अर्थात् 15 दिसम्बर, 1976 तक विवरण सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से दाखिल किए जा सकते थे। शासन ने यह भी आदेश दिए थे कि कृषकों द्वारा विवरण-पत्र भरवाने में लेखपालों तथा अन्य कर्मचारियों से सहायता दिलाई जाय। फिर भी कुछ ऐसे भी मामले हो सकते थे जिनमें सम्पत्ति का मालिक कतिपय ऐसे कारणों से जो उनकी सामर्थ्य से परे हों, विवरण फाइल नहीं कर पाए हों। सक्षम प्राधिकारी को परामर्श दिया गया था कि ऐसे मामलों में कृषकों के विरुद्ध कार्यवाही कर दंडित करना उचित नहीं होगा और विवरण बिना किसी दण्डात्मक प्रक्रिया के अपनाए स्वीकार कर लेने का पूर्ण औचित्य है तथा दण्डात्मक प्रक्रिया केवल उन्हीं मामलों में अपनाई जाय, जिनमें सक्षम प्राधिकारी सन्तुष्ट हो कि विवरण जान-बूझ कर फाइल नहीं किया गया।

श्री ऊदल—

माननीय मन्त्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 138 ग्रामों को इस योजना के अन्दर सम्मिलित किया गया है और मास्टर प्लान में 67.1 प्रतिशत क्षेत्र विभिन्न भू-प्रयोग के अन्तर्गत शहरीकरण के लिए लिया गया है, जबकि 67.1 प्रतिशत जो भूमि है, गांवों की, उसमें आज भी कृषि होती है। मास्टर प्लान बनाने वाले जो अधिकारी हैं, उन्होंन मौके

की जांच नहीं की जिसकी वजह से मास्टर प्लान में, कृषि-भूमि को नहीं दर्शाया गया है। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही बात है और इसकी पुनः जांच कराई जायगी ?

श्रम मन्त्री (डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी)—

मास्टर प्लान में जो आवासीय स्थान होता है और जो कृषि योग्य भूमि होती है, जिनको छोड़ना चाहिए, वे सभी दिखाई जाती है। वाराणसी का जो मास्टर प्लान बना, उसमें यह दिखाया गया है। इस समय जिन जगहों पर खेती हो रही है, भविष्य में जब कभी इस मास्टर प्लान के हिसाब से वाराणसी नगर का विस्तार होगा, उस समय कोई आवासीय योजना, अगर बनाई जाती है तो उस मास्टर प्लान के अन्तर्गत बनाई जा सकती है लेकिन अभी वहां पर कृषि हो रही है और कृषि होती रहेगी। उस वक्त तक सरकार की तरफ से मास्टर प्लान बन जाने के बाद भी, यह नहीं है कि वह सारी ही जमीन के ऊपर से कृषि हटा दी जाय। मास्टर प्लान तो केवल एक नक्शा बना दिया जाता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, उसके लिए। जैसे कोई प्लाट बनाना चाहता है, या कोई कोआपरेटिव बनाना चाहता है, तो उसमें देखना होता है कि इसका यूज क्या है। अगर मास्टर प्लान में लैण्ड यूज में आवास दिखाया गया है, तो उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब कृषि और मास्टर प्लान में, जैसा जवाब में दिया है, यहां पर 28 प्रतिशत कृषि के लिए और 4–8 प्रतिशत अन्य उद्योगों के लिए सुरक्षित रखा गया है, यह मास्टर प्लान में दिखाया गया है ।

श्री ऊदल—

प्रश्न यह है कि जो मास्टर प्लान बनाया गया, तो कितने प्रतिशत भू-उद्योग पर मास्टर प्लान बनाने वालों ने कृषि क्षेत्र अंकित किया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

इसमें लिखा है कि नगरपालिका का जो क्षेत्र है, कन्टोनमेंट है, विश्वविद्यालय, इसके अतिरिक्त 136 ग्राम शामिल हैं ।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी, मेरे आशय को नहीं समझीं। मेरा चार्ज यह है कि मास्टर प्लान बनाने वालों ने जो स्वतः कृषि क्षेत्र है, उसको मास्टर प्लान में नहीं दर्शाया। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मास्टर प्लान बना है, उसमें कितने प्रतिशत क्षेत्र पर मास्टर प्लान बनाने वालों ने कृषि क्षेत्र दर्शाया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

67.1 प्रतिशत क्षेत्र शहरीकरण के लिए है आगे चलकर और 28 प्रतिशत कृषि के लिए तथा शेष 4.8 प्रतिशत अन्य उद्योगों के लिए सुरक्षित किया गया है ।

श्री ऊदल—

मेरे प्रश्न को आप समझा दें। मेरा चार्ज यह है कि अगर यह बात सही है जैसा कि आप फरमा रही हैं, तो मास्टर प्लान बनाने वालों ने, जिस क्षेत्र में किसान खेती करते हैं, उसको कृषि क्षेत्र दर्शाना चाहिए था, बगीचा और आबादी दर्शानी चाहिए थी। यह तो आप भविष्य की बात कर रही हैं कि शहरीकरण होगा। लेकिन मेरा चार्ज यह है कि 87 फीसदी जमीन के ऊपर जो कृषि होती है, हमारे माननीय प्रभुनारायण सिंह इसको जानते हैं, आंखों से देखते हैं, तो क्यों उन्होंने उसको सही तौर से नहीं दर्शाया ? क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करेंगी जिन्होंने गलत नक्शा बना दिया है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

नक्शा गलत नहीं बनाया गया। मास्टर प्लान, जैसा आप देख रहे हैं वह सन् 91 तक के लिए बनाया गया है। माननीय सदस्य जो बात अपनी जगह पर कह रहे हैं, वह

सही है, इस वक्त तो खेती हो रही है, बाग-बगीचे हैं, सब कुछ है, लेकिन भविष्य में उन्हीं एरियाज में इसी मास्टर प्लान में 67.1 परसेंट विभिन्न भू-उद्योगों के लिए अंकित किया गया है, तात्पर्य यह है कि यह हिस्सा आवासी क्षेत्र हो सकते हैं, मास्टर प्लान में उनको घोषित किया गया है और बाकी नक्शे में किसी को कृषि क्षेत्र दिखाया ही नहीं गया है, यह नहीं है। मास्टर प्लान के हिसाब से 28 प्रतिशत जमीन को तो कृषि क्षेत्र दिखाया गया है। आपके हिसाब से 87 प्रतिशत में खेती हो रही है। बाकी हिस्से को आवासीय हिस्से से लेकर केवल 28 प्रतिशत को कृषि क्षेत्र में दिखाया गया है ग्रीन बेल्ट की तरह से। मैंने स्वयं मास्टर प्लान का नक्शा देखा है और माननीय सदस्य को भी दिखा सकती हूं और आपके सामने भी प्रस्तुत कर सकती हूं, उसमें ग्रीन बेल्ट दिखाई गई ह लेकिन उसका प्रोपोर्शन 28 प्रतिशत है और बाकी जो है, उसमें अभी तो जरूर खेती ह परन्तु भविष्य के लिए 67.1 प्रतिशत पर आवासीय हिस्सा बन सकता है जब कभी डेवलपमेंट हो। तो यह तो भविष्य की चीज है।

श्री ऊदल—

इसी मास्टर प्लान की वजह से उन किसानों को जो 138 ग्रामों के थे, अरबन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिसेज भेज दी गयीं और उनसे रिटर्न दाखिल कराये गए। जब यह बात भविष्य की थी, तो उनको क्यों अरबन सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत नोटिस दी गयी और उनसे रिटर्न दाखिल कराए गये ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, अरबन सीलिंग ऐक्ट की धारा 10 के अनुसार जहां-जहां वह ऐक्ट लागू हुआ है, 12 नगरों में वहां एक तो एग्जिस्टिंग बाउण्ड्री नगरों की है, जैसा कि अभी वाराणसी नगर की है, उसके बाद मास्टर प्लान की बाउण्ड्री आती है। उसके साथ ही साथ अरबन सीलिंग में भी जो हिस्से आते हैं, वह फ्यूचर की बाउण्ड्री रहती है। परन्तु चूंकि सरकार का कोई यह उद्देश्य नहीं है कि किसानों की कोई भी जमीन छुई जाय, ऐक्ट यह कहता है कि हर एक को रिटर्न दाखिल करना चाहिए। हम लोगों ने उसको सरल बनाने के लिए केवल इतना कहा कि किसान अगर सादे कागज पर भी लिखकर दे देंगे, तो बाद में उसकी एप्लीकेशन वगैरह में और जो खाने भरने हैं, उसमें मदद कर दी जायगी और उसको भरा कर रख लिया जायगा। इसी ऐक्ट के अन्दर यह भी है कि मास्टर प्लान के अन्दर जो कृषि के योग्य जमीन है, उसको तो छूट दे दी जायगी लेकिन रिटर्न भरना जरूरी है, ऐक्ट की धारा के हिसाब से। जो उसके अन्दर नहीं आते हैं, उनको रिटर्न भरना जरूरी नहीं होता है। यह कोई परेशान करने के लिए नहीं है। किसान की यह चीज हमेशा सुरक्षित है और मैं फिर दोहरा देती हूं कि कोई किसान की जमीन सरकार अभी न लेने जा रही है और न उसको किसी प्रकार से अरबन एरिया के अन्दर लेने की बात है। अभी तो मास्टर प्लान काफी बड़ा है, अभी उसके अतिरिक्त और जमीन बढ़ाने की बात नहीं है। लेकिन ऐक्ट में चूंकि प्राविजन है इसलिए किसानों से रिटर्न दाखिल करने के लिए कहा गया।

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत जिन कृषकों की भूमि आई है, उनकी जमीन फालतू घोषित की जा रही है और घोषित की गयी है ? यदि हां, तो अपनी पहली घोषणा को कि जिसमें कृषि हो रही है, उस भूमि को हम नहीं लेंगे, ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मन्त्री जी निश्चित आदेश अधिकारियों को देंगी कि वे उसको फालतू घोषित न करें और वह जमीन नहीं ली जायगी ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

तुरन्त तो कोई ऐसी जमीन लेने की बात सरकार की तरफ से है ही नहीं। यह तो केवल एक नक्शा बना कर रखा हुआ है। किसान अपनी खेती करते रहेंगे। स्वयं किसान या कोई कालोनाइजर या कोई कोआपरेटिव सोसायटी बना कर अगर लोग चाहें कि उसमें

आवास बनायेंगे तो सरकार से परमीशन मांगें कि हमें यह बेचने की इजाजत दीजिए। और तब उसमें कालोनी बना सकते हैं। तो मास्टर प्लान में यह दिखाया गया है कि यह आवास के लिए जमीन है। सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं होगी, अगर किसानों की तरफ से या कोआपरेटिव बेसिस पर कोई उसके लिए मांग करेगा। सरकार अपनी तरफ से कृषि की भूमि को खत्म करने नहीं जा रही है।

श्री हरीश कुमार गंगवार--

बरेली में ही तमाम कृषि वाली जमीन भी ली जा रही है। मेरा प्रश्न यह है कि आपने 6–8 माह पूर्व जो घोषणा की थी कि किसानों की कृषि योग्य भूमि नहीं ली जायगी, क्या उस घोषणा पर सरकार आज भी कायम है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

जिस जमीन पर कृषि हो रही है सरकार उसको लेने नहीं जा रही है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)--

जिस तरह से देहरादून में आम और अमरूद के बागों को अरबन सीलिंग ऐक्ट से परे रखा गया है, क्या उक्त क्षेत्र में भी आम और अमरूद के पेड़ों को इससे मुक्त रखा जायगा ?

श्री अध्यक्ष--

यह इससे कहां उठता है ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

छूट देने का अधिकार हर क्षेत्र में अलग-अलग है। वहां की जमीन को देखकर ही छूट दी जाती है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

देहरादून में दूसरी नीति रहेगी और वाराणसी में दूसरी रहेगी क्या ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री जंग बहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

मास्टर प्लान के अन्तर्गत जितनी जमीन ली गयी है उससे कितनी आमदनी होती है ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न नहीं उठता है इससे।

श्री ऊदल--

जिन गांवों को मास्टर प्लान में ले लिया गया है वहां चकबन्दी बन्द कर दी गई है ? क्या उन गांवों में भी चकबन्दी करायेंगे ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी--

इसकी जानकारी करा लेंगे।

एक सदस्य--

(व्यवधान) जिन जमीनों के पट्टे हो गए हैं उनकी जमीन भी काट ली गयी है।

(उत्तर नहीं दिया गया।)

*3—श्री ऊदल--

[10वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*4—श्री ऊदल--

[10 वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

रवीन्द्र गार्डेन आवास योजना, लखनऊ से संबंधित एग्रीमेन्ट की शर्तें

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि रवीन्द्र गार्डन आवास योजना, लखनऊ से सम्बन्धित एग्रीमेंट में मुख्य-मुख्य शर्तें क्या थीं और उनमें से किन-किन का पालन इस कालोनाइजर ने नहीं किया है तथा नगरपालिका, लखनऊ ने उस एग्रीमेंट के अनुसार कालोनाइजर से विकास-व्यय जमा करने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की थी ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मुख्य नगर अधिकारी, लखनऊ नगर महापालिका तथा कालोनाइजर (मोहन को0 प्रा0 लि0) के बीच दिनांक 25–2–70 को हुए एग्रीमेंट की शर्तें संलग्नक में अंकित हैं। चूंकि शर्तों के अनुपालन से सम्बन्धित मामला न्यायालयों के विचाराधीन चल रहा है अतएव इस विषय में कोई और सूचना देना उचित न होगा।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 313 पर)

स्वास्थ्य अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बढ़नी (बस्ती) के विरुद्ध बलात्कार सबंधी शिकायत

*6—श्री प्रभुदयाल (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14–12–76 को अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उत्तर प्रदेश को किसी विधायक का पत्र इस आशय का मिला है कि स्वास्थ्य अधिकारी प्रा0स्वा0 केन्द्र, बढ़नी (बस्ती) ने किसी अपने अधीनस्थ महिला कर्मचारी के साथ बलात्कार करने का प्रयत्न किया और उक्त अधिकारी ने कई अन्य अधीन कर्मचारियों का वेतन बिना किसी कारण रोक रखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री प्रभु नारायण)—

जी हां। उक्त शिकायती-पत्र पर जांच हेतु आदेश दिए गये हैं। जांच आख्या प्रतीक्षित है।

कानपुर में परिवार नियोजन विभाग द्वारा कथित दंगल का आयोजन

*7—श्री निर्भय नारायण सिंह (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला कानपुर की विभिन्न तहसीलों में दिनांक 2, 8 और 15 नवम्बर, 1976 को परिवार नियोजन के निमित्त धन जुटाने के लिए दंगल एवं शारीरिक प्रदर्शन के आयोजन किए गये थे ? यदि हां, तो इस आयोजन के लिए किसने निर्देश दिए थे तथा वित्तीय कन्ट्रोल के लिए किस सरकारी अधिकारी को निगरानी या कन्ट्रोल करने का काय दिया गया था ?

श्री प्रभुनारायण—

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन विभाग द्वारा किसी दंगल एवं शारीरिक प्रदर्शन के आयोजन नहीं किये गय।

श्री निभय नारायण सिंह—

क्या यह सही है कि कानपुर के जिलाधिकारी और एस0पी0 के लिखित आदेश से ही उक्त दंगल का आयोजन किया गया ?

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है ऐसा कोई आयोजन नहीं था, लेकिन जो सूचना उपलब्ध है.....

(व्यवधान—इस समय दर्शक दीर्घा से कांग्रेस पक्ष की ओर सदन में कुछ पर्चे गिराए गये।)

श्री निर्भय नारायण सिंह—

ऊपर से पर्चा फेंक दिया गया, कुछ सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठें। कोई गोली बारूद नहीं आ रहा है। आप लोग शान्ति से रहें।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, बीच में डिस्टर्ब हो गया। माननीय मन्त्री जी से उसका जवाब दिलवा दीजिए।

श्री प्रभुनारायण—

मान्यवर, इस विभाग द्वारा परिवार नियोजन के निमित्त धन जुटाने के लिए कोई दंगल एवं शारीरिक प्रदर्शन के आयोजन नहीं किय गये। इस तरह के आयोजन के लिए कहीं से कोई निर्देश इस विभाग को नहीं प्राप्त हुए। अतः किसी विभागीय अधिकारी को वित्तीय कन्ट्रोल और निगरानी का कार्य दिए जाने का सवाल पैदा नहीं होता।

जिलाधिकारी (देहात) से सम्पर्क स्थापित करने पर यह जानकारी मिली है कि दिनांक 8–10–76 को श्री प्रवेश चन्द्र द्विवेदी ने 1 व 8 और 15 नवम्बर को तहसील डेरापुर, अकबरपुर तथा घाटमपुर में फ्री स्टाइल कुश्ती की अनुमति के लिए आवेदन दिया था। कुश्ती की अनुमति जिलाधिकारी, कानपुर (देहात) द्वारा दिनांक 18–10–76 को दी गयी थी। टिकटों की बिक्री आवेदक द्वारा की गयी थी। श्री प्रवेश चन्द्र द्विवेदी ने आधुनिक भीम की कुश्ती काला तूफान के साथ करने का प्रचार किया था। काला तूफान व्यक्ति नकली पाया गया था। इस पर राम औतार सिंह आधुनिक भीम तथा उनके सहयोगियों को घाटमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था। श्री द्विवेदी ने प्रदर्शन से प्राप्त धन को परिवार नियोजन सहायतार्थ देने का भी उल्लेख प्रार्थना-पत्र में किया था। इस सम्बन्ध में आयोजकों से हिसाब-किताब जिलाधिकारी द्वारा मांगा गया है, जो कि अभी तक पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं है। घाटमपुर में गिरफ्तारी के समय श्री द्विवेदी तथा टिकट विक्रेता भाग गए थे। इस सम्बन्ध में जांच जारी है।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, जब दरख्वास्त में स्पष्ट था कि परिवार नियोजन में खर्च किया जायगा तो इण्टरटेनमेंट टैक्स इत्यादि के लिए जिलाधिकारी ने क्या व्यवस्था की ?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, चूंकि इसी सम्बन्ध में जिलाधिकारी की नजर थी, उसी कार्यवाही में राम औतार सिंह आधुनिक भीम तथा उनके सहयोगियों को घाटमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, आदेश में स्पष्ट उल्लेख था कि इसका पैसा परिवार नियोजन में जमा होगा और हमेशा की तरह इण्टरटनमेंट टैक्स की वसूली के लिए या माफी के लिए या जमा करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए थी। उनके आदेश से यह हुआ तो जिलाधिकारी ने किस एस० डी० ओ० को इस कार्य के लिए नियुक्त किया था ?

श्री प्रभु नारायण—

इस सम्बन्ध में कार्यवाही हो रही है। जो भी दोषी होंगे वह दंडित किए जायेंगे।

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

माननीय मन्त्री जी को जब यह जानकारी हो गयी कि जिलाधिकारी ने अपने आदेश से ही इस काम को करवाया और संजय गांधी का नाम लेकर सारा पैसा वसूल किया, जिसमें लोगों की लूट हुई, तो यह जानकारी होने के बाद उन लोगों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करने में क्या कठिनाई हुई ?

श्री प्रभु नारायण ---

इस सम्बन्ध में यह कहना है कि जिलाधिकारी को क्या मालूम। जिन्होंने अप्लीकेशन दी, इजाजत ली, उस पर पूरी नजर जिलाधिकारी ने रखी और जैसे ही उनको मालूम हुआ इसमें गड़बड़ी हुई, तुरन्त गिरफ्तारी हुई। कुछ लोग भगे हुए हैं, उन पर नजर है।

श्री मधुकर दिघे—

क्या आपके आदेश थे कलेक्टर को कि ऐसी कार्यवाही करें ?

श्री प्रभुनारायण—

सरकार के कोई आदेश नहीं थे। छान-बीन की जा रही है।

श्री मधुकर दिघे—

कलेक्टर ने यह काम गैर कानूनी किया।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (उपाध्यक्ष) (जिला कानपुर)—

मैं इसी प्रश्न के सिलसिले में बतला देना चाहता हूं।

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

क्या उपाध्यक्ष महोदय, बैठे-बैठे कोई सवाल कर सकते हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि एस0 पी0 और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से वहां पर यह प्रचार हुआ . .

श्री प्रभु नारायण —

इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है उपाध्यक्ष महोदय से कि वह कोई प्रश्न करना चाहें तो कर लें। जहां तक वक्तव्य देने की बात है, इस पर कोई वक्तव्य तो नहीं होना चाहिए, प्रश्न कर लें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

वस्तु स्थिति यह है कि उस घटना के सन्दर्भ में कानपुर जिले में तीन जगहों पर धोखा धड़ी करने वाली जो एक बड़ी कम्पनी है उसका एक बड़ा गैंग है। उसने बम्बई के फिल्मी कलाकारों के नाम से विभिन्न प्रकार से झूठा प्रचार करना शुरू किया कि संजय गांधी के आदेश से हमारा परिवार नियोजन का प्रचार कार्य चल रहा है और इस तरह के आयोजनों से जो आमदनी हो, उसे परिवार नियोजन कोष में जमा करो, वरना मीसा में बन्द कर दिये जाओगे। उस गैंग को एस0 पी0 और कलक्टर की स्वीकृति थी और उसकी तरफ से अकबरपुर, डेरापुर और फिर घाटमपुर में इस तरह का आयोजन कर जाल बट्टा किया गया। उस आयोजन में आधुनिक भीम द्वारा दारासिंह को भी चैलेंज की बात कही गयी और इस तरह से भ्रामक प्रचार कर वहां की जनता को गुमराह किया गया। अकबरपुर, डेरापुर और घाटमपुर में पचासों-पचास हजार जनता इकट्ठा थी और इस जालसाजी की जानकारी होने पर, वहां की उपस्थित जनता मे काफी रोष पैदा हो गया था। फिर स्वयं मैंने ही पकड़ा कर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी दो दिन तक पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। मेरे विशेष आग्रह पर दो दिन के बाद पुलिस ने उसका चालान किया और वह भी दफा 420 में क्योंकि उसमें कलेक्टर और एस0 पी0 इनवाल्व

थे। दो दिन के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया, जिससे जनता में व्यापक रोष है। यह बहुत बड़ा गैंग है, जो विभिन्न प्रकार के तरीके अपना कर जनता को लूट रहा था। इसमें कलेक्टर और एस0पी0 की पूरी साजिश थी। मैं पूछता हूं कि जब इस तरह से जनता की खुलेआम लूट की गयी और वह भी एस0पी0 और कलेक्टर के सहयोग तथा जानकारी में, तो उनके खिलाफ सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यह बहुत बड़ी लूट व धोखा है, जिसमें शासन की भी मुहर लग गयी। तमाम जनता इस तरह से लूटी जाय और शासन व अधिकारी इस पर मौन रहें, यह बात समझ में नहीं आती। उस कलेक्टर और एस0 पी0 के खिलाफ कोई कार्यवाही अब तक क्यों नहीं की गयी ?

श्री प्रभु नारायण—

जो असलियत है, उसको उपाध्यक्ष महोदय जानते हैं और हम भी जानते हैं। जैसे ही शासन को इसकी जानकारी मिली, शासन ने उस पर जांच की कार्यवाही शुरू कर दी। मौके पर जाकर वहां लोगों को अरेस्ट किया गया। प्रकाश द्विवेदी जो इस समय फरार हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है और जो भी दोषी पाया जायेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

सबसे बड़े दोषी तो कलेक्टर और एस0 पी0 हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? इस तरह की लूट खसोट करने पर जब मैंने स्वयं शासन को दरख्वास्त दी, तो मैं भी कलेक्टर और एस0पी0 का कोपभाजन बन गया। आखिर एस0पी0 और कलेक्टर के खिलाफ इस मामले में क्या किया जा रहा है ?

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न करने पर कोपभाजन बनाने की बात की, मैं भी उनको नजदीक से जानता हूं,

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

माननीय मंत्री जी एस0 पी0 और कलेक्टर से भयभीत हैं क्या ? (व्यवधान) पहले वे अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या ये वहां के एस0पी0 और कलेक्टर से भयभीत हैं ? जब माननीय मंत्री ही उनसे भयभीत होंगे तो औरों की बात ही क्या है ?

(व्यवधान)

श्री जंगबहादुर वर्मा—

एस0 पी0 और कलेक्टर को पहले सस्पेंड कीजिये और उनके खिलाफ कार्यवाही कराइये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

इस बात को देखते हुए उनके खिलाफ जांच क्यों नहीं करा रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न किया गया था, उसका उत्तर देने के लिये माननीय मंत्री जी तैयार थे। तो उत्तर देने की उनको इजाजत है ?

श्री प्रभु नारायण—

इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही हो सकती है, वह कार्यवाही की जायेगी और इस प्रकार का आश्वासन मैंने पहले ही दे दिया था।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, यह कोई मामूली मसला नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी को इस मामले में कोपभाजन बनाया जा रहा है।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर यह असाधारण बात है, माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी ने जो अभी कहा, आप इस प्रश्न को हल्का नहीं करना चाहते हैं। तो मंत्री जी सुनना क्यों नहीं चाहते हैं, मंत्री जी को सुनिये तो।

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, जहां तक किसी चैरिटेबिल इन्स्टीट्यूशन को परमीशन देने की बात है, कलेक्टर उनको परमीशन दे सकता है। माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 ने मिलकर लूटने के लिये ऐसा किया, यह साबित अगर हो जाता है तो एस0 एस0 पी0 और कलेक्टर के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

(शोर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, यह एक गंभीर मसला है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष जी इस सदन की गरिमा हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बिना इजाजत के खड़े होकर बोलने लगे। मैंने माननीय नेगी जी को बुलाया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, बहुत गंभीर प्रश्न है। माननीय कुशवाहा जो इस सदन के उपाध्यक्ष हैं, उनका एक स्टेटमेंट इस सदन के सामने है कि वह एस0 एस0 पी0 और कलेक्टर के कोपभाजन बन रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बारे में आपको तत्काल कार्यवाही करने में कौन सी दिक्कत है?

श्री प्रभु नारायण—

मैं इस मामले के डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। जो कार्यवाही किसी केस के सिलसिले में माननीय विधान सभा के सदस्य के घर के लोगों के साथ हुई है, वह अलग प्रश्न है। जुडीशियल मैटर है। उस मैटर में, मैं नहीं जाना चाहता हूं। जहां तक प्रश्न का सम्बन्ध है कोई घपला अगर साबित हो जाता है, तो उनके खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष जी ने यह आरोप किया है कि वह जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के कोपभाजन हुये हैं। इस संबंध म कार्यवाही होगी और दोषी अधिकारियों को सजा दी जायगी वह एक अलग प्रश्न है। लकिन तत्काल, इस कार्यवाही क दौरान क्या स्वास्थ्य मंत्री जी इस बात का आश्वासन नहीं दे सकते कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को तत्काल निलंबित किया जायगा, क्योंकि निलंबित करना कोई सजा नहीं होती है?

श्री प्रभु नारायण—

मान्यवर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, जो बात माननीय सदस्य ने इस संबंध में कही, वह माननीय सदस्य जानते हैं और मुझे भी जानकारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 इस मामले में दोषी हैं। सारी स्थिति की जानकारी है, उनके दुख के साथ हम लोग भी हैं। लेकिन उसी के साथ-साथ प्रश्न इस बात का है कि कोई जुडीशियल मामला हुआ, मर्डर का केस है। मर्डर के केस के मामले में तफतीस हो रही है। जब तक तफतीश खत्म न हो, तब तक सरकार कोई चीज करने में, अपनी जगह बाध्य है। इस मामले में घपले की बात माननीय उपाध्यक्ष जी ने कही, तो बिजिलेंस को दे करके पूरी जांच करायी जायगी। और अगर दोषी होंगे तो कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 के खिलाफ अवश्य-अवश्य कार्यवाही की जायगी।

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो एक जांच चल रही है, वह पहले आप बतायें कि किस स्तर पर जांच चल रही है? डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 इन्वाल्व हैं, तो कौन सा अधिकारी जांच कर रहा है? जो घपला उन्होंने किया है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट अवश्य मिली होगी?

श्री प्रभु नारायण—

जहां तक इस संबंध में पूरी जानकारी की बात है, चूंकि स्वास्थ्य विभाग का संबंध इस मामले में नहीं था, जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को देखकर मैंने सारी स्थिति रखी है। रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों ने आज बैठकर निश्चय किया है कि इस मामले को विजीलेंस को दे दिया जाय। आज ही यह निश्चय किया है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि यह घटना दुखद है और वह अपने को उनके दुख में शरीक मानते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वह किस आदमी से जांच करा रहे हैं तथा कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 को मुअत्तल करने में क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है?

श्री प्रभु नारायण—

श्रीमन्, विजीलेन्स में देने की बात तो कही है। जहां तक मर्डर केस में इन्वाल्वमेन्ट की बात है, तो यदि आपके या मेरे परिवार का आदमी फंसे तो सहानुभूति तो रहेगी ही। जांच समाप्त होने के बाद ही निर्णय कोई दिया जा सकेगा।

श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह मामला मेरे विभाग से संबंधित नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन का कैम्प लगा और कलेक्टर तथा एस0 एस0 पी0 द्वारा धन एकत्रित किया गया तो यह स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बात है कि नहीं? कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 के खिलाफ जांच होने का आश्वासन मंत्री जी दे रहे हैं, तो किस एजेन्सी से जांच हो रही है, वह मंत्री जी बता दें?

श्री प्रभु नारायण—

श्रीमन्, जांच विजीलेन्स से करा रहे हैं।

श्री निर्भय नारायण सिंह—

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न वित्तीय नियमों से संबंधित था कि पैसा परिवार नियोजन के लिये कमिटेड था और वह न करके उसका दुरुपयोग किया गया है। बीच में माननीय उपाध्यक्ष ने कुछ ऐसी बातें कहीं जो इससे संबंधित हैं। इसलिये क्या मंत्री जी उपाध्यक्ष जी द्वारा लगाये गये आरोपों के संबंध में कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 के संबंध में जांच करायेंगे?

श्री प्रभु नारायण—

श्रीमन्, उपाध्यक्ष जी द्वारा जो चार्ज लगाये गये हैं, उसमें विजीलेन्स से जांच करायेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, कलेक्टर जिम्मेदार अधिकारी हैं, इसलिये जब तक वह वहां से नहीं हटाये जायेंगे, तब तक पूरी इन्क्वाइरी नहीं हो सकती है ।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि विजीलेन्स से जांच करायेंगे. . . . . .

(व्यवधान)

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, माननीय उपाध्यक्ष के सामने यह घटना घटी है, इसलिये जो उन्होंने बताया उसमें और मंत्री जी ने जो बात कही उसमें फर्क है । माननीय उपाध्यक्ष की बात आंखों देखी है, इसलिये उनकी बात को सही माना जाना चाहिये और इसके सम्बन्ध में भूतपूर्व अध्यक्ष, श्री खेर साहब की रूलिंग भी है । माननीय उपाध्यक्ष ने घटना को देखा है, तो उनकी बात को सही मानना चाहिये और सी0 आई0 डी0 से जांच कराने की कोई आवश्यकता नही होनी चाहिये । इसलिये मंत्री जी को माननीय उपाध्यक्ष के अनुसार स्पष्ट आदेश उन दोनों अधिकारियों के खिलाफ प्रसारित करने चाहिये, जिससे सत्ताधारी दल की और उनकी महिमा बढ़ेगी । (मेजों की थपथपाहट ।)

श्री प्रभु नारायण—

श्रीमन्, जहां तक जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है, वह मान्य है । लेकिन प्रश्न यह है कि उस मौके पर जो गिरफ्तारी हुई या जो माननीय उपाध्यक्ष ने देखा, उसमें कितनी दूर तक कलेक्टर और एस0 एस0 पी0 दोषी हैं, उसमें माननीय उपाध्यक्ष जी नहीं कह पायेंगे । इसलिये उसमें पूरी जांच की आवश्यकता है और जितनी हद तक वह दोषी होंगे, उतनी उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मेरा कहना है कि जब तक डी0एम0 और एस0 एस0 पी0 हैं, तबतक इमानदारी से जांच नहीं हो सकती है और वह आंखों में धूल झोंकते रहेंगे । इसलिये मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

अभी इस प्रश्न के संबंध में जो तथ्य आये हैं, उसमें कोई असंगति नही है । कोई मानने या न मानने का प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य या उपाध्यक्ष जो कह रहे ह, उसका या जो मंत्री जी कह रहे हैं, उसमें ऐसा भेद नहीं है कि कोई व्यवस्था देने की आवश्यकता पड़े ।

श्री राम सुन्दर पांडेय—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मंत्री जी सत्य या असत्य को न मानकर जांच विजीलेन्स से करा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह मेरा सिर दर्द नहीं है कि सरकार क्या कार्यवाही करे । आपने व्यवस्था का सवाल उठाया तो अभी कोई हमारे सम्मुख व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अभी तो दोनों तरफ सवाल जवाब चल रहे हैं ।

श्री शारदा भक्त सिंह---

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि इसकी जांच विजीलेन्स द्वारा करा रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो और कोई इस जांच में असर न डाल सके, क्या कलेक्टर और एस0 पी0 का तुरन्त स्थानान्तरण करने की मंत्री जी कृपा करेंगे ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, इस संबंध में विचार कर के हम. . . . . .

(शोर)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक---

यह सरासर बेईमानी है। उनको तुरन्त हटाया जाय। लगता है, मंत्री जी भी इस षड़यन्त्र में इनवाल्व हैं। यह सदन का अपमान है, माननीय उपाध्यक्ष का अपमान है, आपका अपमान है।

श्री प्रभु नारायण---

जब तक मुख्य मंत्री जी से बात नहीं करेंगे, कैसे कोई कार्यवाही हो सकती है।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा---

यह जो घटना है, यह नवम्बर महीने की है और आज मार्च का महीना है। मैंने तुरन्त लिख कर दिया था किन्तु इस तरह के षड़यंत्र के बारे में, अब तक कुछ नहीं हुआ है और हुआ मात्र यह है (शेम-शेम) कि अभी गृह सचिव से मेरे पास इत्तला आई है, चुपचाप कि एस0पी0 और कलेक्टर ने गवर्नमेन्ट को लिखा है कि वहां पर शिवनाथ सिंह के राजनैतिक वैमनस्यता के कारण किसी भी समय इनकी हत्या हो सकती है। इस प्रकार की सूचना मुझे देते हैं, जब कि मेरा कार्यालय मेरे कार्यक्रम की नित्य प्रति इस प्रकार की सूचना देता रहता है। इस प्रकार गृह सचिव को गुप्त रूप से सूचना देना डी0 एम0 व एस0पी0 द्वारा अपने को बचाने की रूप रेखा तैयार करना है।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)---

यह बड़े शर्म की बात है कि जो हालात हमारे उपाध्यक्ष जी ने बताये, वह मंत्री जी के नोटिस में है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, इसलिये उन्हें इस्तीफा देना चाहिये, नहीं तो कलेक्टर और एस0पी0 को फौरन सस्पेन्ड किया जाय, यह मेरी गुजारिश है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि मेहरबानी करके इस मामले की गंभीरता को समझें। माननीय उपाध्यक्ष जी का स्टेटमेंट अपनी जगह पर है, आपका स्टेटमेंट अपनी जगह पर है। नवम्बर में यह घटना हो चुकी है और तमाम चीजें इस में इनवाल्व हैं। इसमें निष्पक्ष जांच हो सके इसके लिये, यदि दोनों अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दें, तो इस में क्या कठिनाई है ?

श्री प्रभु नारायण---

मान्यवर, इसमें माननीय उपाध्यक्ष से बात करके और माननीय मुख्य मंत्री जी से बात कर के जो स्थिति है. . . . . (शोर)

श्री हरीश कुमार गंगवार---

मान्यवर, मैं यह कहना चहता हूं कि यह सदन की गरिमा और गौरव का प्रश्न बन गया है। उपाध्यक्ष महोदय ने एक बात कही है और यहां यह परम्परा रही है कि हमारे कोई सदस्य हैं, उनकी बात का आदर किया जाता है, उसको माना जाता है। ये तो उपाध्यक्ष हैं और सदन की गौरव और गरिमा के प्रतीक हैं। ऐसी सूरत में इस मामले में निष्पक्ष जांच हो, अधिकारियों को सस्पेन्ड किया जाय, स्थानान्तरण किया जाय। यदि इसमें

मंत्री जी को आपत्ति है, तो यह सदन के गौरव और गरिमा का अपमान है। इस बात को समझना चाहिये। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गये हैं और सुन रहे हैं। क्या मंत्री जी मुख्य मंत्री जी से कनसल्ट कर के, इस समय कोई निर्णय देंगे, अधिकारियों के स्थानान्तरण के बारे में, उनको मुअत्तल करने के बारे में ?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मुझे खेद है कि मैं एक कार्यवश अन्यत्र था। यह जो प्रकरण अभी यहां हुआ, उसकी मुझे पूरी-पूरी शब्दश: तो जानकारी नहीं है, लेकिन माननीय उप नेता, सदन ने जो मुझे बताया, उससे जो मुझे ज्ञात हुआ और माननीय सदस्य, बरेली ने जो प्रश्न पूछा, तो मैं यह आश्वासन सदन को और माननीय उपाध्यक्ष जी को दे सकता हूं कि मैं स्वयं उनसे परामर्श करूंगा और इस प्रकरण को स्वयं देख करके ऐसी कार्यवाही करूंगा, जिससे कि उपाध्यक्ष जी को संतोष हो सके। (मेजों के थपथपाने की आवाजें)

अनेक सदस्य—

यह सदन का प्रश्न है, माननीय उपाध्यक्ष जी का प्रश्न नहीं है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह विषय अत्यंत गम्भीर है। माननीय मुख्य मंत्री ने जो आश्वासन दिया और घोषणा की है परन्तु बार-बार माननीय सदस्यों की मांग के बाद भी, यह स्पष्ट आश्वासन नहीं हो पाया है कि जो कानपुर के जिलाधिकारी हैं और वहां के वरिष्ठ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं, उनका निलम्बन किया जायगा अथवा नहीं और इससे विरोध पक्ष के सदस्यों को कोई संतोष नहीं है और इसलिये 12.00 बजे तक सम्पूर्ण विरोध पक्ष, इस सदन से बहिर्गमन करता है। (भारतीय कम्युनिस्ट दल के अतिरिक्त विरोध पक्ष के सभी सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आखिर इसमें कौन सी बात है कि दोनों पक्षों की भावनाओं को देखते हुये भी इसमें जांच न हो तथा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस का वहां से तबादला न किया जाय ? हम उनको सजा देने की बात नहीं करते हैं, केवल ट्रांसफर करने की बात करते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ट्रांसफर करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने तो कहा कि उपाध्यक्ष जी को जिससे संतोष हो वह कार्यवाही की जायगी। ट्रांसफर तो हो ही सकता है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा ट्रांसफर हो सकता है, तो क्या वह सदन में एलान करेंगे कि उनके ट्रांसफर का आदेश आज ही कर दिया जायगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, यदि इससे उपाध्यक्ष जी को संतोष हो जायगा।

सुल्तानपुर जिले के कतिपय ग्रामों में राजकीय चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*8—कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 जून, 1976 को फैजाबाद मंडल आयुक्त के सभा कक्ष में हुई मंत्रि मंडलीय बैठक में निर्वाचन क्षेत्र "चांदा" सुल्तानपुर के ग्राम गारापुर, कन्हईपुर, बछूपुर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय खोले जाने के बारे में आवेदन पत्र दिया गया था उस सम्बन्ध में शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, की, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आवास विकास परिषद् के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान किये जाने की मांग

*9—श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या शासन को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश में आवास विकास परिषद् के कार्यालय में सेवारत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी नहीं माना गया और न ही उनकी भविष्य निधि की कटौती की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विभाग के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी मान कर राजकीय कर्मचारियों की सभी सुविधायें उन्हें प्रदान करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक और उनकी सेवा नियमावली कब तक तैयार हो जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आवास विकास परिषद् के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी परिषद् के ही कर्मचारी हैं क्योंकि यह एक स्वायत्तशासी संस्था है ।

परिषद् के कर्मचारियों के लिये भविष्य निर्वाह निधि (सी० पी० फंड) की योजना लागू है और प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में अभिदान की कटौती होती है ।

सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है कि वह परिषद् के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी मानकर उन्हें सभी सुविधा प्रदान करे । अतएव शासन द्वारा उनकी सेवा विनियमावली बनाने पर कोई प्रश्न नहीं उठता ।

मेसर्स यूनाइटेड टाकीज, गोरखपुर के श्रमिकों का बोनस

*10—श्री मधुकर दिघे (अनुपस्थित)—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 23 अगस्त, 1976 जिसमें मेसर्स यूनाइटेड टाकीज, गोरखपुर के श्रमिकों को वर्ष 1964–65 से बोनस न दिये जाने का विवरण अंकित था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां ।

जांच से ज्ञात हुआ था कि इस प्रतिष्ठान पर पेमेन्ट आफ बोनस ऐक्ट, 1965 के प्राविधान लागू नहीं होते हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिकाओं के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव का स्थगन आदेश

*11—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि रेडियोग्राम नं० 2085–11–A.C./46–76, दिनांक 1–12–76 स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जिला अधिकारियों, नगरपालिकाओं के उपाध्यक्ष व अध्यक्षों के चुनाव फिलहाल स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, शासकीय रेडियोग्राम दिनांक 1 दिसम्बर, 1976 के माध्यम से, अन्य बातों के अलावा, प्रश्नगत आशय के अन्तरिम आदेश दिये गये थे ।

विधान मंडल से नवम्बर, 1976 में पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम संख्या 1, 1976 के नये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में विधिक स्थिति के परीक्षणाधीन होने के कारण प्रश्नगत अन्तरिम आदेश दिये गये थे ।

लखनऊ प्राधिकरण के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट नगर, कैटिल कालोनी एवं टिम्बर नगर निर्माण योजना

*12—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ-कानपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने, आरा मशीनें व निजी डेरियां शहर से बाहर रखने की कोई वृहद् योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन योजनाओं के लिये कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी ? कितनी अनुमानित धनराशि इस पर खर्च होगी ? यह योजना कब तक पूरी होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लखनऊ-कानपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाने, तथा कुर्सी रोड पर कैटिल कालोनी बसाने एवं उत्तर प्रदेश आवास व विकास परिषद् की तालकटोरा योजना में टिम्बर नगर एवं आरा मशीनें स्थापित करने की योजना विचाराधीन है ।

ट्रांसपोर्ट नगर के लिये लगभग 100 एकड़ तथा कैटिल कोलोनी के लिये 1300 एकड़ एवं टिम्बर नगर के लिये लगभग 100 एकड़ भूमि अध्याप्त की जा रही है । इन योजनाओं के विस्तृत अनुमान तैयार नहीं हैं । योजना 1978 के अन्त तक पूर्ण करना प्रस्तावित है ।

नोटीफाइड एरिया, भिनगा, बहराइच द्वारा लगाये गये गृह कर

*13—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि नोटीफाइड एरिया भिनगा, जनपद बहराइच को मई, 1976 में सुपरसीड करके समिति को भंग कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि नोटीफाइड एरिया, भिनगा के सुपरसीड हो जाने पर गृह-कर मकानों के रेन्टल वैल्यू पर न लगाकर बल्कि मकानों की कीमतों पर लगाया गया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां ।

नोटीफाइड एरिया कमेटी का अवक्रमण आर्थिक अनियमितताओं के करने, शासकीय ऋणों की अदायगी न करने, सड़क अनुदान का उचित उपयोग न करने, आय में बढ़ोत्तरी के लिये कार्यवाही न करने व आडिट आपत्तियों का निराकरण न करने के कारण किया गया ।

जी नहीं । उक्त नोटीफाइड एरिया में गृह-कर मकानों की रेन्टल वैल्यू पर ही लगता है ।

अलीगंज आवास योजना, लखनऊ के भवनों की मासिक किश्त एवं विवरण पुस्तिका

*14—श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगंज आवास योजना के प्रथम चरण में अधिकतम रु0 30.50 प्रति माह पाने वाले व्यक्तियों के लिये निर्मित एक कमरे के भवनों की किश्त रु0 156.00 या अधिक प्रतिमाह उनसे ली जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं, अधिकतर भवनों की छमाही किश्तें 865 रु0 से लेकर 911 रु0 की दर से वसूल की जा रही हैं जिसके अनुसार मासिक किश्त 156 रु0 से कम आती है। केवल किनारे के मकानों में जिनमें भूमि का क्षेत्रफल बहुत अधिक है उसमें छमाही किश्त 1012 रु0 आती है जो 169 रु0 के लगभग प्रतिमाह होती है।

*15—श्री भीखा लाल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1973 में केन्द्रीय आवास राज्य मंत्री के आगमन पर नगरमहापालिका, लखनऊ द्वारा अलीगंज आवास योजना के सम्बन्ध में कोई पुस्तिका प्रकाशित की गयी थी? यदि हां, तो उसमें प्रथम चरण में निर्माणाधीन एक कमरे के भवनों के सम्बन्ध में क्या विवरण दिया गया था?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, पुस्तिका में एक कमरे के भवनों के सम्बन्ध में विवरण निम्न है :—

"योजना के प्रथम चरण में प्रस्तावित सभी 176 एक कमरे के भवनों का निर्माण आरम्भ हो चुका है। लगभग 60 भवन छत के बराबर तक पहुंच चुके हैं उनमें जल, विद्युत, सैनेटरी आदि की व्यवस्था की जा रही है। यह सभी भवन एक मंजिले और भविष्य में नीचे के भाग में एक कमरा और बढ़ाया जा सकेगा तथा जीना बनाकर ऊपर दो कमरे, रसोईघर, शौचालय एवं स्नान गृह निर्मित किया जा सकेगा। इस प्रकार भविष्य में ये भवन एक कमरे से बढ़कर 4 कमरे, दो रसोई घर, दो शौचालय एवं दो स्नान गृह के भवनों में बदले जा सकेंगे। इस भवन की कुर्सी का क्षेत्रफल 336 वर्गफुट है। इसका निर्माण व्यय लगभग 10,500 रु0 है।

इन भवनों में भूमि का क्षेत्रफल 684 वर्गफुट है। भूमि एवं भवन निर्माण का कुल मूल्य मिलाकर लगभग 12,800 रु0 होगा। ये 60 भवन नवम्बर मास के अन्त तक और शेष 116 भवन आगामी मार्च, 74 के अंत तक सम्बन्धित प्रार्थियों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है?

इलाहाबाद नगर महापालिका में लिपिक एवं निरीक्षकों की संख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति का प्रतिशत

*16—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि 1 अक्तूबर, 1973 से 31 नवम्बर, 1975 के मध्य में इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा कितने लिपिकों तथा कितने कर निरीक्षकों की नियुक्तियां की गयीं तथा दोनों की अलग अलग संख्या क्या है? नियुक्त किये गये लोगों में अनुसूचित जाति के लोगों का दोनों प्रकार के पदों पर अलग-अलग प्रतिशत क्या है और क्या यह प्रतिशत सरकारी आदेशों के प्रतिकूल है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

1 अक्तूबर, 1973 से 30 नवम्बर, 1975 की अवधि में नगर महापालिका, इलाहाबाद द्वारा लिपिक के 13 पदों और निरीक्षक के 6 पदों पर नियुक्तियां की गईं। लिपिकों के 13 पदों में से अनुसूचित जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं नियुक्त किया गया। इसका कारण योग्य अभ्यर्थियों का उपलब्ध न होना था। निरीक्षक के 6 पदों में से 2 अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की नियुक्ति करके भरी गई जो लगभग 33 प्रतिशत है। यह प्रतिशत सरकारी आदेशों के अनुकूल नहीं है। शासन द्वारा कोटा पूरा करने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश भेजे जा रहे हैं।

इलाहाबाद नगर महापालिका के गन्दे पानी से कतिपय ग्रामों की सिंचाई

*17—श्री सत्य प्रकाश मालवीय (अनपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में ग्राम देवरख सौनिया मीट के सिंचाई हेतु किसानों को इलाहाबाद नगर महापालिका द्वारा नवम्बर, 74 से फरवरी, 75 के बीच एक भी बूंद पानी नहीं दिया गया और सम्पूर्ण खेत सूख गये? जबकि किसानों ने लगभग पांच हजार रुपया महापालिका को दे भी दिया था ? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन दोषी है और उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगर महापालिका, इलाहाबाद के गऊघाट स्थित ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशन में:—

नवम्बर, 74 में	565 घंटे
दिसम्बर, 74 में	615 घंटे
जनवरी, 75 में	599 घंटे
फरवरी, 75 में	474 घंटे

अर्थात कुल 2253 घंटे गन्दा पानी सलेजफार्म की नहरों में पम्प किया गया देवरस ग्राम तथा अरैल ग्राम, सौनिया मीट जिसका एक भाग है, के काश्तकारों ने भी इस पानी से अपने खेतों की सिंचाई की। उक्त अवधि में गंदे पानी से सिंचाई की कुल वसूली 1,816 रुपये हुई।

प्रदेश के कतिपय आयुर्वेदिक एवं यूनानी मेडिकल कालेजों को डिग्री कोर्स चलाने की मान्यता

*18—श्री बाबू लाल वर्मा (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के भारतीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, खेता सराय (जौनपुर), आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, हस्तिनापुर यूनानी मेडिकल कालेज, आजमगढ़ तथा कानपुर के डिग्री कोर्स चलाने की मान्यता शासन द्वारा छिन जाने के कारण प्रदेश के 500 यूनानी तथा आयुर्वेदिक स्नातकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है तथा उनके अभिभावक काफी परेशान हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ? इन कालेजों को भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध करने में क्या कठिनाई है ? क्या इस सम्बन्ध में छात्रों एवं उनके अभिभावकों की ओर से शासन को कोई प्रार्थना-पत्र व स्मरण-पत्र वर्ष 1975 व 76 में प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) यू0 पी0 इन्डियन मेडिसिन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 1975 द्वारा पूर्व प्रचलित अधिनियम के प्राविधानों में आवश्यक संशोधन कर दिये जाने के कारण इन चारों कालेजों को अब भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता है। किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी कालेज को अब सम्बद्धता प्रदान करने का एक मात्र अधिकार विश्वविद्यालय को है।

(4) जी हां, इन कालेजों के छात्रों के प्रार्थना-पत्र एवं अनुस्मारक शासन को प्राप्त हुये थे और छात्रों ने यह मांग की थी कि उनकी परीक्षायें कानपुर विश्वविद्यालय से कराई जांय और इन कालेजों को भी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया जाय अथवा उन्हें कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अन्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में स्थानान्तरित किया जाय।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में परिवार नियोजन संबंधी अनुसंधान कार्य

*19—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के अन्तर्गत परिवार नियोजन हेतु अनुसंधान कार्य प्रारम्भ कर रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं।

राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ में भारत सरकार द्वारा स्थापित यूनिट में प्रस्तावित अनुसंधान का कार्य किया जा रहा है। अतः अलग से अनुसंधान शाला स्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

आयुर्वेदिक औषधि निगम की स्थापना

*20—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का अनुग्रह करेंगे कि सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों को उपलब्ध कराने हेतु आयुर्वेदिक औषधि निगम की स्थापना करने जा रही है? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है?

श्री प्रभु नारायण—

मामला शासन के विचाराधीन है। अन्तिम निर्णय होने पर प्रश्नगत निगम की रूप-रेखा स्पष्ट हो सकेगी।

श्री महमूद बट्ट, मुख्य सचिव द्वारा बंदरिया बाग, लखनऊ में भूमि की खरीद

*21—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि नगर लखनऊ के मो0 बंदरिया बाग स्थित बेगम एजाज रसूल की कोठी से संलग्न भूमि जो अरबन सीलिंग ऐक्ट में आ रही थी, को अधिनियम की अवहेलना करके तत्कालीन मुख्य सचिव ने जुलाई, 76 में खरीद लिया है और नगर महापालिका में अपने नाम दाखिल खारिज करा ली है? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में तथा कैसे?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

लखनऊ नगर में, माल एवेन्यू में बेगम ऐजाज रसूल की एक कोठी एवं उससे संलग्न भूमि श्री महमूद बट्ट, तत्कालीन मुख्य सचिव ने 1 मई, 1976 को रु0 70,000 मूल्य देकर खरीदी। भूमि एवं भवन बेचने से पूर्व बेगम ऐजाज रसूल ने जिलाधिकारी, लखनऊ, जो कि वर्तमान सक्षम प्राधिकारी, नगरभूमि सीमारोपण, लखनऊ नगर संतुलन की नियुक्ति से पूर्व, संक्षम प्राधिकारी का कार्य देखते थे, से अनुज्ञा प्राप्त कर ली थी।

2—ऊपर उल्लिखित अनुमति के आधार पर किए गए बयनामें के आधार पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने दाखिल-खारिज का प्रार्थना-पत्र नगर महापालिका विकास प्राधिकरण, लखनऊ को दिया तथा भूमि के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण में दिनांक 19 जून, 1976 को तथा कोठी के सम्बन्ध में दिनांक 24 मई, 1976 को नगर महापालिका में श्री बट्ट के पक्ष में दाखिल खारिज हुआ।

तकिया करीम बेग, वजीरगंज, लखनऊ के कब्रिस्तान पर अनधिकृत निर्माण

*22—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

विधान सभा में 1-4-1975 को श्री बलवान सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 43 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 26,500 वर्ग फीट क्षेत्रफल के खसरा नं0 111 तकिया करीम बेग, वार्ड व थाना वजीरगंज, लखनऊ पर जो मकान बने हैं,

क्या उनके नक्शे नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा स्वीकृत हैं ? यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में नगर महपालिका, लखनऊ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

तकिया करीम बेग पर बने हुए मकानों के नक्शे महापालिका द्वारा स्वीकृत नहीं हैं। इसके लिये 5 मकान मालिकों को नियमानुसार नोटिस दे दिये गये हैं, शेष भवनों के सम्बन्ध में आवश्यक छान-बीन की जा रही है ।

सहायता एवं पुनर्वास विभाग के कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

*23—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)—

क्या सहायता एवं पुनर्वास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के सहायता एवं पुनर्वास कार्यालय के कर्मचारी जो 5 से लेकर 28 वर्ष तक की सेवा अस्थाई रूप से कर चुके हैं, उनकी लम्बी अस्थायी सेवा अवधि देखते हुए क्या सरकार अन्य राजकीय कर्मचारियों की भांति उन्हे ग्रेच्युटी तथा पेंशन इत्यादि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो 5 साल से 30 साल तक सेवा करने के बाद भी अस्थायी हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह पूरा विभाग ही अस्थायी है लिहाजा उसके कर्मचारियों को स्थायी करने का सवाल ही नहीं होता । इसके अलावा यह विभाग कम होता जा रहा है क्योंकि काम बहुत कम रह गया है । इनकी संख्या इस समय 120 के लगभग है। इनमें से 5 साल के ऊपर के कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं। भारत सरकार को हमने लिखा है कि इनको स्थायी किया जाय लेकिन भारत सरकार ने अपना अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं दिया है । उस पर हम लिखा पढ़ी कर रहे हैं ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय मंत्री ने बतलाया कि लगभग 120 कर्मचारी पुनर्वास विभाग में ऐसे हैं जो 5 साल से 30 साल तक की सेवा के हैं और जो अस्थायी हैं। माननीय मंत्री को याद होगा जब वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष थीं, तो उन्होंने 19-9-72, 12 अगस्त, 72, 16-7-72, 18-5-75 को जोरदार शब्दों में मांग की थी कि इन कर्मचारियों को स्थायी किया जाय, तो आज जब राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहती है, तो उनको, इन 120 कर्मचारियों को किसी दूसरे विभाग में स्थायी करने में क्या कठिनाई है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह पूरा का पूरा विभाग भारत सरकार के द्वारा फायनेन्स होता है । इसलिये उनको स्थायी करने, पेंशन देने तथा ग्रेच्युटी देने की बातें भारत सरकार की अनुमति से ही की जा सकती हैं। इस प्रदेश की सरकार इस राय की है कि उनको स्थायी कर देना चाहिये और हम भारत सरकार से लिखा पढ़ी जारी रखे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि इन कर्मचारियों का भविष्य अनिश्चित है और जब वे इतने अर्से तक काम कर चुके हैं तो उनका भविष्य सुनिश्चित होना चाहिये ।

श्री देव कुमार यादव—

इस विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो इसी प्रकार अस्थायी रहते हुए अवकाश ग्रहण कर चुके हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह पूरा विभाग ही अस्थायी है। यह क्रम वहां चलता रहा और अब वहां थोड़े से लोग रह गये हैं। बहुत से लोग अस्थायी रहते हुए रिटायर हो गये। कुछ लोग दूसरी जगह लगाये भी गये, पुनर्वास विभाग से हटा कर जैसे रामगंगा परियोजना में या अन्यत्र। इस तरह अब बहुत थोड़े से लोग इस विभाग में रह गये हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि यह सारा विभाग भारत सरकार की वित्तीय सहायता से चल रहा है और इस समय इसमें 120 कर्मचारियों का भविष्य अन्धकारमय है। उनको न पेंशन मिलेगी और न ग्रेच्युटी मिल पायेगी और न उनको किसी दूसरी जगह स्थान मिल सकेगा। तो क्या प्रदेश की सरकार भारत सरकार से ऐसे मानवीय सवाल पर शीघ्र निर्णय कराने का आश्वासन देगी ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तो मैंने यह कहा कि इसके लिये भारत सरकार से लिखा-पढ़ी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात से सहमत है कि उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिये।

अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लि० के भूतपूर्व रिसीवर श्री के० एस० कोहली के विरुद्ध आरोप-पत्र

*24—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत् मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 72 से 30 नवम्बर, 1975 तक राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा अधिग्रहीत अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के रिसीवर (श्री के० एस० कोहली) के विरुद्ध वहां से सम्बन्धित गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोप प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो इन आरोपों में क्या जांच की गई और क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां। श्री के० एस० कोहली, रिसीवर, भूतपूर्व अलीगढ़ इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी लिमिटेड के विरुद्ध शिकायतें कम्पनी के भूतपूर्व चेयरमैन, शेयर होल्डर्स तथा एक सेवा विमुक्त कर्मचारी के पास से प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों में मूल रूप से अन्डरटेकिंग के दिन प्रति दिन के कार्य में हुई गम्भीर कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। इन सभी शिकायतों के विषय में जांच की जा रही है।

बांदा जिले के श्रृंगार पैलेस सिनेमा के कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति

*25—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के श्रृंगार पैलेस सिनेमा, करवी को 1975 में बन्द कर दिया गया और उसके कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त सिनेमाघर के पुराने मालिकान ने पुनः नए नाम से सिनेमाघर को चालू किया है लेकिन उक्त कर्मचारियों को नौकरी पर पुनः नहीं लिया ? यदि हां, तो क्या फारूक अहमद आदि कर्मचारिगण ने श्रम मंत्री के पास 16-10-75 और 7-4-76 को तथा मुख्य मंत्री के पास 26 मार्च, 76 व 19 नवम्बर, 76 को प्रार्थना-पत्र भेजे हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही है कि बांदा जिले के श्रृंगार पैलेस सिनेमा, करवी को 1975 में बन्द कर दिया गया था तथा कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया था। उक्त सिनेमा को नये सेवा योजकों द्वारा 'ऐलाइड सिनेमा' के नाम से 10-8-76 से चालू कर दिया है लेकिन यह

ज्ञात नहीं है कि पुराने ही सेवायोजकों ने नये नाम से इस सिनेमा को चलाया है। प्राप्त सूचना के अनुसार पुराने कर्मचारियों को अभी तक कार्य पर वापस नहीं लिया गया है। श्री फारूक अहमद तथा अन्य कर्मचारियों के प्रश्न में उल्लिखित पत्रों में से सिर्फ 26 मार्च, 1976 का पत्र ही श्रम विभाग को प्राप्त हुआ है। इनके कुछ पत्र अन्य तिथियों में अवश्य प्राप्त हुए हैं। श्रमायुक्त से प्राप्त सूचना के अनुसार यह मामला काफी समय तक विभिन्न न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन रहा। जिसके कारण अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकी।

श्री राम सजीवन—

यह जो पत्र शासन को कर्मचारियों का प्राप्त हुआ है, उसमें क्या-क्या मुख्य आरोप लगाये गये हैं? मेरी जानकारी है कि कर्मचारियों ने सिनेमा मालिकों पर आरोप लगाया है कि वे उसे नम्बर दो का टिकट बिचवाते थे और कर्मचारी नहीं बिचवाना चाहते थे। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और कर्मचारियों को निकाला गया और सिनेमा बन्द किया गया। यदि पत्र में इस बात का उल्लेख है, तो शासन ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सब मामला कोर्ट में चलता रहा और सेवायोजकों ने स्टे ले लिया था। अब यह स्टे 3 फरवरी, 1977 को वैकेट हुआ है और उनके 8 कर्मचारी अब काम कर रहे हैं, दो कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। जो पुराने लोग थे, उनमें से दो को नहीं लिया गया है, 8 को लेकर काम चला रहे हैं।

श्री राम सजीवन—

जिन कर्मचारियों को लिया गया है क्या उनको उनका पहले का पूरा वेतन दिया गया है और अब आगे नियमित तरीके से दिया जा रहा है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इसकी जानकारी तो मुझ नहीं है, माननीय सदस्य लिख कर दे दें, श्रम विभाग फिर से इसकी जानकारी कराकर कार्यवाही करा लेगा।

प्रथम श्रेणी नगरपालिकाओं के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारियों की अधिशासी अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति एवं स्थायीकरण

*26—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1972 में प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं में अतिरिक्त अधिशासी अधिकारियों की तदर्थ/अस्थाई नियुक्तियां की गई थीं और बाद में उनके स्थानान्तरण प्रथम श्रेणी की नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी के रूप में कर दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। प्रथम श्रेणी की नगरपालिका के अतिरिक्त अधिशासी अधिकारियों के पदों को बनाये रखने की आवश्यकता नहीं समझी गयी। अतः उन्हें समाप्त करके पदधारकों को प्रथम श्रेणी की नगरपालिका में रिक्त अधिशासी अधिकारी के पदों पर स्थानान्तरित कर दिया गया क्योंकि दोनों पद समान वेतनमान में थे।

*27—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिन अधिशासी अधिकारियों की तदर्थ/अस्थाई रूप से 1972 में नियुक्ति की गई थी, क्या शासन उनको लोक सेवा आयोग की नियमित नियुक्ति के बिना आयुक्त एवं निदेशक के पत्र संख्या 2033/76-77 (परिपत्र)-76, लखनऊ, 22600, दिनांक 27 मार्च, 1976 के विपरीत स्थाई रूप से नियुक्त करने जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—
इन अधिकारियों द्वारा कुछ प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

नोटीफाइड एरिया भिनगा, बहराइच के चुनाव की मांग

*28—श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)—
क्या स्वायत्त शासन मंत्री को जानकारी है कि बहराइच जनपद की नोटीफाइड एरिया, भिनगा को मई, 1976 में अवक्रमित करके जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच को समस्त प्रयोजनों के लिये प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो अवक्रमित करने का क्या कारण है और अब कब तक नोटीफाइड एरिया, भिनगा का चुनाव करा दिया जायगा ?

डाक्टर राजन्द्र कुमारी बाजपयी—
नोटीफाइड एरिया कमेटी, भिनगा, जिला बहराइच का अवक्रमण आर्थिक अनियमितताओं के करने, शासकीय ऋणों की अदायगी न करने, सड़क अनुदान का उचित उपयोग न करने, आय में बढ़ोत्तरी के लिये कार्यवाही न करने तथा आडिट आपत्तियों क निराकरण न करन के आरोप के आधार पर किया गया। स्थानीय निकायों के सामान्य निर्वाचन के समय ही इस नोटीफाइड एरिया कमेटी में भी चुनाव कराना सम्भव होगा।

*29—श्री राम प्रकाश त्रिपाठी—
[माननीय सदस्य के त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

बिल्थरा रोड, जिला बलिया के बाजार की नीलामी एव सड़कों व नालियों की मरम्मत

*30—श्री राम सुन्दर पांडेय—
स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिल्थरा रोड, जिला बलिया के बाजार की नीलामी वर्तमान वर्ष में कितने रुपए में हुई है तथा गत तीन वर्ष में कितने-कितने रुपए में नीलामी हुई थी ? वर्तमान वर्ष में नीलामी की धनराशि कम होने का कारण क्या है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—
बिल्थरा रोड, जिला बलिया के बाजार की नीलामी वर्तमान वर्ष (1976–77) में 13,600 रुपये में हुई है। गत तीन वर्ष का विवरण निम्न प्रकार है —

वर्ष	नीलाम की धन-राशि
	रु0
1975–76	13,500.00
1974–75	17,100.00
1973–74	28,000.00

बिल्थरा रोड कस्बे के प्रमुख खाद्यान व्यवसाय में विगत दो वर्षों में तेजी से ह्रास हुआ है और दूसरे व्यवसायों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। अतः बाजार के नीलामी की बोली कम होना स्वाभाविक है।

*31—श्री राम सुन्दर पांडेय—
क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त टाउन एरिया की सीमा के अन्तर्गत सड़कों की दशा बहुत ही खराब है और नालियां भी ठीक से न बनाने क कारण

नोटः—तारांकित प्रश्न संख्या 31 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

गन्दगी विशेष है ? यदि हां, तो उक्त असुविधाओं को दूर करने के लिये कौन सी कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जिले मे प्राप्त सचना के अनुसार टाउन एरिया कमेटी, बिल्थरा रोड की सीमा के अन्दर ट्रैफिक अधिक होने के कारण सड़कें खराब हो गयीं हैं किन्तु प्रश्नगत टाउन एरिया ने सड़कों और नालियों के निर्माण तथा मरम्मत पर पर्याप्त ध्यान दिया है और पहले की अपक्षा सड़कों तथा नालियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है ।

ग्राम देवरिया, जिला गोरखपुर के हरिजनों का न्यनतम मजदूरी संबंधी शिकायती-पत्र

*32—श्री शारदा प्रसाद रावत—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम देवरिया, थाना खजनी, जनपद गोरखपुर के हरिजनों को न्यूनतम मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में कोई शिकायती-पत्र शासन को मार्च, 76 से मई, 1976 के मध्य प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दिलाने के सम्बन्ध में मई, 1976 में ग्राम दवरिया, पोस्ट मेहता, थाना खजनी, जिला देवरिया के हरिजनों का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था। शिकायत की जांच के फलस्वरूप दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन कार्यवाही की जा रही है ।

जालौन के ग्राम आल (कुठौन्द) के ग्राम प्रधान का नसबन्दी संबंधी शिकायती-पत्र

*33—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को माह अक्तूबर, नवम्बर, 76 में ग्राम प्रधान आल (कुठौन्द), जनपद जालौन की शिकायत इस आशय की मिली है कि उनके द्वारा प्रेरित उनकी पत्नी का नसबन्दी का फार्म बदल कर एक सहयोगी डाक्टर के नाम केस लिख लिया गया तब नसबन्दी की गयी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में कार्यवाही की है ?

श्री प्रभुनारायण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फर्रुखाबाद के संकटपुर-सुखसेनपुर विद्युत् लाइन से तारों की चोरी संबंधी रिपोर्ट

*34—डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, ब्लाक हसेरन, ग्राम सुखसेनपुर (बनगवां) से मान0 राज्य विद्युत् मंत्री को गम्भीर अनियमितताओं सम्बन्धी कोई शिकायती-पत्र दिनांक 8-6-76 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, एक शिकायत 11 के0 वी0 लाइन, संकटपुर से सुखसेनपर से चोरी गये तार के सम्बन्ध में प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्ध में जांच उप खंड अधिकारी, छिबरामऊ द्वारा की गई जिसमें यह पाया गया कि उक्त लाइन से समस्त तार फरवरी, 1974 में ही चोरी गया था, जिसकी रिपोर्ट 16-2-1974 को पुलिस स्टेशन, इन्दरगढ़ में की गई थी ।

पुलिस की जांच रिपोर्ट के अनुसार किसी अभियुक्त का पता नहीं चला और न चोरी गया सामान ही बरामद हुआ। पुलिस द्वारा दिनांक 2-7-1974 को फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई ।

फर्रुखाबाद के ग्राम मढ़पुरा में चिकित्सालय की स्थापना की मांग

*35—डाक्टर धर्मपाल सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फर्रुखाबाद, ब्लाक हसेरन, ग्राम मढ़पुरा में होमियोपैथिक या आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-3-1976 को स्वास्थ्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां।

प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया है और अगले वित्तीय वर्ष 1977-78 में यहां पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोल दिया जायेगा।

गोंडा जिले का रेहरा उप विद्युत् गृह

*36—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या विद्युत् मंत्री जी को पता है कि जनपद गोंडा में विकास खंड रेहरा में रेहरा बाजार विद्युत् सब स्टेशन का निर्माण लगभग 2 वर्ष पूर्व से हो चुका है, किन्तु अभी तक वह स्टेशन कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों तथा वह कब तक कार्य करने लगेगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

33/11 के0 वी0 रेहरा उप-विद्युत गृह, जो ब्लाक रेहरा, जनपद गोंडा में है, विद्युत् प्रेषण खंड, फैजाबाद द्वारा निर्मित कर के विद्युत वितरण खंड द्वितीय, गोंडा (वर्तमान विद्युत् वितरण खंड, बलरामपुर) को दिनांक 31 जुलाई, 1975 को हस्तान्तरित किया गया। आवश्यक परीक्षण के पश्चात् 4 फीडरों में 2 फीडरों, रेहरा एवं सादुल्लानगर को दिनांक 1 अगस्त, 1976 तथा 22 अगस्त, 1976 को क्रमशः चालू किया गया परन्तु एक सप्ताह क अन्दर ही इन फीडरों में लगे केबुल बाक्स नष्ट हो जाने के कारण इन फीडरों की सप्लाई बन्द हो गई। बाकी दो फीडरों को यह जानकार चालू नहीं किया गया कि इन पर लगे हुए केबुल बाक्स भी उसी कम्पनी के हैं और चालू करने पर नष्ट हो सकते हैं। यद्यपि उप-विद्युत् गृह चालू है फिर भी किसी भी फीडर को फरवरी, 1977 के अन्त तक चालू नहीं किया जा सका। आवश्यक साधनों का प्रबन्ध कर लिया गया है एवं सम्पूर्ण कार्य पूरा कर लिया गया है। विद्युत् उप-गृह का जैसे हो परीक्षण हो जायेगा उसे चालू कर दिया जायेगा।

महिला कर्मचारी परिवार नियोजन विभाग के लिये ड्रेस एलाउन्स की मांग

*37—श्री शिवचरन लाल (जिला आगरा)—

क्या शासन को जानकारी है कि परिवार नियोजन के नए कार्यक्रम के अनुसार जिला अस्पतालों में अब परिवार नियोजन की कुछ महिला कर्मचारियों की नियुक्तियां की गयी हैं जिन्हें उसी प्रकार पोशाक पहननी पड़ती है जैसी जिला अस्पताल में अन्य महिला कर्मचारियों के लिये निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या सरकार परिवार नियोजन के उक्त वर्ग के कर्मचारियों को चिकित्सा विभाग की महिला कर्मचारियों की भांति ड्रेस एलाउन्स देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री प्रभु नारायण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

चिकित्सा विभाग के फार्मेसिस्टों का वेतनमान

*38—श्री इन्द्र लाल (जिला नैनीताल)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के पांचवें मंगलवार के प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के क्रम में क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि फार्मेसिस्टों के वेतन उच्चीकरण प्रस्ताव पर शासन ने क्या निर्णय लिया है ? यदि अभी नहीं लिया, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

'वेतन असंगतियां निवारण समिति' द्वारा फार्मेसिस्टों के सामान्य वेतनमान के उच्चीकरण की संस्तुति नहीं की गई है। अतः इन्हें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान ही दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

मथुरा जिले की सादाबाद टाउन एरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*39—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सादाबाद टाउन एरिया में मथुरा के निवासियों ने दिनांक 8-3-75 को जिलाधिकारी, मथुरा को एक ज्ञापन टाउन एरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं अध्यक्ष द्वारा अपने पद का दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में दिया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

टाउन एरिया, सादाबाद के अध्यक्ष को आरोप-पत्र दे दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण का जिलाधिकारी, मथुरा द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

*40—श्री राम प्रकाश यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद मथुरा के टाउन एरिया, सादाबाद के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा टाउन एरिया में किये गये भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के बारे में वर्ष जनवरी, 1974 से जनवरी, 77 तक कितने शिकायती-पत्र प्राप्त हुये ? उनमें मुख्य शिकायतें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रश्नगत अवधि के अन्दर टाउन एरिया कमेटी, सादाबाद के अध्यक्ष के विरुद्ध जिलाधिकारी, मथुरा को 16 शिकायती-पत्र प्राप्त हुये। मुख्य शिकायतें भ्रष्टाचार, धन एवं पद के दुरुपयोग तथा वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में हैं। अध्यक्ष को आरोप पत्र दे दिया गया है और उनके स्पष्टीकरण का परीक्षण जिले स्तर पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

गोरखपुर के तेन्दुही ग्राम में बिजली की चोरी

*41—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के लक्ष्मीपुर के क्षेत्रीय विधायक के अनुरोध पर बिजली विभाग में हो रही बिजली की चोरी पकड़ने के लिये विजीलेंस के डिप्टी सुपरिंटेन्डेन्ट 12-11-76 को गोरखपुर जनपद के तेंदही ग्राम में गये थे और पांच महीने से चोरी से चल रहे एक कारखाने में एक आटा चक्की, धान कुट्टी तथा तेल मिल को चालू हालत में पकड़ा था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही अब तक हुई और कौन-कौन अधिकारी इसमें जिम्मेदार ठहराये गये हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, गोरखपुर के तेन्दुही ग्राम में परिषद् के उप पुलिस अधीक्षक (सतर्कता) दिनांक 12–11–76 को जांच करने गए और एक आटा चक्की, धान कुट्टी तथा तेल मिल को बिना औद्योगिक कनेक्शन स्वीकृत कराये चालू हालत में पकड़ा। प्रश्नगत मामले में दोषी पाए गए एस0 डी0 ओ0, जूनियर इंजीनियर, लाइन मैन, पैट्रोलमैन एवं संबंधित लिपिक के विरुद्ध परिषद् द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। बिना कनेक्शन स्वीकृत कराये औद्योगिक संस्थान चलाने हेतु उपभोक्ता से रु0 2481.50 की धनराशि वसूल की जा चुकी है।

बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ की रोगी, श्रीमती राम दुलारी देवी के हाथ जलने की घटना

*42—श्री राम पाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या यह सही है कि दिनांक 30–11–76 को बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ में किसी रोगी (श्रीमती राम दुलारी देवी) का हाथ व्यावसायिक चिकित्सक, श्री एस0 शर्मा द्वारा बिजली की मशीन लगाकर चले जाने से बुरी तरह जल गया था? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है और इस सम्बन्ध में शासन ने श्री शर्मा के खिलाफ क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

जांच पूर्ण न होने के कारण वांछित विवरण उपलब्ध नहीं है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के निलम्बित कर्मचारी

*43—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अब तक उन कर्मचारियों के सेवा नियम बना लिये हैं अथवा नहीं जो केन्द्रीयकृत सेवाओं के सदस्य नहीं हैं? यदि नहीं, तो अब तक जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है, उनके सम्बन्ध में वैभागिक जांच की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में इस समय ऐसे कितने कर्मचारी निलम्बित हैं जो केन्द्रीयकृत सेवा के सदस्य नहीं हैं और वे कितने-कितने समय से निलम्बित हैं? जिन कर्मचारियों के निलम्बन की अवधि 3 मास से अधिक हो गयी है, उनके सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय न लिये जाने का क्या कारण है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मोहल्ला हसनगंज, लखनऊ में कथित अत्यधिक गन्दगी

*44—श्री शिव शंकर सिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्षेत्र डालीगंज, मोहल्ला हसनगंज, हिमालिया होटल, लखनऊ के पीछे की गलियों में अत्यधिक गन्दगी के फलस्वरूप मलेरिया एवं कालरा फैलने का भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो इसकी सफाई हेतु सरकार तुरन्त कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इस समय कोई गन्दगी नहीं है, अतः मलेरिया एवं कालरा फैलने की कोई आशंका नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

*45—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[माननीय सदस्य के त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया ।

गाजियाबाद की पटेल नगर कालोनी के मकानों का मूल्य

*46—श्री रेवती शरण मौर्य (जिला मेरठ)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि सुधार मंडल, गाजियाबाद ने पटेल नगर कालोनी के सन् 1976 के अन्त में बेचे गये मकानों को उनकी लागत मूल्य में अल्प आय वर्ग के दो कमरों के मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य 58 रुपए प्रतिवर्ग फुट से जोड़ा व मध्यम श्रेणी के मार्बिल के फर्श वाले मकानों में आच्छादित क्षेत्र का मूल्य 47 रुपया प्रतिवर्ग फुट से जोड़ा ? क्या यह भी सत्य है कि इन दोनों ही आय वर्ग के मकानों में प्राथमिक नियम व शर्तों का उल्लंघन करके बिजली की फिटिंग भी नहीं की गयी ? यदि हां, तो यह विरोधाभास क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्राइमरी पाठशाला, केवाल, मिर्जापुर के सहायक अध्यापक, श्री शिव दास लाल की नसबन्दी के फलस्वरूप मृत्यु

*47—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सहायक अध्यापक (श्री शिव दास लाल), प्रा0पा0 केवाल, तहसील दुद्धी, जिला मिर्जापुर की माह अगस्त, 76 में असफल नसबन्दी आपरेशन होने के कारण 29-9-76 को मत्यु हो गयी ? यदि हां, तो उनके 6 नाबालिग बच्चे तथा विधवा पत्नी के जीवनयापन हेतु सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की गई है ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय श्री शिव सम्पत्ति राम, विधायक का मुख्य मंत्री को सम्बोधित दिनांक 11-1-76 का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवार नियोजन विभाग के आर्टिस्ट कम-फोटोग्राफर का वेतन-क्रम

*48—श्री हरीश कुमार गंगवार—

क्या सरकार ने पे-अनामली कमेटी की सिफारिश के अनुसार परिवार नियोजन विभाग में तीन वर्ष के प्रशिक्षित आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफरों का वेतन क्रम 300-500 रु0 व पांच वर्ष के प्रशिक्षित आर्टिस्ट-कम-फोटोग्राफर का वेतन क्रम 350-700 रु0 का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अब तक इस निर्णय को लागू न करने के क्या कारण हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं । ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

अतारांकित प्रश्न

नगरमहापालिका, वाराणसी के अन्तर्गत बनाई गयी सहकारी गृह निर्माण समितियां

1—श्री ऊदल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे नगरमहापालिका, वाराणसी की सीमा के अन्दर कितनी गृह निर्माण समितियां (सहकारी) बनाई गई हैं और उन्होंने कहां-कहां बस्तियों का निर्माण नक्शा पास कराकर गृह निर्माण कराया है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगरमहापालिका, वाराणसी की सीमा में 33 सहकारी गृह निर्माण समितियां बनाई गई हैं। इनमें से 27 समितियों ने 64 कालोनियों के नक्शे स्वीकृत कराकर संलग्नक में उल्लिखित बस्तियों में गृह निर्माण कराया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 314 पर।)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ के भवन का निर्माण

2—श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ के प्राइमरी हेल्थ सेंटर की इमारत का निर्माण पूरा हो गया है और क्या निर्माण का धन सम्बन्धित ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस सम्बन्ध में 9 सितम्बर, 1976 को शासन को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगीपुर, जिला प्रतापगढ़ का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। 30 अप्रैल, 1977 तक पूरा हो जाने की आशा है।

2—ठेकेदार, श्री बद्री प्रसाद के धन का अंतिम भुगतान अभी नहीं हुआ है। केवल 9,123 रु0 के बिल का भुगतान शेष है जो शीघ्र कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य का 9 सितम्बर, 1976 का पत्र प्राप्त हुआ था और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। सम्बन्धित ठेकेदार के बकाया बिलों का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा।

फैजाबाद मंडल के अन्तर्गत नसबन्दी से हुयी मृत्यु एवं मुआवजे का भुगतान

3—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नसबंदी से मृत्यु पर परिवार को पांच हजार रुपया मुआवजा देने का शासन ने वर्ष 1976 में निर्णय लिया है ? यदि हां, तो फैजाबाद मंडल के जनपदों में विकास खंडवार कितनी संख्या में जनवरी, 1976 से अब तक नसबन्दी हुई और क्या किसी की मृत्यु भी हुई और उन्हें मुआवजा दिया गया ?

श्री प्रभू नारायण—

सूचना एकत्र की जा रही है।

अलीगंज आवास योजना, लखनऊ के भवनों के निर्माण के विरुद्ध अनियमितता की जांच

4—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बतायेगी कि अलीगंज आवास योजना के प्रथम चरण के एक कमरे के भवनों के मूल्य वृद्धि तथा लगाई गई निम्नकोटि की निर्माण सामग्री की जांच कराने का कोई मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो जांच में क्या विलम्ब है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, शासन ने राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश को जांच के आदेश दे दिये हैं। जांच में अभी कोई विलम्ब नहीं है।

5—श्री बाबू लाल वर्मा—

[उरे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश में निर्धारित नसबन्दी आपरेशन का लक्ष्य

6—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 76 से 17 अगस्त, 76 तक प्रदेश में कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये तथा कितना लक्ष्य था ? तथा गत वर्ष इसी अवधि में कितने नसबन्दी आपरेशन किये गये थे और उस अवधि में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था ? इस अवधि में इस पर कितनी धनराशि सरकार द्वारा खर्च की गयी ?

श्री प्रभु नारायण—

इस अवधि में 2,08,563 आपरेशन किये गये तथा निर्धारित अनुपातिक लक्ष्य 6,27,950 था। गतवर्ष इस अवधि में 36,081 आपरेशन किये गये थे और निर्धारित लक्ष्य 1,28,702 था। जनवरी, 76 से अगस्त, 76 तक रू0 2,14,01,339 तथा जनवरी, 75 से अगस्त, 75 तक रु0 20,44,536 की धनराशि खर्च की गई।

फर्रुखाबाद के कमालगंज विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

7—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद कमालगंज विधान सभा क्षेत्र में कितने ग्रामों की, कितनी हरिजन बस्तियों में वर्ष 1976 में कितनी हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण विचाराधीन था और कब तक कार्य पूर्ण हो जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की दो हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण वर्ष 1976 में हो चुका है। विद्युतीकरण के लक्ष्य का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार नहीं किया जाता है।

प्रदेश के आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों की नसबन्दी

8—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवार नियोजन राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत कितने आई0 ए0 एस0 व आई0 पी0 एस0 रैंक के अधिकारियों ने जिनके दो बच्चों से अधिक हैं, नसबन्दी कराई है ? क्या यह सही है कि यह अधिकारी स्वयं नसबन्दी न कराकर कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं ?

श्री प्रभु नारायण—

अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में कार्यरत 12 आई0 ए0 एस0 तथा 36 आई0 पी0 एस0 अधिकारियों ने, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं और परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र व्यक्ति हैं, अपनी या अपनी पत्नियों की नसबन्दी कराई है।

प्रदेश में कार्यरत किसी आई0 ए0 एस0 व आई0 पी0 एस0 अधिकारी द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम का विरोध करने की शासन को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विद्युत कनेक्शन नं० 450, मझपुरवा, जिला फर्रुखाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

9—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974 में विद्युत कनेक्शन नम्बर 450, ग्राम मझपुरवा, पोस्ट गुरसहायगंज, ज़िला फर्रुखाबाद के विषय में शिकायत विभाग को प्राप्त हुई, जिसकी जांच 6-10-74 को हुई ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री मजीद, उपभोक्ता, ग्राम मझपुरवा, पोस्ट गुरुसहायगंज, जिला फर्रुखाबाद, सर्विस कनेक्शन नं0 450 के द्वारा दिनांक 8-10-74 को लिखित शिकायत विद्युत अनुरक्षण खंड, फर्रुखाबाद को प्राप्त हुई, जिसकी जांच तत्पश्चात् की गई, न कि दिनांक 6-10-74 को।

जिन कर्मचारियों का नाम शिकायती-पत्र में दिया गया था, उनके विरुद्ध अभिलेखीय प्रमाण नहीं प्राप्त हुए तथा जांच के अनुसार कर्मचारी दोषी नहीं पाए गये।

इकौना टाउन एरिया, बहराइच को अनुदान दिये जाने की मांग

10--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1976 की कार्य सूची दिनांक 29 अप्रैल, 1976 के नत्थी (ख) के अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जनपद की इकौना टाउन एरिया को दस हजार रुपया सड़क अनुदान के शासनादेश में जिले का नाम गलत छप जाने के कारण, धनराशि आहरित न हो सकी ? यदि हां, तो क्या सरकार जिले का नाम सही कर उक्त टाउन एरिया को सड़क अनुदान प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी हां।

वित्तीय वर्ष 1973-74 की समाप्ति पर सम्बन्धित शासनादेश में जिले का नाम ठीक करके उसके आधार पर अगले वित्तीय वर्ष 1974-75 में जिला बहराइच की टाउन एरिया कमटी, इकौना को सड़क अनुदान स्वीकृत करना सम्भव नहीं था। अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में उक्त टाउन एरिया से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण सड़क अनुदान स्वीकृत न हो सका।

11-12--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[माननीय सदस्य के त्याग-पत्र देने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश के अवमुक्त बन्धक मजदूरों के पुनर्वासन की योजना

13--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अवमुक्त बन्धक मजदूरों के पुनर्वास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है तथा प्रदेश में बन्धक मजदूरी की प्रथा से मुक्त कराये गए लोगों में से कुछ को यातायात व्यवसाय में लगाने के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से कोई योजना प्रस्तावित की गई है ? यदि हां तो पूरी योजना की रूपरेखा क्या है तथा यह योजना किन-किन जिलों में लागू होगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

देहरादून, उत्तरकाशी तथा टेहरी गढ़वाल जिलों के अवमुक्त बन्धित श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु 25 लाख रुपए की लागत की योजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक बन्धित श्रमिक परिवार को अनुदान के रूप में भेड़ें या भैंसें क्रय कर उपलब्ध कराई जा रही हैं तथा जिन परिवारों के पास कृषि भूमि है और सिंचाई के साधन हैं उन्हें कृषि कार्य हेतु कृषि यन्त्र, बीज, उर्वरक आदि क्रय करके दिए जा रहे हैं।

देहरादून जिले के अवमुक्त बंधित श्रमिकों के पुनर्वासन के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत की एक विशेष योजना भारत सरकार को विदेशी सहायता हेतु भेजी गई थी। उस योजना के अधीन कृषि कार्य, पशुपालन, फलोद्यान तथा उद्योग में प्रश्नगत श्रमिकों को

पुनर्वासित करने की व्यवस्था थी। परन्तु भारत सरकार द्वारा विदेशी सहायता के लिए उसे उपयुक्त नहीं समझा गया। अतः अब राज्य सरकार अपने ही उपलब्ध संसाधनों से प्रश्नगत श्रमिकों के पुनर्वासन की व्यवस्था कर रही है।

कानपुर बिजली प्रशासन 'केसा' के कर्मचारियों की मांगें

14—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक 31 मई, 75 या उसके आस-पास कानपुर बिजली प्रशासन "केसा" के कर्मचारियों ने जनरल मैनेजर के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के सम्बन्ध में उनके एक प्रतिनिधि मंडल ने जनरल मैनेजर को अपनी मांगों के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन दिया था? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां, दिनांक 31 मई, 1975 को कानपुर बिजली प्रशासन "केसा" के कर्मचारियों ने महाप्रबन्धक 'केसा' के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया था, परन्तु उन्हें कोई लिखित ज्ञापन नहीं दिया। प्रदर्शन के पश्चात् सभा के सदस्य महाप्रबन्धक से मिले और मौखिक रूप से उन्होंने कुछ मांगें प्रस्तुत कीं जिस पर महाप्रबन्धक ने विचार करने का आश्वासन दिया और सदस्यगण सन्तुष्ट होकर वापस चले गए। वार्ता में उठाई गई मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 315 पर।)

फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर में विद्युत् उपकेन्द्र का निर्माण

15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के विकास खंड राजेपुर में 33 के0वी0 का सब-पावर स्टेशन बनाने पर विद्युत परिषद् विचार कर रही है? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायगा ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। राजेपुर में एक 1500 के0वी0ए0 33/11 के0वी0 की क्षमता का विद्युत उप केन्द्र स्वीकृत हो चुका है और इस पर कार्य भी आरम्भ हो चुका है।

बच्चों में दांत व आंख के रोग की रोकथाम के उपाय

16—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में बच्चों के दांतों का रोग तेजी से फैल रहा है तथा अनेक छोटे बालकों की आंखों की ज्योति कमजोर होने की शिकायत बढ़ रही है? यदि हां, तो सरकार इन रोगों की रोकथाम के लिए क्या उपाय कर रही है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, शासन को जानकारी है कि बच्चों में दांतों तथा आंखों के रोग विद्यमान हैं।

1—बच्चों एवं आम जनता के दांतों के रोगों के चिकित्सा उपचार के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में तथा कुछ तहसील स्तर के चिकित्सालयों में 64 दन्त रुजालय स्थापित किए गये हैं। इसके अतिरिक्त मेडिकल कालेजों में भी दांत रोग के उपचार की व्यवस्था उपलब्ध है।

2—आंखों के रोगों की रोकथाम के लिए रोहा नियंत्रण कार्य-क्रम चलाया जा रहा है जिसके अन्तर्गत रोगियों की जांच करने के उपरान्त आवश्यक औषधियां वितरित की जाती हैं। विभिन्न जनपदों में जिला आई रिलीफ सोसाइटी के माध्यम से नेत्र शिविर

आयोजित किए जाते हैं। बच्चों में अन्धेपन के बचाव के लिए बच्चों को विटामिन 'ए' मुफ्त वितरित किया जाता है।

कानपुर के लक्ष्मण बाग की भूमि पर हरिजनों के बसाने की योजना

17—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर में लक्ष्मण बाग जिसका क्षेत्रफल करीब 30 एकड़ है, जे0के0 आर्गनाइजेशन, कानपुर को लीज पर दिया गया था तथा महापालिका, कानपुर ने इस बाग को जे0के0 आर्गनाइजेशन, कानपुर से खाली कराकर इसमें गृहविहीन हरिजनों को 1974–75 ई0 में बसाने की योजना बनाई थी? यदि हां, तो क्या हरिजनों के बसाने की यह योजना कार्यान्वित की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

नगरपालिका चित्रकूट धाम, करवी के सदस्य को दुकान का आवंटन तथा अध्यक्ष द्वारा गृह कर का भुगतान

18—श्री राम सजीवन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की चित्रकूट धाम नगरपालिका, करवी के कितने सदस्यों ने स्वयं अपने नाम से पालिका निर्मित पक्की दुकानें एलाट करा रखी हैं और इन सदस्यों ने दुकानों का किराया कितने वर्षों से पालिका को अदा नहीं किया? क्या उनमें से ऐसे भी सदस्य हैं जिन्होंने अपनी दुकान के एक भाग को या पूर्ण दुकान को दूसरे व्यक्ति को किराए पर उठा रखा है? यदि हां, तो पालिका ऐक्ट के अन्तर्गत उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

नगरपालिका चित्रकूट धाम, करवी के सदस्यों में से वर्तमान सदस्यता ग्रहण करने के पूर्व केवल एक सदस्य, श्री मोहम्मद सिद्दीक को वर्ष 1963–64 में एक दुकान 35 रु0 मासिक किराए पर आवंटित की गयी थी। श्री सिद्दीक के विरुद्ध उक्त दुकान के किराए के अवशेष रु0 1460.00 में से 19–10–76 को रु0 710.00 का भुगतान कर दिया गया है तथा अवशेष 750.00 रु0 की तत्काल वसूली के लिए जिलाधिकारी, बांदा द्वारा पालिकाध्यक्ष को निर्देश दे दिए गये हैं। दुकान का कोई भाग अथवा पूर्ण दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर नहीं उठाया गया है।

यू0 पी0 म्युनिसिपैलिटी ऐक्ट की धारा 13–डी(सी) (जी) के अन्तर्गत उक्त सदस्य के विरुद्ध कायवाही की जा रही है।

19—श्री राम सजीवन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बतायेंगे कि बांदा जिले की चित्रकूट धाम नगरपालिका के अध्यक्ष ने अपने अथवा अपने भाई के नाम नगर में बस अड्डे के पास के चौराहे के दक्षिण की ओर मिशन अस्पताल की ओर जाने वाली सड़क के पश्चिम दिशा में पक्के मकान बनवाए हैं? उनका कितना गृह-कर नगरपालिका में वह जमा करते हैं?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर मंडल के स्वास्थ्य सहायकों की सेवा समाप्ति एवं पुनर्नियुक्ति

20—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर मंडल में 1 जनवरी, 74 से 20 जुलाई, 76 तक कितने स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त की गयी हैं?

श्री प्रभु नारायण—

इस अवधि में 104 स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त की गई थीं।

21—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन स्वास्थ्य सहायकों की सेवाएं समाप्त की गई हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग में या अन्य विभागों में पुनः सेवा नियोजित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रभु नारायण—

अभी तक केवल 29 स्वास्थ्य सहायकों को इस विभाग में पुनः सेवा नियोजित किया जा चुका है। शेष 75 का कार्य अत्यन्त असन्तोषजनक होने के कारण उन्हें सेवा में नहीं लिया गया।

तारांकित प्रश्न 7 के सम्बन्ध में कलेक्टर तथा एस० एस० पी०, कानपुर के स्थानान्तरण की मांग

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना है। अभी विरोधी पक्ष ने वाक आउट किया! माननीय उपाध्यक्ष के ऊपर हमले के सम्बन्ध में। हम लोग चाहते हैं कि यह बात स्पष्ट हो जाय सदन के अन्दर कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस सम्बन्ध में क्या घोषणा करने जा रहे हैं। वहां के कलेक्टर और एस०पी० को जो माननीय उपाध्यक्ष की हत्या की साजिश में लगे हुए हैं, उनको तत्काल बरखास्त किया जाय या वहां से हटाया जाय। मैं चाहता हूं कि सदन में आज ही इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए। यह निर्णय हाउस में हो जाना चाहिए। अगर यह बात नहीं आएगी तो हम लोग समझेंगे कि हाउस का अवमान हुआ है। माननीय उपाध्यक्ष की हत्या की साजिश जिस एस० पी० और कलेक्टर ने की है, उसको बचाने के पक्ष में हैं। इस पर निर्णय हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप जब नहीं थे माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना वक्तव्य दिया और उससे सदन सन्तुष्ट था। अब उस सवाल को फिर से उठाने की इजाजत मैं कैसे दे दूं? आप इस प्रश्न को लेकर बाहर चले गए।

श्री राम अधार—

सवाल यह है कि इसका निर्णय आज ही हो जाना चाहिए। बड़ा गम्भीर मामला है। इसमें सरकार को निर्णय लेने में कौन सी दिक्कत हो रही है?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अगर विरोध पक्ष की ओर से माननीय रामअधार राय किसी प्रश्न पर वाक आउट कर गए और उस समय इस आदरणीय सदन में क्या घटना घटी और माननीय मुख्य मन्त्री ने क्या बयान दिया, इसकी जानकारी करने की यहां पर उनको कोई अधिकार नहीं। यह कोई चौपाल नहीं है जब चाहे पूछने लगें और उसे माननीय अध्यक्ष बतायें या सूचना देने लगें। मैं समझता हूं सदन की कोई गरिमा है। उनको देखना है तो प्रोसीडिंग देखकर मालूम कर सकते हैं नहीं तो यह चौपाल हो जायगी।

श्री रामअधार—

अध्यक्ष जी, यह गम्भीर प्रश्न है . . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ मिश्र जी सही कह रहे हैं इस समय तो उन्होंने सही बात कही है।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

हम चौपाल नहीं बनाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, अब दूसरा कार्य होने दें।

(व्यवधान)

श्री राम अधार—

यह महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय उपाध्यक्ष की हत्या की साजिश है इसमें चौपाल की कौन सी बात है?

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि आप उस वक्त नहीं थे। वह हो गया है। यह काशीनाथ जी ने जो बात कही, वह ठीक बात है। इस बार ठीक बात कही। अगर आप न गए होते तो आप को मालूम हो जाता। आपके नेता ने एलान किया, कार्यवाहक नेता ने एलान किया और आप बाहर चले गए आपके और उनके बीच क्या बात हुई आप जानें. . .

(व्यवधान)

अगर हार हो या जीत हो उसे हंसी खुशी झेलना चाहिए।

(व्यवधान)

(श्री रामअधार राय के खड़े होने पर) मैं इजाजत नहीं देता, आप इसको पुनः उठाना चाहते हैं। सम्पूर्ण विरोध पक्ष बाहर चला गया। उनके आह्वान पर आप बाहर गए। अब आप फिर उसको उठाना चाहते हैं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1976-77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1976–77 का अनुपूरक) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 26 मार्च, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1977 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1977 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का दूसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा नें अपने दिनांक 26 मार्च, 1977 के उपवेशन में पारित किया था, जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 26 मार्च, 1977 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मार्च, 1977 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

चौधरी चरण सिंह, सदस्य, विधान सभा के निरुद्धि के आदेश का विखण्डन

श्री अध्यक्ष—

मुझे आपको यह सूचना देनी है कि—

उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गोपन अनुभाग–1 के पत्र दिनांक 4 मार्च, 1977 के साथ प्राप्त दिल्ली प्रशासन के दिनांक 7–3–76 के आदेश संख्या एम–2/100/75–होम0 (पो–2) की प्रतिलिपि के अनुसार प्रशासक, संघ क्षेत्र, दिल्ली द्वारा श्री चरण सिंह, सदस्य विधान सभा (मेरठ) के विरुद्ध जिला मैजिस्ट्रेट, दिल्ली द्वारा मीसा के अन्तर्गत पारित दिनांक 26–6–75 के निरुद्धि आदेश को विखंडित कर दिया गया था। माननीय सदस्य की गिरफ्तारी इत्यादि की सूचना बुलेटिन–8 द्वारा प्रसारित की गयी थी।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा का सदन की सदस्यता से त्याग पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 279(3) के अनुसार सदन को यह सूचना देता हूं कि मैंने संविधान के अनुच्छेद 190 के खंड (3) के उपखंड (ख) के अन्तर्गत श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी का सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र 31 मार्च, 1977 के अपराह्न से स्वीकार किया है।

सदन में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने की घटना

एक सदस्य—

श्रीमन्, अभी ऊपर से कुछ पर्चे फेंके गए थे, उस पर्चे में क्या लिखा है, हम लोग वह जानना चाहते हैं। आप उसे जरा पढ़कर सुनवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

रिपोर्ट आने दीजिए। उसको तो आपको सुनाऊंगा ही। इसके अलावा आप जो कुछ दंड व्यवस्था चाहेंगे, वह भी करेंगे। हमारी रिपोर्ट आ जावे। जब उनको पकड़ा गया होगा तो नियमानुसार उनका बयान लिखा गया होगा। उस सबकी रिपोर्ट आने दीजिए।

एक सदस्य—

आज ही आएगा ?

श्री अध्यक्ष—

आज ही आएगा और बहुत जल्दी आएगा।

जिला शाहजहांपुर की ग्राम सभा बरी प्रसिद्धपुर में हरिजनों की भूमि की फसलों को उजाड़ कर उन्हें प्रताड़ित करने एवं गांव से निकाल देने के सम्बन्ध में वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

प्रधान मन्त्री के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव सभा बरी प्रसिद्धपुर..

श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—

मुझे इसमें आपत्ति है, प्रधान मन्त्री का 20 सूत्रीय कार्यक्रम कहने से एक भ्रम पैदा हो रहा है। क्योंकि प्रधान मन्त्री मोरारजी देसाई हैं। आप भूतपूर्व प्रधान मन्त्री कहें।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिस समय का यह वक्तव्य है, उस समय प्रधान मन्त्री इंदिरा जी ही थीं।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मेरा निवेदन है कि भूतपूर्व प्रधान मन्त्री लिखा जाय।

श्री अध्यक्ष—

आपको याद होगा, जिस समय चौधरी चरण सिंह मुख्य मन्त्री थे, कार्यवाही अविलम्ब उनके प्रस्ताव पर आई, जो सरकारी पूर्व वक्तव्य थे, उनको मैंने स्थगित कर दिया था। वही पढ़े जा रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं तो स्थगित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

यह तो आज पढ़ा जा रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इसमें शब्द "श्रीमती इंदिरा गांधी लिखे होते," तो कोई आपत्ति की बात थी। इसमें तो सिर्फ प्रधान मन्त्री हैं और प्रधान मन्त्री प्रधान मन्त्री हैं।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव—

आप भूतपूर्व प्रधान मन्त्री कहिए।

श्री सत्यप्रकाश—

आज की तिथि में जो प्रधान मन्त्री हैं, उनको प्रधान मन्त्री मानेंगे।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कृपा करके पूरी बात सुन लें। जिस समय यह प्रश्न उठाया गया था, उस समय प्रधान मंत्री का 20 सूत्रीय कार्यक्रम चालू था। इसलिए इनको निकाल दें, तो सारा विषय ही गलत हो जाएगा।

विरोधी पक्ष के कई सदस्य—

तत्कालीन प्रधान मंत्री कर दिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तत्कालीन तो थीं ही वह।

श्री अध्यक्ष—

जो वक्तव्य है उस वक्तव्य में आप क्यों संशोधन कर रहे हैं ? उस पर आप सवाल करें, उस पर अपनी बात कहें।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

वक्तव्य को यों पढ़ लें—22 फरवरी, 1976 को प्रधान मंत्री के 20—सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गांव सभा बरी प्रसिद्धपुर, परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर ने ग्राम मावड़की गांव सभा में निहित भूमि में से 61.22 एकड़ भूमि 23 हरिजन परिवारोंको आवंटित करने का प्रस्ताव किया, जिस की स्वीकृति परगनाधिकारी, तिलहर द्वारा 28—2—1976 को दी गयी तथा इस आवंटित भूमि में हरिजनों ने खरीफ में फसल बोई।

2—इस गांव के सर्वश्री केशरी पुत्र इन्दल, लल्लू पुत्र हुलासी तथा डोरी लाल पुत्र हरनाम, कौम धोबी ने दिनांक 11—9—1976 को एक लिखित रिपोर्ट थाना जैतीपुर पर अंकित कराई कि नामांकित अभियुक्तों ने उनकी फसल दिनांक 10—9—1976 को उजाड़ दी है, और उन्हें गाली और धमकी दी है, जिसके आधार पर अभियोग संख्या 277 धारा 147/427/504/506 भा0 द0 वि0 का 11 अपराधियों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ। इस अभियोग के अभियुक्त सियाराम पुत्र पहलवान दिनांक 26—9—1976 को व नन्हकू पुत्र सोहन लाल दिनांक 31—10—1976 को बन्दी बनाकर जेल भेजे गये। अभियुक्त करन सिंह पुत्र रग्घ सिंह, नन्कू सिंह पुत्र रग्घ सिंह, पहलवान सिंह पुत्र रग्घ सिंह, जौहरी पुत्र करन सिंह, बेचे

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

पुत्र गंगा राम, सुखराम पुत्र पहलवान दिनांक 5–10–1976 को तथा सरनाम पुत्र अजुध्या, नेत्रपाल पुत्र नरसिंह ने दिनांक 6–10–1976 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया तथा अदालत द्वारा जमानत पर रिहा किये गये एक अभियुक्त जैसिंह की गिरिफ्तारी भरसक प्रयत्नों के बाद भी नहीं हो सकी। उसके विरुद्ध धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार तथा आत्म समर्पण किए अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है, जो न्यायालय में विचाराधीन है। इस प्रकार कुल 11 नामांकित अभियुक्तों में से एक अभी गिरफ्तार होना अवशेष है और 10 के विरूद्ध लगाये गये आरोप पत्र अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

11–9–1976 को लिखित रिपोर्ट के बाद प्रार्थीगण सर्वश्री केशरी पुत्र इन्दल, लल्लू पुत्र हुलासी व डोरी लाल पुत्र हरनाम द्वारा एक प्रार्थना पत्र 7–10–1976 को पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर को ग्राम खेड़ा बझेड़ा में दिया गया था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष, जैतीपुर को स्वयम् मौके पर जाकर जांच एवं आवश्यक कार्यवाही करने के आदेश दिये। इस संदर्भ में जांच हेतु थाना अध्यक्ष, जैतीपुर प्रथम दिनांक 12–10–1976 को और उसके बाद 19–10–1976 को मौके पर गए, जहां उन्होंने तीन दिन रह कर उक्त मामले की छानबीन की और शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित की। क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है और किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है।

25–10–1976 को प्रार्थीगण ने क्षेत्राधिकारी, तिलहर को भी एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर 27–10–1976 को पुलिस उप निरीक्षक मौके पर गये और वह वहां 31–10–1976 तक रहे। क्षेत्राधिकारी स्वयम् 30, 31 अक्टूबर, 1976 को थाना अध्यक्ष के साथ इस क्षेत्र में गए और इस बारे में अपनी संतुष्टि की कि हरिजन शान्ति पूर्वक रह रहे हैं और झगड़े का कोई अन्देशा नहीं है। यह कहना गलत है कि 28–10–1976 को नायब दारोगा व सिपाहियों के सामने हरिजनों की फसल उजाड़ी जा रही थी या वहां अराजकता का राज्य था।

24–11–1976 को जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक स्वयम् बरी प्रसिद्धपुर गये। उन्होंने शिकायतकर्ता हरिजनों, बरी प्रसिद्धपुर के सभापति, जिन लोगों के विरुद्ध हरिजनों ने शिकायत की थी, उन्हें तथा अन्य ग्रामीणों को बुलाकर उन से विस्तृत बात की। 10–9–1976 के बाद हरिजनों के साथ कोई दुर्घटना या दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं है तथा हरिजन अब शान्तिपूर्वक रह रहे हैं। 24–11–1976 को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में बरी प्रसिद्धपुर ग्राम सभा के निवासियों ने जिसमें अभियुक्त भी शामिल थे, यह विश्वास दिलाया कि वह हरिजनों की आवंटित भूमि में कोई दखल नहीं देंगे और उनकी खेती में हर सम्भव सहायता करेंगे तथा गांव सभा में पूर्ण शान्ति बनाये रखेंगे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी और इस सिलसिले में जो प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिये गए, उन पर समय से वांछित कार्यवाही की गयी है। शान्ति व्यवस्था की अब कोई समस्या नहीं है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आगे चलते हैं। कार्य सूची 7 के अन्तर्गत नियम 56 के अन्तर्गत चार सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री मोहनलाल कपूर और श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल का आपात कालीन स्थिति में राजनैतिक व्यक्तियों पर चलाये गये डी0 आई0 आर0 के मुकदमों को वापस न लिए जाने से जनता में व्याप्त असन्तोष एवं उत्तेजना।

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द लोगों को छोड़ दिया गया,है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी बहुत से व्यक्ति डी0 आई0 आर0 में फंसे हैं। वह लोग जब मुकदमे की सुनवाई पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको फिर जेल भेज दिया जाता है। गुलावटी का इन्टर कालेज है उसको भी अभी वापस नहीं किया गया है। यह सारी स्थिति अभी भी कायम है। मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आश्वासन दें कि यह मुकदमें वापस हो जायेंगे और जो प्रापर्टी है वह भी लोगो को वापस हो जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मीसा और डी0 आई0 आर0 को हटा लिया गया है लेकिन डी0 आई0 आर0 अभी भी लागू है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मिला था और अनुरोध किया था कि इनको हटाया जाये। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए हैं लेकिन अभी भी लोग जेलों में पड़े हुए हैं। अखबारों में निकाल दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जेलों में मीसा और डी0 आई0 आर0 का नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि वह सब वापस होना चाहिये। अब सामान्य स्थिति हो गयी है लेकिन लाखों और अरबों की सम्पत्ति जो ले ली गयी थी उसको वापस नहीं किया गया है और न ही उसका कोई कम्पेन्शेसन ही दिया गया है।

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों पर लोवर कोर्ट से सजा हो गयी है और वह आगे चले गये हैं तो उनकी सजा माफ होनी चाहिये।

श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

डी0 आई0 आर0 के सभी मुकदमें कैसे खतम किए जा सकते हैं। जो ब्लैक मारकेटियर्स हैं इन पर भी डी0 आई0 आर0 लागू किया गया है तो क्या य उनको भी छुड़ाना चाहते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मजदूरों के हड़ताल करने पर डी0 आई0 आर0 चलाया गया था और आज भी यह मुकदमें चल रहे हैं आप चीनी मिल मालिकों को करोड़ों रुपया बांट रहे हैं और मजदूरों को बन्द कर रहे हैं। मेरी मांग है कि आपको इनसे माफी मांगनी भी चाहिये आपने क्यों डी0 आई0 आर0 चलाया ?

(मेजें थपथपाई गई)

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, माननीय उप नेता श्री राम प्रकाश और माननीय श्री मोहन लाल कपूर 3-4 दिन पहले मुझसे मिले और इन सारी बातों की ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया तो मैंने तत्काल आदेश भेज दिए थे कि मीसा और डी0 आई0 आर0 जिन राजनैतिक लोगों पर अभी लागू हैं उनको छोड़ दिया जाये और मुकदमें वापस ले लिये जायें। आप जानते हैं कि जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनके छोडने में देरी हो सकती है जैसा अभी मोहन लाल कपूर जी ने कहा कि मेरठ में लोग अभी फंसे हैं। यह हो सकता है कि डी0 आई0 आर0 की वापसी में देरी हो गयी हो लेकिन यह नहीं होना चाहिये। मैं इस बात को फिर दुहराता हूं कि हमारी कोई मंशा इस प्रकार की नहीं है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से डी0 आई0 आर0 का कोई मामला चले। अभी सदन से छुट्टी लेकर 5 मिनट में मैं जाऊंगा और होम सेक्रेट्री को बुलाकर देखूंगा कि किस-किस जिले में कितने-कितने मामले हैं। मैं माननीय गर्ग से सहमत हूं कि एकौनोमिक औफन्डर्स को छोड कर अगर मजदूरों के या ट्रेड यूनियन के वर्कर्स के मामले हैं, तो उनके केसेज वापस हो जायेंगें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिन-जिन माननीय सदस्यों को जानकारी है कि फलां-फलां केसेज वापस नहीं हुए हैं, उनको लिख कर मेरे पास 15 मिनट में भेज दें तो मैं होम सेक्रेट्री से परामर्श करके देख लूंगा।

श्री मोहन लाल कपूर—

जिन लोगों को सजायें हो गयी हैं, उन केसेज को भी आप देख लें ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप लिस्ट दे दीजिए ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, 25 तारीख को मैंने लिख कर दिया था कि लखनऊ में डी0 आई0 आर0 में 3 राजनैतिक बन्दी हैं, उनको अभी नहीं छोड़ा गया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जनता ने इस बात पर, बहुगुणा जी को जिता कर मोहर लगा दी है कि उन्होंने जो डी0 आई0 आर0 में गिरफतारियां कराई थीं, वे सही हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जनता ने 85 की 85 सीटों को जिता कर इस बात पर भी मोहर लगा दी है कि एमर्जेन्सी गलत थी ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

चौधरी चरण सिंह और लोक नायक ने कहा था कि माननीय बहुगुणा के मंत्रिमंडल के सभी सदस्य भ्रष्ट हैं और इसी प्रकार की अन्य बात भी कीं गई थीं । माननीय राज मंगल पांडेय ईमानदार हैं और ईमानदार ही रहे हैं, मैंने उनकी वकालत की है ।

श्री राज मंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मैं माननीय काशीनाथ जी का बड़ा अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने मुझे एक सार्टिफिकेट दे दिया है । यही नहीं प्रदेश की जनता ने भी कई दफा मुझे सर्टिफिकेट दिया है । मैं माननीय काशीनाथ जी से आशा करता था कि वे कम से कम ऐसी बातें कहेंगे जिनसे वे कुछ समझेंगे कि कुछ गम्भीर बातें की जा रही हैं । इस प्रकार की बातें कहना उत्तेजना पैदा करना है । (व्यवधान) आज उनको माननीय तिवारी जी से बड़ी हमदर्दी हो गई है लेकिन मेरा निवेदन है कि उनसे ज्यादा हमारी हमदर्दी है क्योंकि हमने उनके साथ बैठ कर काम किया है । हम उनकी क्षमता को भली भांति जानते है । लेकिन खेद है कि अभी उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य सूचना दे देंगे तो उसके अनुसार वे कार्यवाही करेंगे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के होम सेक्रेटी के पास उन कैदियों की सूची नहीं जो कि क्रिमिनल औफन्सेज और एकौनोमिक औफेन्सेज में गिरफतार हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जितनी भी प्रतिबंधित संस्थायें हैं, उनकी प्रोपर्टी भी जब्त कर ली गई थी, उसको भी अभी तक वापस नहीं किया गया है और न इस सम्बन्ध में सदन में ही कोई स्टेटमेंट आया है। यह तो मान लिया गया है कि जब तक जुडिशियल फाइंडिंग्स नहीं होंगी, तब तक किसी संस्था को प्रतिबंधित नहीं माना जायगा । केवल एक व्यक्ति विशेष के निर्देशन पर संस्थाएं प्रतिबंधित कर दी गयी हैं और आज निर्णय ले लिया गया है कि कोई संस्था प्रतिबन्धित नहीं मानी जायगी और उसकी प्रापर्टी जब्त नहीं मानी जायगी तो मुख्य मंत्री जी आश्वासन क्यों नहीं देते हैं कि जो संस्थाएं उनके दिमाग में प्रतिबन्धित नहीं हैं उनकी जायदाद वापस की जायगी और वह क्यों नहीं की जा रही है?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन, मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सत्यप्रकाश जी, सदस्य बरेली और कपूर साहब, शारदा भक्त सिंह जी जो सदस्य आये थे वह जानते हैं कि आदेश प्रतिबंधित संस्थाओं को जायदाद की वापसी के हो चुके हैं और उन संस्थाओं के कार्य-कलाप शुरू हो चुके हैं । दारुलशफा के सामने आर0 एस0 एस0 की रैली शुरू हो गयी है । हर जग

उनकी संपत्ति वापस हो रही है, उसमें कोई कठिनाई नहीं है। अगर कहीं पर रह गयी है तो उसका कारण यह है केवल कि इम्पलीमेंटेशन में गलती रह गयी हो। जैसे तीन नाम बाकी जिलों में हैं, मैं एडमिट करता हूं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी जगह कोई जज बीमार हो गया हो, हम आटोनामी जुडीशियरी को कायम रखना चाहते हैं, अदालती कामों में किसी कारण से देर हो सकती है, बिना अरजी पेश किये कार्य हो नहीं सकता या जज कैजुवल लीव पर हों, छुट्टी पर हों। तो कोई कठिनाई हो सकती है। तो मैं माननीय राजमंगल पांडेय को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा कोई इरादा किसी प्रतिबंधित संस्था की संपत्ति को रखने का नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

एक शतरुद्ध प्रकाश जी का है। उन्होंने वाराणसी नगर एवं जिले में हत्यायें, डकैती तथा राहजनी की घटित घटनाओं से उत्पन्न संकट के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। तो यह.....

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला बाराणसी)—

मुझे दो मिनट कह लेने दें, श्रीमन्। वाराणसी नगर एवं जिले में आज की स्थिति में कानून और व्यवस्था नाम की कोई चीज रह नहीं गयी है। आये दिन हत्याएं, डकैती, राहजनी की वारदातें हो रही हैं। भय और आतंक का वातावरण व्याप्त हो गया है। नागरिकों की जान-माल की असुरक्षा हो गयी है। पिछले करीब 10 दिनों में लगभग 8 हत्यायें हो चुकी हैं। दिनांक 23-3-77 को रामापुरा थाना दशाश्वमेघ के अन्तर्गत केदार नामक व्यक्ति को छुरा मारा गया। 21-3-77 को सकलडीहा में एक व्यक्ति को गोली मार कर हत्या कर दी गयी। 18-3-77 को खमरिया ग्राम मगही में जनता पार्टी के शीतला प्रसाद सिंह को गोली मारी गयी। 24-3-77 को सैयद राजा में गाम गोपालपुर में 2 व्यक्ति मारे गये। थाना मडुआडीह में एक व्यक्ति की हत्या की गयी। 19-3-77 को थाना मडुआडीह के अन्तर्गत लहरतारा में एक व्यक्ति पर छुरे से हमला किया गया। चौका घाट में जगदीश व गुलवीर पर गोली चलाई गयी। 17-3-77 को बलुआ में एक व्यक्ति गोली से मारा गया। थाना मडुआडीह ग्राम ककरहिया में 26-3-77 को एक व्यक्ति पर छुरे से हमला किया गया। 28-3-77 को सैयदराजा और बलुआ में डकैती, एक व्यक्ति की हत्या हुई। 27-3-77 को सैयद राजा में 50 हजार रुपये की डकैती हुई। 22-3-77 को औरंगाबाद में जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं यूनस, गणेश प्रसाद चौरसिया व गरु प्रसाद के मकान पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला हुआ। वाराणसी में जो अपराध हो रहे हैं उसके पीछे स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है। साधारण नागरिकों को और जनता पार्टी के समर्थकों को राजनैतिक कारणों से प्रेरित होकर अपराधियों से आतंकित करवाना व हत्या करवाना अब भी जारी है। अध्यक्ष महोदय, यह छोटी-मोटी बात नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है कि पिछले 10 दिन के अन्दर 8 हत्याएं हो जाय, लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो जाय। यहां पर मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं। बनारस की कानून व्यवस्था के बारे में उनको कोई निश्चित आश्वासन देना चाहिये, नहीं तो वहां के..... (व्यवधान) साधारण नागरिक का जीवन खतरे में है, इतना डर हो गया है उनको.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

जनता पार्टी के लोग जीते हैं, वही.....

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

राजनीतिक रूप से काम किया जा रहा है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दीना नाथ सेवक, आपको क्या कहना है ?

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

माननीय मुख्य मंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिये ताकि वहां की कानून व्यवस्था बनी रहे। कल मुख्य मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वह इस पर कार्यवाही करेंगे। सदन के अन्दर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से इतना कहना चाहता हूं कि बनारस की जनता के लिये सदन में इस सम्बन्ध में वह वक्तव्य दें ताकि वहां की जनता को आतंक से छुटकारा मिल सके।

(व्यवधान)

श्री दीना नाथ सेवक (जिला रायबरली)—

2 बजे एक बस हमारे यहां जलौन जिले में लूटी गयी जिसमें 72 हजार रुपये लूट लिये गये और जब लड़कों ने लूट कर ली उसके बाद उन्होंने कहा कि जनता पार्टी जिन्दाबाद, यह पसा हम अपनी पार्टी के चन्दे के लिये लिये जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि ऐसे विषय कार्य-स्थगन का विषय नहीं बनाये जा सकते हैं जो आप राज्यपाल के अभिभाषण में भाषण के रूप में यहां कह सकते हैं। आप कहेंगे कि एक जिम्मेदार हैं, दूसरे कहेंगे दूसरा जिम्मेदार हैं। इससे कोई निराकरण नहीं होगा। मैंने इतना समय आपको दिया कि आप अपनी बात कह दें।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, हमारे यहां यह नारा लगता है कि "जनता पार्टी जिन्दाबाद, बिला टिकट फैजाबाद"।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मेरा व्यवस्था का सवाल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन मुझको सबेरे यह जानकारी मिली थी। आपने जो मुझे समय दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ आश्वासन देना चाहते हैं। तो अगर वह कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

हां, हां। मैं उसमें कहां रुकावट डाल रहा हूं।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

ऐसे लोग जो चोरी, डकैती और आतंक पैदा करने वाले थे, उनको भूतपर्व केन्द्रीय सरकार के आदेश से इस सरकार ने जेलों में बन्द किया था। इस वक्त जो नवगठित केन्द्रीय सरकार है उसके आदेश का पालन करते हुये इस सरकार ने इस प्रकार के सारे आदमियों को छोड़ दिया।

(व्यवधान)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष जी, इनको यह भी पता नहीं है कि उनको जेल से बाहर निकालने के आदेश भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने दिये थे।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैंने आपके सामने व्यवस्था का सवाल रखा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब हार गयीं तो उन्होंने इमरजेन्सी और मीसा को हटाया। उनकी सरकार ने सबको छोड़ा। (व्यवधान)

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

माननीय सदस्य ने वाराणसी जनपद के बारे में जो सूचनायें दीं अगर कृपा करके वह मुझे दे दें तो मैं वहां डी0 आई0 जी0 को भेज कर जांच करा लूंगा कि क्या कारण है ? पूरी सूची मुझे दे दें ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की कापी तो आपके पास पहुंच ही गयी होगी, उसमें सब नाम हैं ।

श्री दीनानाथ सेवक—

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अमेठी में दारासिंह द्वारा जो दंगल कराया गया उसमें दरोगा और सिपाहियों को लाठियों से मारा गया. . . . . (शोर—व्यवधान) ट्रक में ईंट और पत्थर भरे थे, उससे प्रहार किया गया, कई लोग पकड़े गये, थाने गये, एक ट्रक में 14 लाठियां, दो लोहे की छड़, 50 किलो ईटा, गोला और बारूद निकला । (व्यवधान) जो लोग पकड़ कर थाने लाये गये उनको 2 बजे रात को छोड़ दिया गया । मैं चाहता हूं उस घटना के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी कोई वक्तव्य दें क्योंकि वहां की जनता में बड़ा असंतोष है. (व्यवधान) आप कहेंगे कि राज्यपाल के अभिभाषण पर हम कहें, पर हमें समय कहां मिल पायेगा, इसलिये आप इस पर मुख्य मंत्री जी का स्पष्टीकरण दिलवाने की कृपा करें ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह झंझट जो हुआ था, वह जनता पार्टी और सी0 एफ0 डी0 में हुआ था. . . . .

(व्यवधान)

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

दो मिनट मुझे कृपया दे दें, कानून और व्यवस्था पर ही मैं कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

कानून और व्यवस्था पर इस समय बहस नहीं हो रही है ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं थोड़ी जानकारी देना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जब माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे तब आप पूछ लें । अभी नहीं ।

श्री मोतीलाल देहलवी—

डेढ़ साल तो हम जेल में बन्द रहे, अब तो मौका दे दीजिये, कल भी मुझे मौका नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी जबान बन्द थी, मगर हाथ तो खुले थे ।

श्री मोती लाल देहलवी—

पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बिगड़ गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस वक्त आपको किस मुद्दे पर समय दूं ?

श्री प्यारे लाल (जिला मेरठ)—

लिखकर देते नहीं, यह कहां का न्याय है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया आसन ग्रहण करें। इस तरह से नहीं। जब बहस चले तो आप समय मांगें और जो आपका दर्शन हो उस पर पूरा प्रकाश डालें।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

कुछ माननीय सदस्यों ने जनता पार्टी और लोकतांत्रिक कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है. . . . .

(व्यवधान)

श्री दीना नाथ सेवक—

मान्यवर, हमारे सवाल पर माननीय मुख्य मंत्री जी जवाब देने लिए खड़े हुए थे, मान्यवर, मेरे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

अगर कुछ कहना है तो उसका तो अवसर है, पूरा अपना भाषण दें, लेकिन जब भाषण देने का अवसर आयेगा, तो सवाल करेंगे और जब सवाल करने का अवसर आयेगा तो भाषण करेंगे। अभी माननीय तेज सिंह का आया है। दफा 51 का सवाल। यह लिया जाता है अपराह्न में। अभी नियम 56 का लिया जा रहा है। अभी आपका नहीं लिया जा रहा है। जो सूचना आपने दी है, उस पर अगर बोलने की इजाजत दूं तो 51 के अन्तर्गत जो कार्यसूची छपी है—कार्य सूची–9—नियम 51 के अन्तगत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकृष्ट करने की सूचनाएं, तो यह कार्य सूची 9 पर अंकित है। जब हम कार्य सूची 9 पर आयें, तब आपको समय नियमानुसार दिया जा सकता है।

श्री मोहन लाल कपूर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने वालों की सूची बहुत लम्बी है।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, माननीय मुख्य मन्त्री जी खड़े हुए थे। माननीय दीनानाथ जी के कार्य-स्थगन का जवाब माननीय मुख्य मन्त्री जी देने जा रहे थे, माननीय मुख्य मन्त्री जी से मान्य-वर, जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आप ही लोग तो सवाल पर सवाल करने लगते हैं। जब समय दिया जा रहा है तो अधीर नहीं होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, बहुत सी घटनाएं हुई हैं, और प्रदेश में होती रहती हैं। माननीय सदस्य जानते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी अगर वह कोई तारांकित या अल्प सूचित तारांकित प्रश्न दे देंगे। मैं उसका उत्तर दे दूंगा। कोई उत्तर या अधूरा उत्तर दू, अधूरी जानकारी के आधार पर, यह उचित नहीं होगा। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कृपया नोटिस दे दें जिससे मैं उसका ठीक से उत्तर दे सकूं।

दल परिवर्तन करने वाले सदस्यों के नामों की घोषणा किये जाने की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्य ने जनता पार्टी और लोकतांत्रिक पार्टी में सम्मिलित होकर सदस्यता ग्रहण कर ली है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिन माननीय सदस्यों ने इस प्रकार की सदस्यता ग्रहण कर ली है, उनको सदन में इस बात की घोषणा करने की इजाजत दे दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

तीन दिन प्रतीक्षा करने के बाद हम घोषणा करते हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, पहले ही घोषणा कर दें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रक्रिया नहीं रही है कि जो-जो हो, कहीं एक दल से दूसरे दल में जाय तो खड़ा होकर सूचित करे। अगर आप चाहेंगे, तो मैं सूचना दे सकता हूं 3 दिन के बाद। लेकिन अगर सबका आग्रह हो और आज सदन खत्म हो रहा है, तो सब काम खत्म करने के पश्चात् आज भी सूचना दे सकता हूं।

सवाल यह है कि अगर कल परसों सदन न हो और आज समाप्त होने को हो तो सब काम समाप्त होने के बाद आखिर में मैं घोषणा कर सकता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ)—

श्रीमन्, बोलने के लिए समय तो निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त मेरे पास जो बोलने वालों की सूची आई है, वह बहुत लम्बी सूची है। इसलिए यह सुझाव आया है कि बोलने के लिए समय निर्धारित कर दिया जाय। 21 नाम आए हैं, जनता पार्टी से और 7 नाम लोकतांत्रिक कांग्रेस से, 3 कम्युनिस्ट पार्टी से और 7 नाम कांग्रेस से। लोकतांत्रिक कांग्रेस की दो लिस्ट हैं सात-सात नामों की तो इस तरह से काफी संख्या है। श्री मोहन लाल कपूर का सुझाव है कि सब बोलने वालों को पांच-पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाय।

श्री भगौती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मैंने लिखकर नहीं दिया है लेकिन मुझे भी सुनने का मौका दिया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

कम्युनिस्ट पार्टी के तीन नाम दिए हैं, लेकिन उसकी तरफ से केवल माननीय भीखा लाल जी बोलेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि उनको आप पूरा मौका दें।

श्री अध्यक्ष—

जो दल के नेता हैं उनको 25 मिनट समय देंगे लेकिन जो और माननीय सदस्य हैं उनको पांच-पांच मिनट के अन्दर ही सन्तोष करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि सब को बोलने का मौका मिले या ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलने का मौका मिले।

श्री शारदा भक्त सिंह (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सदन का समय चाहे बढ़ा दीजिए। 10 मिनट से कम कोई क्या बोलेगा ?

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा और उनके धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर चर्चा उस समय हो रही है जबकि हमारे देश में लोक सभा का चुनाव सम्पन्न हो चुका है और सारा देश जानता है कि इस बार लोक सभा का चुनाव पिछली लोक सभा के चुनाव की तरह से नहीं था बल्कि एक असाधारण चुनाव था और इस चुनाव में हमारे देश की जनता ने बड़ा जबरदस्त मैनडेट दिया है और वह मैनडेट सिर्फ साधारण मैनडेट नहीं है, हमारे देश की जनता ने इन्तकाम की भावना से वोट किया है।

---

†30 मार्च, 1977 की कार्यवाही से।

[श्री भीखा लाल]

इन्तकाम सरकार की जो नीतियां रही हैं और जनता जिन गलतियों को समझे हुई थी और जिसके कारण प्रदेश की जनता दुखी थी, उसके विरोध में यह मैनडेट किया और यह मतदान लोकसभा का हुआ। मान्यवर, मैं समझता हूं कि शासक दल को सोचना चाहिए, चिन्तन करना चाहिए कि कौन-सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से जनता में इतना रोष पैदा हुआ और इतना जबरदस्त मैनडेट कांग्रेस और शासन के खिलाफ हुआ। इस प्रदेश की सरकार को सोचना चाहिए और सोच कर अपनी नीति में इस प्रकार की घोषणा करनी चाहिए जिससे हम जनता को सन्तुष्ट कर सकें। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस किस्म का कोई संकेत नहीं है कि सरकार को कुछ चिन्ता है और जनता में जो असन्तोष था उन नीतियों के सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई चीज हो।

मान्यवर, जनता ने किन चीजों के खिलाफ मतदान किया है, किन चीजों के खिलाफ नहीं किया है। जनता का मैनडेट देश की बुनियादी नीतियों के विरोध में नहीं है। मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता ने जो मैनडेट किया है वह हमारे देश की समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता की नीति के विरोध में नहीं किया है, हमारे देश की जनता ने हमारे देश की विदेशी नीति के विरोध में यह मैनडेट नहीं किया है या जो जनता का मैनडेट है वह हमारे देश की साम्राज्य विरोधी नीति के विपरीत नहीं है। जनता का मैनडेट जो हमारे देश की नान-एलाइनमेंट पालिसी है, तटस्थता की नीति है उसके विपरीत नहीं था। इस जनता का मैनडेट हमारे देश की आत्म निर्भरता की नीति, देश को अपने पैरों पर खड़े होने की नीति के विरुद्ध नहीं था। इस जनता का मैनडेट हमारी इकोनामिक पालिसी के विरुद्ध नहीं था। इस जनता का मैनडेट समाजवादी देशों से मित्रता करके उनके सहयोग से अपने देश को आगे बढ़ाने की जो नीति है उसके विपरीत नहीं था। इस जनता का मैनडेट जो सार्वजनिक क्षेत्र में कारखानों को लगाने की नीति है उसके विपरीत नहीं था। इस जनता का मैनडेट देश में राष्ट्रीयकरण की जो नीति अपनाई गयी थी उसके विपरीत नहीं था। चुनाव के दौरान किसी भी दल ने, किसी पार्टी ने इन चीजों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। तो कौन सी चीज है जिनके खिलाफ जनता का मैनडेट है? पहला प्रश्न यह है कि जो हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गयी उसका दुरुपयोग हुआ, उसके खिलाफ जनता का मैनडेट है। इमरजेंसी देश में किस उद्देश्य को लेकर लगाई गयी थी? जो उस समय अराजकता थी, उसको रोका जाय, चोर बाजारियों, स्मगलर्स को पकड़ा जाय और उनको सजा दी जाय इन चीजों को ध्यान में रख कर इमरजेंसी लगाई गयी थी। यह भी आश्वासन दिया गया था कि इमरजेंसी का प्रयोग जनता के जनमत के अधिकारों के ऊपर नहीं किया जायगा। इसका प्रयोग मजदूरों को उनके अधिकारों पर नहीं किया जायगा। इसका उपयोग राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ नहीं किया जायगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस पवित्र उद्देश्यों के लिए इमरजेंसी लगाई गयी थी, जिसका समर्थन किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद इमरजेंसी के उद्देश्यों के विपरीत अमल शुरू हो गया। जनता की जबान बन्द कर दी गयी। अखबारों पर सेंसर लगा कर उनकी आजादी को छीन लिया गया और नौकरशाही को इतने अपार अधिकार दे दिए गये कि जरा-जरा से मामलों में डी0आई0आर0 और मीसा का प्रयोग करके हजारों बेगुनाहों को जेलों में डाल दिया गया। कोई आदमी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कोई चीज नहीं कह सकता, अगर कहेगा तो फौरन उसको मीसा या डी0आई0आर0 में डाल दिया गया। इस तरह से इमरजेंसी का दुरुपयोग किया गया। लेकिन इसको जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और अपने मैनडेट को इमरजेंसी के खिलाफ दिया।

मान्यवर, इस इमरजेंसी के दुरुपयोग में सभी सीमाएं पार कर दी गयीं और देश में उस समय जो कुछ हुआ उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में नहीं मिलती। असाधारण दुरुपयोग किया गया। हमारे देश में 2 प्रधान मन्त्री हो गए। एक संवैधानिक प्रधान मन्त्री

श्रीमती इंदिरा गांधी और एक गैर-संवैधानिक प्रधान मन्त्री श्री संजय गांधी। यह 2 प्रधान मन्त्री हो गए। गैर-संवैधानिक प्रधान मन्त्री श्री संजय गांधी थे, उनके अधिकार और उनका हस्तक्षेप इतना बढ़ गया कि वह प्रधान मन्त्री से भी ज्यादा हो गए। उनके अधिकारों और हस्तक्षेप को बढ़ाने में कोई संकोच श्रीमती इंदिरा गांधी ने नहीं किया और पूरा आशीर्वाद और समर्थन दिया। अगर आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त नहीं होता तो इस तरह के हस्तक्षेप वह न करते। उन्होंने अपना एक गुट बना लिया। हर क्षेत्र में उनकी दखलन्दाजी बढ़ गयी। केन्द्र सरकार के हर विभाग में दखलन्दाजी, बैंकों के प्रशासन में उनकी दखलन्दाजी। हर मामले में उनकी मर्जी चलने लगी कोई अधिकारी उनकी मर्जी का नहीं है तो उनकी मर्जी का रखा गया। केन्द्र सरकार में पूरा हस्तक्षेप शुरू हो गया। प्रदेशों की सरकारों में भी उनका हस्तक्षेप शुरू हो गया। जहां कहीं मुख्य मन्त्री उनकी मर्जी का नहीं है, उनको एक-एक करके उन्होंने झटकना शुरू कर दिया। शुरूआत अपने उत्तर प्रदेश से हुई, बहुगुणा जी हटाए गये। (व्यवधान) श्री बहुगुणा को क्यों हटाया गया था यह जो नकली प्रधान मन्त्री थे वह उनसे संतुष्ट नहीं थे। श्री बहुगुणा श्री संजय गांधी को सलाम करने नहीं जाते थे इसलिए उन्होंने पहला शिकार श्री बहुगुणा को, दूसरा शिकार नन्दनी सत्पथी को बनाया और तीसरा शिकार श्री सिद्धार्थ शंकर राय को बनाने जा रहे थे, लेकिन वहां की कांग्रेस पार्टी ने उनको बचा लिया। यह गिराने की योजना उनके खिलाफ बनती थी कि जो उनकी 'जी हुजूरी' नहीं करते थे। नतीजा यह था कि पूरे प्रदेश की सरकारें उनके पैरों पर लोटने लगीं और उनका स्वागत असली प्रधान मन्त्री से ज्यादा होने लगा। हमारे वहां जहां वह आए उनके स्वागत में लाखों रुपया खर्च किया गया।

सरकारी मशीनरी का और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। पूरा मंत्रि मंडल संजय गांधी के स्वागत के लिए लाइन लगाकर खड़ा होता था। यह स्थिति यहां पैदा हो गई थी। इसलिए एक समय आ गया कि यह स्थिति जनता के बर्दाश्त से बाहर हो गई। लिहाजा यह मैनडेट इस इमरजेंसी के दुरुपयोग के खिलाफ है जिसने नकली प्रधान मन्त्री खड़ा करके तमाम अधिकारों को अपने हाथ में ले लिया। उनके अधिकार और सम्मान को बढ़ाने का एक नमूना यह भी है कि प्रधान मन्त्री ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम घोषित किया था उसके साथ-साथ संजय गांधी का गैर-सरकारी 5 सूत्री कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम बना दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 20 सूत्री कार्यक्रम को पीछे ढकेल दिया और 5 सूत्री कार्यक्रम आगे आ गया और उसमें भी एक सूत्री कार्यक्रम परिवार नियोजन सर्वोपरि था। चूंकि सरकारें और सरकार के मुख्य मन्त्री समझते थे कि संजय को खुश न किया गया तो कुर्सी हमारी खतरे में पड़ जायगी। इसलिए उनको खुश करने के लिए परिवार नियोजन में जो भी ज्यादतियां की गयीं उनका वर्णन सदन में कई बार हो चुका है। कौन सी ज्यादतियां नहीं की गयीं। रास्ते में चलते लोगों को पकड़ा गया, बाजार में पकड़ा गया और यहां तक कि बसों को डाइवर्ट करके अस्पताल ले जाया गया और उन लोगों की नसबन्दी की गयीं। हालत यह हो गयी कि बाजार लगना बन्द हो गया और जबर्दस्ती की इन्तहा कर दी गयी।

श्रीमन्, मुजफ्फरनगर में 40 लोग परिवार नियोजन के सिलसिले में मारे गए, सुल्तानपुर में 11 मारे गए, बस्ती में 4 हमारे कर्मचारी मारे गए। अन्य स्थानों पर भी ऐसी ही वारदातें हुयीं। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में चुनाव में भूतपूर्व प्रधान मन्त्री और मंत्रिगण यह कहते हुए सुने गए कि जो ज्यादतियां हुयीं उनकी हमें शिकायतें नहीं मिलीं और हमें मालूम नहीं हुआ। इसलिए आप लोग शिकायत करें तो हम कार्यवाही करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि उन घटनाओं को जिसके सम्बन्ध में हाल में हमारा प्रदेश और देश ही नहीं सारी दुनिया जानती थी उन मामलों में कौन सी कार्यवाही हुई किसको क्या सजा

[श्री मीखा लाल]

दी गयी। मुजफ्फरनगर में 40 हत्याएं कर दी गयीं तो उन हत्यारों के खिलाफ कौन कार्यवाही की गई और क्या सजा दी गयी है ?

मान्यवर, मुजफ्फरनगर की ऐसी भयावह घटना थी कि इमरजेंसी के कारण यह सरकार टिकी रही वरना सामान्य स्थिति में यह सरकार टिक नहीं सकती थी। मुजफ्फरनगर में डी0एम0 ने उन बेगुनाहों पर गोलियां चलवायीं तो उनको क्या सजा दी गयी ? मान्यवर, सजा की जगह उनको प्रोमोशन दिए गये हैं। वहां के म्युनिसपल बोर्ड चेयरमैन जो कि संजय गांधी की मारुति कम्पनी का डाइरेक्टर था उसको प्रोमोट किया गया। बजेन्द्र यादव जो अपने को दादा कहते थे वह संजय के मुंह लगे अधिकारी थे और अपनी मनमानी करते थे। चेयरमैन को इलेक्शन के समय में यू0 पी0 एक्सपोर्ट कारपोरेशन का चेयरमैन बनाया गया।

ऐसे भ्रष्ट आदमियों को नसबन्दी के नाम पर इनाम दिया गया। इन लोगों ने नसबन्दी के कैम्प लगाने के नाम पर जनता से लाखों रुपया वसूल किया जिसका कोई हिसाब नहीं है। रिक्शे वालों से, तांगे वालों से 27 हजार रुपया वसूल किया गया और कहा गया कि वापस किया जायगा लेकिन आज तक नहीं वापस किया गया। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि इस घटना के सम्बन्ध में कौन सी सजा किसको दी गयी। कोई जुडिशियल इनक्वायरी नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में जुडिशियल इनक्वायरी की जाय। ट्रांसफर कर देना कोई सजा नहीं है। फौरन मुअत्तल किया जाय, जुडिशियल इनक्वायरी की जाय तब इन पापों का प्रायश्चित होगा और जनता समझेगी कि उसके मैनडेट की इज्जत सरकार ने की। सुल्तानपुर के मामले में, इसी प्रकार के अन्य मामलों में जांच कराई जाय और दोषी व्यक्तियों को सजा दी जाय। कहा यह गया कि सूचना दीजिये हम सजा देंगे। मैं कहना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी से कि कम से कम पचास चिट्ठियां मैंने प्रशासन को भेजी हैं जिनमें इस बात की शिकायत है कि जो व्यक्ति लक्ष्य दम्पति में नहीं हैं या जिनकी उम्र 60–70 साल की है या जो अविवाहित हैं उनकी नसबन्दी करा दी गयी। अन्तरिम उत्तर पी0ए0 के दस्तखतों में जो हमारे पास आ गए हैं कि जांच कराई जायगी। आज तक इन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। सूचना देने पर भी किसी को सजा नहीं दी गई। इन्तहा कर दी गयी। तो यह इमरजेंसी का शासन ला कर के, जनता की मजबूरियों का फायदा उठा कर के जो ज्यादतियां की गयी हैं उनके खिलाफ जनता का मैनडेट है।

मान्यवर, इसके अलावा इमरजेंसी की ही आड में जनता के विभिन्न वर्गों में हमला किया गया, उसके खिलाफ मैनडेट है। इसी इमरजेंसी के दौरान मजदूरों का बोनस जो बड़े संघर्षों के बाद उन्हें मिला उसे काट दिया गया। आज कोई घोषणा नहीं है कि उसे वापस किया जायगा। मजदूर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता, अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। मजदूरों से कहा गया कि हड़ताल मत करो, उत्पादन बढ़ाओ। उसने उत्पादन बढ़ाया। आपके सार्वजनिक क्षेत्र में इमरजेंसी के दौरान उसने मुनाफा करवाया, लेकिन उद्योगपतियों से, मिल मालिकों से कहा गया कि तालाबन्दी न करो। कितने कारखाने छोटे-बड़े इस उत्तर प्रदेश में इमरजेंसी के दौरान बन्द नहीं हुए ? किसी अधिकारी के खिलाफ, मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी मीसा या डी0आई0आर0 के अन्तर्गत ? मजदूर जरा भी अगर अपनी आवाज उठाए तो डी0आई0आर0 में बन्द हो जाता है।

(इस समय 1 बजकर 3 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

हमारे प्रदेश के करीब 45 हजार बिजली मजदूरों के तनख्वाह के फिक्सेशन के मामले काफी दिनों से पेंडिंग हैं। अप्रैल, 74 से वेज बोर्ड खत्म हो गया। इस इमरजेंसी में मजदूरों ने मेमोरेंडम दिया ताकि सरकार कोई कार्यवाही कर सके लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई।

मैं बिजली मन्त्री से आग्रह करना चाहता हूं कि उनके मामलों पर विचार हो। बिजली मजदूरों ने हड़ताल की नोटिस दिया है। मैं नहीं चाहता कि बिजली विभाग में हड़ताल हो और हमारा जीवन अस्त-व्यस्त हो। उनकी मांगों पर विचार किया जाय। सरकार की ओर से कहा गया है कि कमेटी बैठा दी जायगी जो इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। किसी मामले को टालना हो तो कमेटी बैठा दी जाती है। इसलिए कमेटी के बजाए द्विपक्षीय वार्ता कराइए, बोर्ड का आदमी, मजदूरों का प्रतिनिधि बैठाइए, लेबर कमिश्नर को बैठाइए आमने-सामने बात कराइए ताकि उनके मामले तय हो सकें।

मान्यवर, लगान बेहद तरीके से बढ़ाया गया। कहा गया कि बन्दोबस्त करेंगे। बन्दोबस्त अधिकारी मुकर्रर हो गए लेकिन बन्दोबस्त नहीं कराया गया। एडहाक तरीके से पांच गुना, छः गुना, सात गुना यहां तक दस गुना तक लगान बढ़ाया गया। मुख्य मन्त्री जी कहेंगे मैंने तो घटा कर आधा कर दिया। मैं जानता हूं आपने जनता को कई इलेक्शन बोनस दिए हैं। यह भी इलेक्शन बोनस है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। आज काश्तकार हमारे देश का दुखी है। जो सपोर्ट प्राइस आपने मकर्रर की जैसे गेहूं की 105 रु0 और धान की 76 रुपये उसको तो आप किसान को दिला नहीं पाये लेकिन लगान आज बढ़ाते जा रहे हैं सिंचाई दर डेढ़ गुना कर दी गयी, बिजली का रेट 10 रु0 से 15 रु0 हार्स पावर कर दिया गया और यह सब इमरजेन्सी के दौर में हुआ। इन सब चीजों को दूर किया जायगा या नहीं आप इस पर गौर करें। पिछली सरकार जो दिल्ली में थी वह नहीं रही लेकिन जाने से पहले उसने अपनी गलतियों पर विचार किया और इमरजेंसी को हटा दिया। मीसा में बंद लोगों को छोड़ दिया लेकिन आपने कौन सा कदम उठाया है? मैं मांग करता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन सब बातों पर विचार करें और आज ही सदन में स्पष्ट घोषणा करें। मैं आपसे मांग करता हूं कि बढ़ी हुई लगान की दरों को वापस लिया जाना चाहिये, बढ़ी हुई सिंचाई खत्म की जानी चाहिये, कमांड टैक्स समाप्त किया जाना चाहिये। बिजली का टैक्स जो 15 रु0 फी हार्सपावर कर दिया गया है घटाकर 10 रु0 किया जाय। शासन को यह घोषणा करनी चाहिये कि विद्यार्थियों की फीस जो कि बढ़ाकर कई गुना कर दी गयी है उसको वापस करके जो पिछले साल थी वही रखी जायगी। सरकार केन्द्रीय शासन से यह सिफारिश करे कि मजदूरों का बोनस जो 8.33 प्रतिशत है उनको दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में यह प्रश्न काफी दिनों से लटका हुआ है कि शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। यह प्रश्न प्रदेशीय और केन्द्रीय सरकार के बीच में शटल काक की तरह घूम रहा है। आप यह जोरदार सिफारिश केन्द्रीय सरकार से करें कि प्रदेश की सभी शुगर मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

अन्त में मैं एक बात उपाध्यक्ष महोदय, कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। इस चुनाव के दौर में 2 मुद्दे सामने आये जो हमको सुनने को मिले जिनके ऊपर कि चुनाव लड़ा गया। एक तो यह कि प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की तरफ से कहा जाता था कि केन्द्र में एक स्टेबुल गवर्नमेंट की जरूरत है और स्टेबुल गवर्नमेन्ट कांग्रेस ही दे सकती है। बहरहाल कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है और जनता पार्टी की सरकार है वह स्टेबुल है या नहीं इस पर टीका करने का समय नहीं है और उसको हम आगे जज करेंगे। दूसरा प्रश्न यह उठाया गया जनता पार्टी की तरफ से कि देश में जनतंत्र की रक्षा के लिये जनता पार्टी को वोट दो, कांग्रेस पार्टी को हराओ, जनतंत्र की रक्षा होनी चाहिये। बहरहाल यह महसूस हो रहा था लोगों को कि जनतंत्र खतरे में है और अब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार है और मुझे उम्मीद है कि अब जनतंत्र की रक्षा होनी चाहिये परन्तु चुनाव होने के फौरन बाद ही केन्द्र में सरकार बनाने के पहले ही इस बात की घोषणायें होने लगीं कि प्रदेशों की तमाम विधान सभाओं को भंग करके चुनाव कराये जायेंगे। (विरोधी दल की ओर से कई आवाजें : नहीं नहीं, ऐसा. . . . .) क्या यही जनतंत्र की रक्षा है कि संविधानिक तौर पर चुनी हुई विधान सभाओं को भंग किया जाय। हमारे प्रदेश में यही प्रयास चल रहा है।

[श्री मीखा लाल]

उत्तर प्रदेश की विधान सभा का टर्म अभी समाप्त नहीं हुआ है और इस विधान सभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे प्रयासों का डटकर मुकाबला करेगी। (शासकीय दल की ओर से तालियों की आवाजें) और विधान सभा को भंग होने और राष्ट्रपति शासन लागू होने पर बचायेगी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल जी ने जो ऐड्रेस दिया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया समय का ध्यान रखियेगा।

(भयंकर शोर)

श्री उपाध्यक्ष--

जरा माननीय सदस्य शांतिपूर्वक बैठने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद शकील अहमद--

जो पिछला चुनाव लोक सभा का हुआ है उसके अन्दर और उसके अंजाम में एक नयी सरकार, पहली बार, एक गैर कांग्रेसी सरकार केन्द्र में बनी है इस हकीकत से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जनता ने कुछ नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है और यह साबित कर दिया है कि वह इन नीतियों को पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं एक बात सफाई के साथ कहना चाहता हूं और वह यह है कि कांग्रेस पार्टी लोक सभा के चुनाव में हार गई लेकिन हम लड़ाई नहीं हारे हैं और हम संघर्ष करेंगे उन चीजों को ले कर जिनको लेकर आगे बढ़ना है। बहुत सी चीजों को लोक सभा के चुनाव ने साफ कर दिया है और उनकी रोशनी में हमको विचार करना होगा क्योंकि सच्चाई से कतराने से अथवा आंख मूंदने से मामलों पर असर पड़ने वाला नहीं होता। यह बात सही है कि जो मीसा लगाया गया, राजनीतिक लोगों को बन्द किया गया उसे देश की जनता ने स्वीकार नहीं किया। देश की परम्परा ऐसी रही है कि आदमी के बोलने की आजादी अगर छीनी जाय या उसे बिना मुकदमे के बन्द किया जाय तो कोई उसे पसन्द नहीं करता। इन बातों से कांग्रेस को सबक लेना होगा और नई दिशा में चलना होगा। कुछ अन्य बातों की ओर भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। अब तक जो कुछ होता था तो अपोजीशन यह कहा करता था कि कांग्रेस उसके लिये जिम्मेदार है।

पिछले चुनाव के बाद जब विधान सभा के अन्दर बैठक हुई तो विरोधी दल के नेता ने इस चुनाव के बारे में यह कहा था कि चुनाव में गड़बड़ियां की गयीं और बैलट पेपर इध से उधर किये गये, लेकिन भूतपूर्व प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने डेमोक्रेसी को कायम रखने के लिये ऐसी स्थिति में भी चुनाव कराये और यह सिद्ध कर दिया कि प्रजातंत्र जो है वह इस देश में बड़ा है, सरकार बड़ी चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, जो नई सरकार बनी है उसके समाजवादी नेता डाक्टर राम मनोहर लोहिया कहा करते थे कि जब केन्द्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी तो उसका आधार यह होगा कि किसी का वेतन 100 रु0 से कम नहीं होगा और 1,000 से ज्यादा नहीं होगा। मुझे आशा है कि नई केन्द्रीय सरकार के प्रधान मंत्री का वेतन और केन्द्रीय सरकार के चपरासी के वेतन के बीच में एक और दस से ज्यादा का फर्क नहीं होगा। चीजों के दाम बांधे जायेंगे, जो विवाद को हटाया जायगा। जिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिन सिद्धान्तों की दुहाई दी जाती थी उनको पूरा किया जायगा। उत्तर प्रदेश में न केवल कांग्रेस हारी है बल्कि प्रधान मंत्री बनाने में जो प्रदेश का अपर हैंड हुआ करता था वह भी खत्म हुआ है। लेकिन मुझे आशा है कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सौतेली मां जैसा व्यवहार नहीं करेगी और प्रदेशों में जो अन्य पार्टीज की सरकारें हैं उनको काम करने दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नर एड्रेस का समर्थन करता हूं।

*श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हालांकि कांग्रेस लोक सभा का चुनाव हार गयी है लेकिन उसने वायदा किया था कि बढ़ी हुई मालगुजारी को वह माफ कर देगी, विकास कर को खत्म कर देगी। लेकिन इस अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। जैसा भीखा लाल जी ने कहा—आज प्रदेश के अन्दर बिजली का सवाल है। कल मैंने सवाल उठाया था कि पूरे पूर्वी प्रदेश में बिजली की कटौती हो रही है और किसानों को केवल एक या दो घंटा बिजली मिल पाती है जिससे गन्ने की बुवाई नहीं हो पा रही है। सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चहिये ताकि किसानों को बिजली मिल सके। माननीय मुख्य मंत्री उठ कर चले गये हैं लेकिन मैंने देखा था था चुनाव के दौरान कि वह श्री संजय गांधी से भयभीत रहते थे। पिछले 10/11 नवम्बर को सदन चल रहा था। माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने सवाल उठाया था। हम लोग भी सदन में थे। उसके बाद हम तीन-चार आदमियों का पैरोल कैंसिल किया गया और वारेन्ट किया गया, गिरफतारियां हुईं। कुछ लोग माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलने के लिये गये किन्तु कहा गया कि राम अधार, मधुकर दिघे आदि लोग देवरिया में संजय गांधी के खिलाफ परचा बांट रहे थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं कि श्री संजय बाबू को जनता ने ठुकरा दिया है। हाई कोर्ट से चुनाव हारने के बाद आपकी पार्टी के प्रधान मंत्री जी प्रजातंत्र को दुहाई देती हैं, को जनता ने ठुकरा दिया है और भागते-भागते इमरजेन्सी को वापस ले लिया, तस्करों को छोड़ दिया है, डकैतों को छोड़ दिया है। आज भी कुछ लोग आपकी पार्टी में ऐसे बचे हुये हैं।

आज नई सरकार के सामने यह एक प्राब्लम है कि कैसे इनके साथ काबू पाया जाय और कैसा उनके साथ व्यवहार किया जाय। इस इमरजेन्सी के दौरान में मैं चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो घोटाला किया है, कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने इस इमरजेन्सी के दौरान अपने मकान बना लिये हैं, उनकी जांच हो चाहे वह राज्य सभा का मेम्बर हों या विधान सभा का मेम्बर हों। मैं यह चाहता था कि राज्यपाल के अभिभाषण में इस बात की घोषणा होनी चाहिये थी। मेरा स्पष्ट आरोप है और जैसा कि मैंने एक प्रश्न में इस बात को पूछा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और विद्युत् परिषद् के जो चेयरमैन बालिगा साहब हैं, इनकी आपस में सांठगांठ है और वे चाहते हैं कि प्रदेश के किसानों को कम बिजली दी जाय ताकि दिल्ली की जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ एक माहौल बन सकें और वह ठीक से न चल सके। जनता पार्टी ने आपको ठुकरा दिया है। मैं मांग करता हूं कि यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार नहीं चला सकेंगे। यहां की जनता पार्टी के लोग ही आपकी सरकार को गिरा देंगे। इसलिये आप पहले ही स्वयं इधर चले आयें बाद में आयेंगे तो आपको टिकट भी नहीं मिलेगा इसलिये आप जल्दी से यहां आ जायं. . . . .

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

आपकी सरकार ने नसबन्दी का ऐलान नहीं किया, वह तो पहले होना चाहिये था. . . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय शकील साहब, आप बैठने की कृपा करें। आपने अपनी बात कह दी। उन्हें बोलने दें।

श्री रामअधार—

आपने कर्मचारियों के ऊपर ज्यादतियां कीं, आपने अध्यापकों के ऊपर ज्यादतियां कीं। उनके वेतन रोके। मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करावें। हमारे आजमगढ़ में कलेक्टर की जांच करवायें, पता चल जायेगा। आपने अधिकारियों पर दोष डाला है कि यह उनका दोष था। ये अधिकारी आपके ही तो थे। आप सत्ता पर बैठे थे। आप इसकी जांच करावें और अगर आप इसे फरजी समझते हैं तो इस्तीफा दें। माननीय प्रभु नारायण सिंह जी स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम प्रदेश में 4 लाख नसबन्दी करवायेंगे हमारे मुख्य मंत्री जी चाहते थे कि किस तरह से संजय गांधी को खुश किया जाय तो कहा कि 22 लाख नसबन्दियां प्रदेश में होंगी। इस प्रकार नारायण दत्त जी तिवारी आगे आये। यह सब प्रभुनारायण सिंह की वजह से हुआ है इसलिये हमारी मांग है कि वे इस्तीफा दें क्योंकि आज समय की मांग है। मुजफ्फरनगर और सुल्तानपुर में नसबन्दी के मामलों की जांच करवाई जाय। उत्तर प्रदेश कांग्रेसपार्टी के लोग कह रहे हैं कि यहां पर अधिकारियों ने विरोधी पार्टी को जितवा दिया है। जगह-जगह कांग्रेस के लोग यह कह रहे हैं। हम कहते हैं आपको जनता ने हरा दिया है, आप अधिकारियों पर इसका दोष न दें। मान्यवर, मैं इन शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि अभी समय है श्री लक्ष्मीशंकर यादव जैसे आदमी बैठे हुए हैं। आप सारे लोग इधर चले आये और नई सरकार बनाई जाय।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, मेरे माननीय सदस्य बहुत गर्मी से बोल रहे थे। समय उनका अभी नहीं आया (व्यवधान) आप शांत रहें। निश्चय ही कांग्रेस को अपनी गलतियों को महसूस करना चाहिये इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यवर, मैं बीच में बाधा पसंद नहीं करूंगा कृपा करके शांत रहें। मैं आपका ध्यान प्रदेश में हुए चुनाव की ओर ले जाना चाहता हूं। यह कहा जाता है कि चूंकि केन्द्र में कांग्रेस चुनाव हार गई इस लिये नारायणदत्त तिवारी जी को इस्तीफा देना चाहिये। क्या यह प्रजातांत्रिक बात है गांव सभा के मुखिया के चुनाव में अगर कोई हार जाय तो यहां से वह इस्तीफा दे ..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप अभिभाषण पर बोलें, प्रश्न से बाहर न जायं। आप कोई सुझाव दें।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं, उपाध्यक्ष महोदय आपसे भी निवेदन करूंगा कि मेरी बात सुनें। कृपा होगी आप न बोलें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बाध्य करेंगे।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

मैं अनुरोध कर रहा था। यह ठीक है कि हमारी कुछ गलतियां हुई हैं, उसका खामिआजा भुगत रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो माननीय सदस्य बहुत कह चुके हैं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

आप कहें तो मैं न बोलूं। आप अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें (व्यवधान) मैंने आपकी बात सुनी है मैं सुनने का कायल हूं (व्यवधान) ठीक है, इमरजेंसी तो हमारे देश के लोगों ने पसंद नहीं किया। इमरजेंसी में हमारे अधिकारियों ने ज्यादती की यह बात

सही है। हमें चेत कर के काम करना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस पर सख्ती से जहां-जहां परिवार नियोजन में गलतियां हुई हैं, जिन-जिन जिलों में घटनायें हुई हैं और जिन-जिन अधिकारियों ने ऐसा किया है उसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये और सख्ती के साथ होनी चाहिये। ट्रांस्फर कोई वायामीडिया नहीं है (व्यवधान) शांत रहें। आपकी इच्छा जनता पार्टी की सरकार बनने से बढ़ गई है। (व्यवधान) चौखम्भे में से एक खम्भा गिर जाय तो तीन खम्भे पर कोई सरकार नहीं चलेगी। इसलिये बहुत ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है। हमने गलतियां की हैं। सरकारें हर देश में बदला करती हैं। विरोधी पक्ष सबल होना चाहिये आपको भी सबलता के साथ काम करना चाहिये लेकिन जहां तक श्री नारायण दत्त तिवारी जी के इस्तीफा देने की बात है उसमें हमारा बहुमत है जब तक बहुमत रहेगा हम रहेंगे जब नहीं रहेगा हम छोड़ देंगे। मेरे दोस्त अभी समय है। हम सरकार से निवेदन करेंगे उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि बिजली की दर जो बढ़ी हुई है वह घटाई जाय, सिंचाई के मामले में जो एक्सट्रा लगा हुआ है वह समाप्त किया जाय, बढ़ा हुआ लगान भी समाप्त किया जाय। बिजली मजदूरों की जो बात कर रहे थे उनका मामला भी द्विपक्षीय वार्ता से तय किया जाय और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाय। हड़तालों से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। (व्यवधान) परिवार नियोजन के मामले में हमारे भाई श्री राजनारायण जी डिक्लेयर कर दें कि परिवार नियोजन नहीं होगा।

एक सदस्य—
कर दिया है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—
डिक्लेयर नहीं किया है

श्री उपाध्यक्ष—
आप अपनी बात कहें। आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—
मैं निवेदन कर रहा था कि जो गलतियां हुई हैं उनको महसूस करें। आपने काश्मीर में विधान सभा को भंग कर दिया वहां पर 73 सदस्यों की विधान सभा में कांग्रेस के 46 आदमी थे हमारा बहुमत था। आपने क्यों जबरदस्ती भंग कर दिया यह अप्रजातांत्रिक बात की शुरुआत की है जैसा कि माननीय सदस्य भीखा लाल जी कह रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष—
आप समाप्त करें।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—
उन्होंने शुरुआत कर दी है विपक्ष की (कांग्रेस) सरकारों को हर प्रांतों में डिजाल्व करना चाहते हैं। क्या यह प्रजातंत्र की गरिमा है? इंदिरा गांधी ने दिखा दिया देश में चुनाव करवा कर और जो उनकी पराजय हुई उसको उन्होंने स्वीकार किया। आप लोग प्रजातान्त्रिक बात करते हैं, लेकिन जरा उसका दिल देखिए। मैं इन शब्दों के साथ जो कुछ भी हमारे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में है, उसकी ताईद सख्ती से करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—
आपने कल मेरा नाम काट दिया था, इसलिये मैं आज चालू किये देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—
आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि विरोधी दल के दो और कांग्रेस पक्ष का एक आदमी बुलाया था, इसलिये कि विरोधी पक्ष को ज्यादा मौका मिले।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मैं आपके माध्यम से अपने कांग्रेसी साथियों से कहना चाहता हूं कि आज जो जनता ने मैनडेट दिया है, वह उत्तर प्रदेश में नहीं समूचे हिन्दुस्तान और खासकर उत्तरी भारत में मिला है और उसके बाद आपके दिलो-दिमाग में कोई शुबहा नहीं रहना चाहिये कि जनता आपके साथ है। आज चार-पांच दिनों से यह देखा जा रहा है कि मंत्रिगण अपने एक-एक विधायक को घेरे हुए हैं। उनको एक मिनट का समय भी नहीं देते हैं कि वह कुछ सोच सकें। जो माहौल आज बन गया है, उसे आप इस तरह से रोक नहीं सकते हैं। (व्यवधान) यह आपके रोकने से नहीं रुकेगा। लोकनायक जयप्रकाश जी ने कहा है कि जनतन्त्र में जनता को अधिकार है कि वह अपने चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुला सकती है। अब समय आ गया है, जनता आपको वापस बुलाएगी और आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज आपकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में तबाही मचा दी है। कहीं पानी का रेट बढ़ रहा है कहीं कुछ बढ़ रहा है। मेरे क्षेत्र करछना में समूची फसल नष्ट हो गयी है। किसान रो रहा है। आज बिजली नहीं मिल रही है। तमाम मिलें बन्द हैं। बेकारी इमरजेंसी के दौरान बढ़ गयी है। लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं और आप कहते हैं कि खुशहाली बढ़ रही है। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब बाबू सम्पूर्णानन्द जी उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे और पी0 सी0 सी0 का चुनाव हुआ था, उसमें उनके दल के लोग हो गये थे। उस समय लोक सभा और विधान सभा के चुनाव भी नहीं हुए थे, उन्होंने उस चुनाव के मौके पर कहा था कि यदि हमारा कैन्डीडेट हार जायगा, तो हम इस्तीफा दे देंगे और उन्होंने मुख्य मंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया था।

मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि आज यह जो मैनडेट आपको मिला है, आपका सफाया हो चुका है। उसके बावजूद आप कुर्सी से अब भी चिपके रहना चाहते हैं। आपने विधायकों के मध्य एक भ्रम पैदा किया है कि यहां विधान सभा का चुनाव कराया जायगा। यह एक दम गलत बात है। कहीं ऐसी बात नहीं है। यदि आपकी सरकार टूटती है तो कोई चुनाव कराने की बात नहीं है। यह आप भ्रम में मत डालिए। ज्यादा दिन आप भ्रम में नहीं किसी को डाल सकते हैं। परिवार नियोजन के नाम पर आप कहते हैं कि इंक्वायरी कराएंगे। मैं इसमें एक मांग करना चाहता हूं कि डी0 आई0 आर0 और मीसा में जो लोग मर गये हैं, उनके परिवार वालों को आपको उचित कम्पेन्सेशन देना चाहिये। इसके अलावा तमाम लोग डी0 आई0 आर0 में बंद हैं, उनके बारे में आप कहते हैं कि वह छोड़े जाएंगे, सचिव से मालूम करके बताऊंगा। लेकिन जब गिरफ्तार करना था तब तो आपने एक रात्रि में सबको कर लिया और छोड़ने में विचारविमर्श कर रहे हैं, आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, लिखा-पढ़ी कर रहे हैं। क्या आपके अधिकारियों के पास आंकड़े नहीं हैं? फिर देर क्यों लगती है?

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

श्रीमन्, यह अपने क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के लिये वोट मांग रहे थे। मैं इनका पूरा इतिहास जानता हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप इनको बोलने दें इनका समय समाप्त हो रहा है।

श्री रेवती रमण सिंह—

काशी नाथ जी को जानकारी तो है नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

इन्होंने जनेश्वर मिश्र का विरोध किया था।

*श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। ऐसा लगता है इस सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बजाय (व्यवधान) राज्यपाल के अभिभाषण पर वह सूबे के राष्ट्रपति हैं, उसके बजाय ऐसा लगता है कि इस पर चर्चा करेंगे कि सरकार इस्तीफा दे या न दे, यह झगड़ा चल रहा है। 12 जून, 1975 को हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री हाई कोर्ट से मुकदमा हारीं। हम लोगों ने और हमारे नेताओं ने देश और प्रदेश की जनता ने .... (श्री काशी नाथ मिश्र द्वारा कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी यह मुनासिब बात नहीं है। माननीय सदस्य को विचार व्यक्त करने दें। आप बैठने की कृपा करिए। आप बार-बार व्यवधान करते हैं।

(शोर)

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैं यह अर्ज कर रहा था कि देश की जनता ने और विरोधी दल के नेताओं ने यह मांग की कि वह इस्तीफा दें। मगर बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वह बहुत नाराज हुईं। आज उसका नतीजा आपने देखा। मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता। आप लोग चुनाव हारे हुए हैं। यह बात दोहराने की जरूरत नहीं है। आपकी कठिनाइयों को महसूस करता हूं, आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। आप गलतियों को महसूस कर रहे हैं। अच्छी बात है। मगर एक बात याद दिलाना चाहता हूं, केवल यह गुजारिश किया था प्रधान मंत्री से कि कानूनन वह इस्तीफा दें मगर आप को जुडिशियरी का आदर करके इस्तीफा देना चाहिये। केवल यह रिक्वेस्ट किया था।

(शोर)

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमने मौका दिया जुडीशियरी को आपने बीच में मुकदमा वापस ले लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय काशीनाथ जी, आपकी सलाह कौन चाहता है? आप क्यों बीच-बीच में सलाह देने लगते हैं?

श्री लक्ष्मण सिंह—

भूतपूर्व प्रधान मंत्री नाराज हुईं। उन्होंने यह कहा कि इसका फैसला अदालतों से नहीं होगा, इसको जनता तय करेगी। आज जनता ने वह बात तय कर दी। वही बात माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं, अपने साथियों से कह रहा हूं कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए इस्तीफा देने की पाबन्दी नहीं है। आप इस्तीफा मत दीजिये। मगर नाराज मत होइये। अगर नाराज होंगे तो जैसे भूतपूर्व प्रधान मंत्री का दिल दिमाग और स्वास्थ्य देश की जनता ने ठीक कर दिया है आपका दिल दिमाग भी ठीक किया जायगा। आप उस समय का इंतजार कीजिये। एक बात अन्त में कहना चाहता हूं। यह देश गरीब है, यह प्रदेश बहुत गरीब है। गरीबी मिटाने का वादा 1971 में किया था बहुत पुराना वादा था, वह जनता ने देख लिया और आप अप्रजातांत्रिक तरीके से हाउस में घुसे रहे। दारुलशफा में सरकारी कारों का दुरुपयोग होता है, लंच और चाय सर्व करके सदस्यों को चिपकाये रखना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ समय तक रह सकें। लेकिन जनता की नब्ज भूतपूर्व प्रधान मंत्री जानती थीं, जितना अधिक चिपकेंगे उतनी ही कठि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लक्ष्मण सिंह]

नाई होगी। आप लोगों ने इस इमरजेंसी के दौरान जो ज्यादतियां की हैं, मेरे जिले के विधायक बैठे हैं, गोलियां चलवायीं। उस पर जनता ने मांग की कि उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच करायी जाये। इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)---

मान्यवर, जब मैं कल सदन में नहीं था तो माननीय बोस जी ने कहा था कि मैंने बांदा में कहा था कि श्री जय प्रकाश नारायण जी को गोली मार दी जाये। यह बिलकुल निराधार है। इसको मैंने नहीं कहा था।

श्री जगदीश अवस्थी (जिला कानपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, विरोध पक्ष के भाई ऐसा लगता है कि चुनाव के माहौल में निकले नहीं हैं। अभी एक महानुभाव बोल रहे थे जो जय प्रकाश नारायण जी की बात बहुत करते हैं। उन्होंने दो बातें कहीं हैं—एक तो यह कि मैं अपेक्षा करूंगा कि जनता पार्टी अपने संविधान में संशोधन करें कि चुने हुये प्रतिनिधियों को वापिस बुला लिया जाय और दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सभी विधान सभाओं के चुनाव करा दिए जाये क्योंकि जनता ने उन पर विश्वास प्रकट नहीं किया है और जो सरकार इस समय चल रही हैं उनको त्याग पत्र दे देना चाहिये। दूसरी ओर मोरार जी ने कहा कि रिकाल का राइट अव्यावहारिक है, हम सरकार को गिरायेंगे नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये बहुत बात करते हैं क्या यह विरोधाभास नहीं है? यह दोनों बातें कही गयीं। मोरार जी ने कहा कि हम किसी विधान सभा को भंग नहीं करेंगे। लेकिन जय प्रकाश नारायण ने कहा कि विधान सभाये भंग होनी चाहिये। आप बतायें कि दोनों बातों में विरोधाभास है या नहीं। जय प्रकाश का नारा लगाने वाले यही जनता सरकार को गिरायेंगे। वहां जो सरकार बनी बैठी है, वह जनता पार्टी की अकेली सरकार नहीं है उसमें अकाली और लोकतांत्रिक कांग्रेस के लोग बैठे हैं। आपने जय प्रकाश की बात को नहीं माना। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने आप पर विश्वास किया है वही जनता आपको मिटा देगी। आपकी पार्टी घृणा और क्रोध से जन्मी है और वह अधिक दिन तक चलने वाली नहीं है। आप क्रोध में आये हैं आप ने तानाशाही तरीका अपना कर के वोट लिया है। वह आपका वोट नहीं है। जिस जनमत से आप यहां पर आये हैं वही जनमत भस्मासुर होकर आपको भस्म कर देगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर लोक तान्त्रिक कांग्रेस के विधायक वह असली सिद्धान्त को मानते हैं तो सदन से त्याग पत्र देकर तब यहां पर उन्हें बैठना चाहिये। मैं कहता हूं कि यह बिलकुल झूठ है। मोरार जी ने कहा कि जो सरकारें टूटें वहां पर चुनाव करायेंगे। आप मेरी इस बात पर सोचें और समझें। भगवान आपको सदबुद्धि दे आप यहां आये और यहां पर बैठें आपके लिये यही स्थान है। यह जनता पार्टी आपको भ्रम में डाल रही है। सिंडीकेटी लोगों के साथ आपको नहीं बैठना है, उनको यहां पर इस ओर आकर बैठना चाहिये। हमारे प्रदेश की सरकार को गिराने की जो कोशिश की जा रही है, उससे हमें सावधान रहना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं महा महिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री काली चरण यादव (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति इस सरकार की क्या भावी नीति है और उसके दुःख दर्द को दूर करने के लिये क्या-क्या कार्यक्रम हैं, इस महामहिम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि इस सरकार को पता है कि हमें सरकार में रहना नहीं है। इन्हें जनता ने इनके दुष्कर्मों, कुकर्मों और पापों के कारण अगर दुतकारा है तो कोई दुःख की बात नहीं है। आज कुछ माननीय सदस्य स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ गल्तियां हुई हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिले से चुन कर आये हैं और जितनी भी छुट्टियां होती हैं, अधिकांश उनमें वे वहां रहते हैं जिससे तहसील के लोग बहुत परेशान रहते हैं। उन्होंने वहां पर कई सभाओं में भाषण दिया है कि कहीं पर जरूर कुछ अधिकारियों ने गड़बड़ी की होगी, लेकिन सरकार का ऐसा कोई आदेश नहीं था। माननीय मंत्री जी जहां पर रोज रहते हों और रोज मिलते हों वे सरकारी कर्मचारियों और खासकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को तथा अधिकारियों को इस प्रकार बुरी तरह से डांटा करते हैं कि जिस प्रकार पुराने जमाने में सामन्ती लोग, बड़े जमींदार लोग अपनी रियाया और मजदूरों को डाटा करते थे और अब चुनाव सभाओं में कहते फिरते थे कि कुछ गल्तियां जरूर हुई हैं, इसके लिये आप हमें क्षमा करें। नैतिकता का तकाजा है कि आप इस्तीफा दीजिए। चन्दोली में जब ध्रुवीकरण किया था और जो नैतिकता बची हुई थी वह सारी किताब में छपवाकर इन्दिरा जी को सपुर्द कर दी गई थी। मैं तो यह कहता हूं कि जिस सरकार के पास नैतिकता ही न हो, वह इस्तीफा दे या न दे, उन्हें जाना है और अगर नहीं जाते हैं तो जनता ही उन्हें हटा देगी। अब मैं आपके सामने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो कुकर्म किए हैं, उनको रखता हूं। इस आपातकाल में दो गर्दी चली हैं। एक पैसा गर्दी और दूसरी जाति गर्दी। यहां और आम आदमी भी यह कहता है कि उसका काम नहीं होता है जबतक कि वह पैसा लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास नहीं पहुंचता है। क्षेत्र में वहां जनता के बीच में जाति गर्दी चलाई है। इसका एक उदाहरण आपके समक्ष और रखना चाहता हूं। इनके क्षेत्र में एक भोला यादव है, इनके चम्चों ने उनसे कहा कि इसने प्रधान मंत्री को गाली दी। इन्होंने उसके बारे में राजस्व मंत्री जी से कह दिया तो उन्होंने आदेश दे दिए कि अगर वह अस्थाई है तो उसे बर्खास्त कर दो और अगर स्थाई है तो उसे ललितपुर (झांसी) में ट्रान्सफर कर दो। उसको बर्खास्त कर दिया गया। बाद में जिन लोगों ने कहा था, उन्होंने उसे कहा कि तुम 2 हजार रुपये दो तो हम बहाल करवा देंगे। चूंकि उसके पास रुपया नहीं था, वह गरीब अमीन था और दूसरे उसने कोई गल्ती भी नहीं की थी। उसे बहाल नहीं किया गया और इस तरह का काम हुआ है। आज ये अपनी नालायकी, अपनी बदमाशी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता उनको माफ नहीं करेगी चाहे वे कोई भी बहाने बाजी करते रहें। दूसरी बात यह है, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां एक बी0 बी0 सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट, गाजीपुर के परगनाधिकारी थे, उनका तरीका था कि इमरजेंसी के दौरान दुकानदारों को इत्तला देकर तलाशी लेने जाते थे। अगर पैसा मिल गया तो साफ कह देते थे कि कोई सामान नहीं मिला। हजारों रुपया बी0 बी0 सिंह ने कमाया है और उसके माध्यम प्रभुनारायण जी हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि सारी ज्यादतियां जो हो रही हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के कारण हो रही हैं उसकी जांच करायें और बी0 बी0 सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट परगनाधिकारी, गाजीपुर की विशेषरूप से जांच करायें।

एक और बात है कि हमारे जिले के भूतपूर्व एम0एल0ए0 जो 10 साल तक इस विधान सभा के सदस्य रहे हैं, श्री कमला सिंह उनको बी0 बी0 सिंह ने मिलकर उनका कत्ल कराने की साजिश की जो कि सिटी मैजिस्ट्रेट थे। उन्होंने दरख्वास्त दी अपनी सुरक्षा के लिये नेता विरोधी दल ने उनका प्रार्थना-पत्र माननीय अध्यक्ष को दिया और उन्होंने मुख्य मंत्री को दिया था कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय। उन्होंने बन्दूक के लाइसेन्स के लिये आवेदन पत्र भी दिया। वे दो बार इस सदन के माननीय सदस्य रहे हैं और सम्मानित वकील हैं, सरकारी वकील रह चुके हैं और इन्टेलीजेंस की रिपोर्ट यह है कि उनको बन्दूक का लाइसेंस

[श्री कालीचरण यादव]

दे दिया जाय, उनका जीवन खतरे में है, लेकिन इस बी0 बी0 सिंह ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। मैं मांग करूंगा कि इन सारी चीजों की जांच करा ली जाय और मंत्री जी इस सदन को रिपोर्ट दें। मंत्री लोग अपने आचरण को सुधारें। अगर स्वयं वे अ ना आचरण सुधारेंगे तो अधिकारी वर्ग भी ठीक रहेंगे। उनको तो नौकरी करना है। उनको आप इमरजेंसी का और अन्य भय दिखाते हैं और गलत काम कराते हैं। अधिकारी गलत नहीं है, आप स्वयं गलत काम न करें और न उनसे करायें।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

*श्री दीपनारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसके सबन्ध में कुछ बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, अभी कुछ साथियों ने कांग्रेस के हमारे भाइयों ने कटाक्ष भी किया। आज इस बदलती हुई परिस्थिति में जब इस ऐतिहासिक मोड़ पर हम और आप खड़े हुए हैं, मैंने कहीं नहीं देखा कि इस राज्यपाल के अभिभाषण में कांग्रेस की नीतियों की कोई झलक हो। यही कारण है कि यही तरीके आपके अभी तक कायम हैं। हमने अपने कांग्रेस फार डेमोक्रेसी के मैनिफेस्टो में यह कहा कि हम उस समाजवादी व्यवस्था को चाहते हैं जिसकी कल्पना नेहरू जी ने 1936 में की थी। जब यहीं पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ तो नेहरू जी ने वैज्ञानिक समाजवाद की बात कही थी। आज आपके मुद्दे में, इस अभिभाषण में कहीं भी समाजवादी व्यवस्था की चर्चा नहीं है। उसी की दुहाई देकर 1971 में इंदिरा जी चुनाव लड़ीं और उसके बाद राजाओं के प्रिवीपर्स खत्म किये गये और हमने देखा कि इस चुनाव में उन्हीं राजाओं को टिकेट दिये गये जिनके विरुद्ध जमीनें चुराने के आरोप थे जिसकी तरफ मैंने पचासों बार इस सदन में ध्यान आकर्षित किया था। आज भी मेरा इल्जाम है कि 20 लाख एकड़ जमीन जमींदार लोग जोत रहे हैं चोरी की और यह सरकार उनको बचा रही है और उनको कांग्रेस के टिकेट दिये गये जिनके प्रति जनता को कोई विश्वास नहीं रहा।

यहां कहा गया कि कांग्रेस फार डेमाक्रेसी में जो लोग आये हैं उनको इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिये। मैं मांग करता हूं कि अगर साहस हो तो आप आज इस विधान सभा के भंग होने की राज्यपाल को सिफारिश करें और विधान सभा को भंग करके मई में चनाव कराया जाय, चाहे हम जीतें या आप जीतें। आप जीतें तो हुकूमत बना लीजिये। मैं इस चुनौती को सहर्ष स्वीकार करता हूं। क्योंकि जनता देख रही है। मैं मांग करता हूं कि 20 लाख एकड़ जमीन जो आज भी चुराई है बड़े लोगों ने उसकी जांच होनी चाहिये। 1971 के पहले के पट्टों के बारे में आपने कानून बना दिये कि 1971 के पहले के जो बेनामी खातेदार हैं उनको नहीं देखा जायगा। क्या मजाक कर रहे हैं। (व्यवधान) 20 लाख एकड़ जमीन को चुराये हैं। एक कानून आपने बना दिया कि सन् 71 के पहले जो बेनामी खातेदार हैं उनको नहीं देखा जायगा। मैं ऐसे-ऐसे लोगों को जानता हूं जो कुत्ते और बिल्ली के नाम से खेती करते हैं। अगर साहस हो तो उसकी जांच करवाइये। बहुत से मंत्री यहां बैठे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। कुछ लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये। क्या कोई जांच हुई? मेरे बहुत से साथियों ने संजय जी का नाम लिया। मैं तो उनसे कभी मिला भी नहीं। जब आपके साथ था तब भी नहीं और मिलने की इच्छा भी नहीं थी। लेकिन तमाम जलालत मैंने देखी अपनी आंखों से 30-30, 40-40 साल के कांग्रेसी लोग बुड्ढे हो गये, उनकी क्या दुर्दशा थी, उनका दुःख देख कर मैं स्वयं दुखी होता था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रूखाबाद)—

राज मगल पांडेय के बारे में जो आरोप-पत्र दिया गया था जय प्रकाश जी को वह भी बता दीजिये ।

श्री दीपनारायण पांडेय —

श्री संजय जी ने जो गुलामों का एक मंत्रिमंडल यहां बनाया, जो [* * * * * * * * * * *] ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें ।

श्री दीप नारायण पांडेय—

आप कहते हैं कि नौकरशाही ने जुल्म किया । मैंने हजारों बार विधान सभा में कहा है और आज फिर कह रहा हूं कि आप में हिम्मत नहीं है जो ब्यूरोक्रैट्स को सजा दे सकें । फरमान आपका जाता था और जुल्म वह करते थे । उन्होंने पाप किया है तो आपने भी पाप किया है । यह कहने से काम नहीं चलेगा कि हमने कोई पाप नहीं किया । इमरजेन्सी के जमाने में कांग्रेस के लोगों को मीसा में बन्द किया गया । उनको धमकी दी गयी कि अगर कुछ कहोंगे तो तुमको मीसा में बन्द कर दिया जायगा । सारा कांग्रेस समुदाय मीसा और डी0 आई0 आर0 से भयभीत था । अगर आपने सही काम किया होता तो आज आपकी यह हालत न होती ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा कर के समाप्त करें ।

श्री दीप नारायण पांडेय—

हम सही रूप से नेहरू और महात्मा गांधी के सिद्धान्तों का पालन कर रहे हैं । हम चाहेंगे कि नारायणदत्त जी की सरकार स्तीफा दे । बहुत से लोगों ने कटाक्ष किया है । अगर साहस हो तो चुनाव लड़ लो । जनता जो फैसला करेगी उसको हम मानने को तैयार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें ।

श्री दीप नारायण पांडेय—

किसानों पर जो लगान बढ़ाया गया है उसको समाप्त कीजिये । नहर रेट को कम कीजिये । वरना यह सरकार चलने वाली नहीं है । जितनी बातें मैंने पहले भी कहीं उन पर भी गौर नहीं किया गया और आज भी जो कह रहा हूं उस पर भी गौर नहीं किया जायगा लेकिन कभी न कभी तो गौर करनाही प ेगा, आप नहीं करेंगे तो जनता करेगी । इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का मौका दिये उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं ।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया । मैं, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, इस चुनाव में लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी के नाम पर चुनाव जीत कर और महात्मा गांधी की समाधि पर कसम खाकर विरोध पक्ष वालों

नोट:—[* * * *] मा0 उपाध्यक्ष के निदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री शिव कुमार पांडेय]

ने यह तय किया है कि गांधी जी के रास्ते पर चलेंगे। उन कसम खाने वालों में वे लोग भी शामिल थे जो बुलेट में विश्वास रखते हैं और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गांधी जी की हत्या करायी थी. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

उस कसम से और इस सरकार से क्या संबंध है ?

श्री शिवकुमार पांडेय—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उस कसम खाने के बाद सबसे पहले लोकतन्त्र की हत्या इन्होंने काश्मीर में की। अदालतों के अधिकार बढ़ाने तथा उन्हें स्वतन्त्र करने वालों ने सबसे पहले डायनामाइट कांड को अदालत से हटा लिया क्योंकि इनका विश्वास अदालत पर नहीं रहा।

एक सदस्य—

वह फर्जी केस था।

श्री शिव कुमार पांडेय—

स्वामी जी का मुकदमा भी हटा लिया। जो गलती हमने 30 साल बाद की वही गलती उन्होंने 5 दिन बाद ही कर डाली। प्रधान मंत्री के शपथ लेने के बाद 5 दिन बाद इनकी कैबिनेट का फार्मेशन हुआ। जो गलती हमसे हुई इसका हम प्रायश्चित भी कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमने अपनी गलती मानी भी है कि लगान को हमें कम करना है।

मान्यवर, सेन्टर में इनकी सरकार बन गयी है और पूर्ण बहुमत में हैं। यह विरोध पक्ष वाले अपने नेताओं से केवल दो बातें करा दें। पंतनगर यूनीवर्सिटी ने यह बताया है कि गेहूं की लागत पैदा करने में 130 रुपये क्विन्टल आती है। यह केन्द्र से उसकी कीमत 132 रुपये करवा दें। दूसरे यूरिया के दाम 98 रुपये हैं, उसे कम करा के 43 रुपये करवा दें। यह दो बातें ही यह करवा दें। तब हम समझ लेंगे कि आप सचमुच गांधी जी के रास्ते पर चल रहे हैं। (व्यवधान) हम जानते हैं कि आपकी यह 5 पहिये वाली गाड़ी का एक पहिया बहुत जल्दी टूटने वाला है. . . . . (व्यवधान) एक बात मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वे मालगुजारी को पहले की तरह कर दें। दूसरी बात यह कि जो शारदा सहायक नहर खोदी गयी है उसमें गांव तो एक तरफ हैं और खेत दूसरी तरफ हैं। नहर पार करने में बड़ी कठिनाई होती है। वहां शीघ्र पुलिया बनवा दी जाये। मैंने सिंचाई मंत्री को लिखा भी है।

एक निवेदन मैं अपने रेवेन्यू मिनिस्टर से करूंगा। एक बड़ी अनर्थ की बात गांव में हुई है, वह भी जनता की उत्तेजना का कारण बनी है। जो सार्वजनिक जमीनों को जोते थे, उन पर 4 विस्वा, 5 विस्वा जमीन पर 5–5 हजार रुपया जुर्माना हुए हैं। इन सब चीजों को हटा दें तो 6 महीने के बाद यहां से दिल्ली तक फिर हम रहेंगे।

*श्री मुलायम सिंह यादव (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 19 महीने में सरकार ने आपातकालीन स्थिति लगा कर प्रदेश की आम जनता के साथ जो अत्याचार किये हैं, उनके खिलाफ जांच की घोषणा न करना और उस संबंध में कोई जिक्र न करना मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने आंख मूंद कर यह अभिभाषण पढ़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इन अत्याचारों के तहत में इस प्रदेश के तमाम जिम्मेदार अधिकारी और मंत्री हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि परिवार नियोजन के नाम पर वे इस प्रदेश में दो मंत्रियों न बहुत ही उत्साह और बेशर्मी के साथ अत्याचार कराये हैं। वे दो मंत्री हैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो अभी सदन में शायद बैठे हों अम्मार रिजवी महोदय ने सबसे ज्यादा उत्साह बेशर्मी से परिवार नियोजन में अत्याचार कराये। इन्होंने, जो अध्यापकों को कोटा निर्धारित कराया था, उस कोटे से कई गुना उन पर परिवार नियोजन क केस देने के लिये उन पर ज्यादा जिम्मेदारी लाद दी। इसका नतीजा यह हुआ कि सारे अध्यापकों ने विद्यालय छोड़ कर, पढ़ाना-लिखाना बंद करके सारे के सारे अध्यापक नसबंदी में जुट गये। तनख्वाहें अध्यापकों की रोक दी गईं। इसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री जी ने कई जगह यह भाषण दिये और झूठ बोल कर उन्होंने अपने को नहीं गिराया बल्कि उनका जो मंत्री पद है, उसके गौरव को भी गिराया है और कहा कि परिवार नियोजन के नाम पर किसी की भी तनख्वाहें नहीं रोकी जायंगी। इसके बाद भी प्रदेश के तमाम शिक्षकों, तमाम राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह भी रोक दीं। इस तरह से जो जुल्म और ज्यादती दो मंत्रियों ने की है, मेरी आप से गुजारिश है कि किसी भी अधिकारी, बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी, कोई भी हों, उनके खिलाफ तो आप जांच कर ही दें। पर इन दो मंत्रियों के विरूद्ध अवश्य जांच करनी चाहिये। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दण्ड मिलना चाहिये तो माननीय शिक्षा मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी को। इन दोनों मंत्रियों ने ऐसा किया जैसे कि यह प्रदेश इनका बपौती हो और अपना निजी रुतवा दिखा-दिखा कर प्रदेश की जनता के ऊपर अत्याचार ढाया। मेरी माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप से मांग है कि इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ जांच की जाय और आगे मुझे एक बात और कहनी है कि जहां पर लगान. . . .

श्री उपाध्यक्ष—

जहां-जहां पर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी कार्यवाही से [× × × ×] निकाल दिया जायगा, लेकिन जनता की निगाह से नहीं निकाला जा सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की कुछ मर्यादा है, कुछ गरिमा है, उसी के अनुरूप ही कहिये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

ये सरकार आधा लगान माफ करने की बात कहती है। यह जानते हुए, सरकार और यह महसूस भी करती है कि किसानों पर लगान ज्यादा लगाया गया और इसके बावजूद भी उच्चस्तरीय समिति का गठन करना। लगान माफ करके भागना चाहती है यह जब लगान समाप्त करने की बात आती है तो उच्चस्तरीय समिति के गठन की बात कही जाती है। समिति के गठन की जो बात कही गयी है वह टालने की बात है। अन्त में एक बात कह कर म खतम करता हूं। मेरे क्षेत्र में एक ही सड़क करीं से कचौड़ा घाट तक, जिसका निर्माण कर दिया जाय तो हमारे क्षेत्र जसवन्त नगर को बहुत बड़ा उपकार होगा। उस एक सड़क के न बनने के कारण उस क्षेत्र का सारा व्यापार चौपट है, आने जाने की तमाम असुविधायें हैं। मैं मांग करता हूं कि करीं से कचौरा घाट तक सड़क निर्माण तुरन्त कराया जाय। इसी तरह से हमारे पारपट्टी के किसान का लगान बढ़ा है, उसे माफ किया जाय। क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ही खराब है, वहां सिंचाई के कोई साधन उपलब्ध नहीं हैं, फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। इसलिये पारपट्टी के किसानों का लगान माफ किया

नोट—[× × × ×] मा० उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह अंश निकाल दिया गया।

[श्री मुलायम सिंह यादव]

जाय। साथ ही करीं से कचौड़ा घाट तक सड़क का निर्माण किया जाय, इसकी मैं मांग करता हूं।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि यह कांग्रेस पार्टी जिसकी कि यहां सरकार है, इस कांग्रेस संगठन की नींव त्याग और तपस्या पर पड़ी है। अभी हमारे पहले एक सज्जन जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वे पहले हमारी ही जमात के थे और अब जो यहां से छोड़ कर उधर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इस सरकार के मंत्री लोग [× × × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

आप उन असंसदीय शब्दों को दोहरायें नहीं।

श्री गोपी नाथ कामेश्वरपुरी—

मान्यवर, उनकी बात भी गयी और ईमान भी गया। अब उसके लिये क्या कहा जाय।

मान्यवर, यह जो चुनाव हमारे यहां हुआ वह भावनात्मक चुनाव हुआ। हमारे विरोधी पक्ष के भूतपूर्व नेता माननीय चौधरी चरण सिंह ने हलधर के चुनाव चिह्न पर ही सारा चुनाव लड़ा। उनका एक कथन मुझे याद है जब उन्होंने कहा था इस परिवार नियोजन के सिलसिले म। हमारे देहात की ग्रामीण भोली भाली जनता की भावना को उभाड़ कर उन्होंने कहा था कि यह कांग्रेस की सरकार जबरदस्ती नसबन्दी करा रही है। मुझे याद है कि चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर कोई नसबन्दी न करावे तो उसके लिये कानून बनाया जायेगा। सरकार नसबन्दी का कानून क्यों नहीं बनाती है, यह उन्होंने कहा था। तो मेरा विरोध पक्ष से यह कहना है कि यदि आप लोगों में साहस है तो श्री राजनारायण जी, जो भारत सरकार में हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे कह कर कनून क्यों नहीं बनवाते हैं? कथनी और अपनी करनी में फर्क क्यों कर रहे हैं। कानून बनवा लीजिये इस परिवार नियोजन के बारे में और यदि आपमें साहस है तो दोबारा इस मुद्दे पर चुनाव करवा लीजिये। (व्यवधान)।

मान्यवर, साथ ही मेरा यह कहना है कि हमारे बस्ती जिले के क्षेत्र में गरीबों की गरीबी को दूर करने की बात जनता पार्टी की तरफ से बराबर की जाती रही है लेकिन इस चुनाव के बाद जीतने पर जब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बन गयी तो आज हमारे क्षेत्र में यह हालत है कि जो गरीब हैं, भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं जिनको हमारी सरकार ने कुछ भूमि दी थी, उनकी फसलों को जबरदस्ती काट-काट कर जनता पार्टी के लोग उन जमीनों को, छीन रहे हैं। यह कौन करा रहा है यह जनता पार्टी की सरकार करा रही है। अभी आपकी सरकार बनने के तीन-चार दिन बाद ही यह होने लगा, अब ट्रेनें भी तीन-तीन चार-चार घंटें लेट चलने लगी हैं। और आगे देखिए क्या होता है।

इब्तदाये इश्क में रोता है क्या, हंसता है क्या,
आगे-आगे देखिये होता है क्या।

(मेजों को थपथपाने की आवाज)

आप लोग इकट्ठे नहीं हैं:

कहीं का ईट कहीं का रोड़ा
भानुमती ने कुनबा जोड़ा।

कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। आपकी जो यह इमारत खड़ी है वह कब धराशायी हो जायेगी, पता नहीं। कितने दिन के बाद। मैं आप लोगों से कहता हूं कि जिस

नोट:—[× × × ×] मा० उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार निकाल दिया गया।

नींव पर आपने इमारत खड़ी की है वह गिरने वाली है, महराने वाली है।

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया शांत रहें।

श्री गोपीनाथ कामेश्वरपुरी—

हमारी सरकार बनी रहेगी। यह लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई सरकार है, यह रहेगी। आप कहते है कि भंग करेंगे। आपके नेता का चुनाव हुआ तो क्यों नहीं लाबी में बैठकर चुनाव कराया? ऊपर से लादे गये, मोरार जी भाई। किसने लादा? जय प्रकाश नारायण जी ने लादा। आपमें साहस होता तो आप चुनाव कराते तो हम देखते। सर्व सम्मति से चुनाव हुआ नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि इन लोगों से कह दें कि यह भाग दौड न करें। यह उचित नहीं है। धर्म समन्वित राजनीति सदा उचित है जिसको महात्मा गांधी ने कहा था। राष्ट्रपिता की आत्मा का आदर करते हुये इन लोगों के लिये यह अभीष्ट है कि देश के हित में कायदे से विरोधी पक्ष का पार्ट अदा करें। जो मजबूती से चलने वाली सरकार है उसमें व्यवधान उपस्थित करने की कोशिश न करें। धन्यवाद।

*श्री गिरिजा शंकर पाठक (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो माननीय नेता विरोधी दल ने विरोध प्रकट किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के सफेद पत्र में कहीं भी किसानों के हित का जिक्र नहीं किया गया है। मैं आप से बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिले ऐसे हैं. . . . .

(शोर)

जहां के हर जिले में लगभग हजारों कुयें सूख गये हैं। पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी सदन में स्वायत्त शासन मंत्री ने पिछले 26 मार्च, 1976 को यह आश्वासन दिया था कि 214 गांव सूखे से कराह रहे हैं मैं वहां इंतजाम करवा रही हूं। लेकिन एक वर्ष बीत गया आजतक माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने कोई व्यवस्था नहीं की। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मंत्री जी यहां पर नहीं हैं, वह बिजली मंत्री भी हैं, उन्होंने किसानों की जिन्दगी को जिन्दगी नहीं समझा है। इसलिये पिछले जाड़े में किसान जब अपने घरों में पशुओं को बांधता था, ठंड से बचाने के लिये, उस समय रात को बिजली आती थी और किसान को जाड़े में अपने खेतों की सिंचाई करनी पड़ती थी। किसानों के सामने जो समस्यायें हैं, माननीय राज्यपाल के सफेद-पत्र में कहीं उनका जिक्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से स्वायत्त शासन मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वाराणसी में कबीर चौरा सरकारी अस्पताल है। वहां स्थिति यह है कि पूरा हास्पिटल भ्रष्टाचार का शिकार और भ्रष्टाचार से सराबोर है। मंत्री जी के चंगू-मंगू और चेले वहां पर रहते हैं और गरीब किसान वहां जाय तो बिना पैसा दिये इलाज नहीं होता। अगर डाकू ने किसी को गोली मार दी है तो वह गोली से चाहे बच जाय पर कबीर चौरा के अस्पताल के डाक्टरों की गोली से नहीं बच सकता। मैंने अनेक बार शिकायत मंत्री जी से की है पर कतई ध्यान नहीं दिया गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वाराणसी जनपद में नगरपालिका भदोही है वहां के चेयरमैन ने लगभग 20 लाख रुपये की चोरी की जिसपर मैंने अविश्वास का प्रस्ताव उठाया लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने 10 हजार रुपये लेकर वहां जाकर बिक गये। हमारे 3 मेम्बरों को अनायास उन्होंने डी0 आई0 आर0 में गिरफ्तार करा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरिजा शंकर पाठक]

लिया। वहां एक नकली आई0 जी0 बना हुआ है जिसका नाम महमूद खां उर्फ नन्हूं खां है। ज्ञानपुर, मदोंही, औराई, सुरियावां और मिर्जामुराद थानों के थानेदार आकर नकली आई0 जी0 के वहां पहरा देते हैं। मान्यवर, मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि तहसील ज्ञानपुर के एस0 डी0 ओ0 एवं तहसीलदार वही फैसले लिखते हैं जो कि वहां का नकली आई0 जी0 कहता है। इसलिये कांग्रेस के शासन में मंत्री जी को नकली आई0 जी0 के बारे में, और तहसीलदार तथा एस0 डी0 ओ0 का उसके प्रभाव में रहने के बारे में अनेक पत्र लिखे हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दे दिये हैं किन्तु आजतक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भदोही थाने के अन्तर्गत 114 डकैतियां पड़ी लेकिन उनमें से 23 के बारे में ही रिपोर्ट लिखी गयीं। नकली आई0 जी0 के वहां डकैत रुके रहते हैं लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है।

मान्यवर, तहसील ज्ञानपुर से लगभग 50 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का लाभ होता है लेकिन एक भी नई सड़क का निर्माण वहां नहीं होता है।

मान्यवर, सिंचाई मंत्री वाराणसी जनपद के है इसलिये वहा के चौकीदार से लेकर मुख्य अभियन्ता तक सिंचाई मंत्री से मिलकर नाजायज कमाई करते हैं। 28 तारीख को सिंचाई मंत्री जी वहां गये थे। वहां के सहायक अभियन्ता, श्री बी0 के0 सिंह ने आपरेटरों से 25-25 रुपया चन्दा लिया कि मंत्री जी आ रहे हैं उनके स्वागत में खर्च होगा। मैं उस दिन मंत्री जी से मिलने वाला था लेकिन मेरी गाड़ी लेट पहुंची जिसके कारण मैं मंत्री जी से शिकायत नहीं कर पाया।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाराणसी में पुलिस और हारे हुय कांग्रेसियों के डर से वहां की जनता त्रसित है। हमारे कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई जाती है। हमारी पार्टी का एजेन्ट, श्री फूलचन्द्र मौर्य से कांग्रेस के लोगों ने कहा कि तुम कल सबेरा नहीं देखोगे। 16 को चुनाव हुआ और 17 को उसको गोली मार दी गयी। इसलिये मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों की जांच करके गलत आदमियों पर मुकदमा कायम करें और दोषी व्यक्तियों को दंड दें।

मान्यवर, नकली आई0 जी0 लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है और धन बटोर रहा है इसलिये उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन वह नहीं होती है क्योंकि वह हर मिनिस्टर के वहां कालीन पहुंचाता है। इन शब्दों के साथ मैं नेता विरोधी दल का जो भी विरोध है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इस अभिभाषण को यदि गौर से पढ़ा जाय तो इसमें इस बात की समीक्षा की गयी है कि हमारे प्रदेश में अभी तक क्या हुआ है और भविष्य में क्या करने की योजना है। इसमें देखा है कि जो अगला आने वाला वर्ष है उसमें आयोजना आयोग से 675 करोड़ रुपया आबंटित करने का प्रयास किया गया है और आवंटित कर भी दिया गया है। इसमें से 488 करोड़ रुपया कृषि, सिंचाई और विद्युत पर व्यय किया जायेगा। और उसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष जो हमारा विद्युत उत्पादन है वह तीन हजार मेगावाट तक हो जायगा। यही नहीं मान्यवर, बाढ़ नियंत्रण पर 45300 करोड़ रुपये व्यय किया जायेगा जो 1980 तक पूरा होगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, लांबी से आंख मार रहे हैं..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया शांति बनाये रखें ।

श्री देव बहादुर सिंह—

त्वरित योजना के अन्तर्गत जो चार हजार किलोमीटर सड़कें बनीं हैं वह सार्वजनिक निर्माण विभाग को देदी गयी हैं। इस प्रकार का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और निर्माण कार्य आरम्भ भी हो चुका है। केवल इसी सरकार ने इतने विकास कार्य नहीं किये हैं बल्कि केन्द्रीय सरकार ने भी जो पहले थी उसने भी इस देश के विकास के लिये अभूतपूर्व कार्य किया है जिसम मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण करना, मूल्यों को नीच लाना, अन्तराष्ट्रीय व्यापार में बैलन्स आफ ट्रेड आदि ? इस प्रकार के अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य किया है। इतना करने के बाद भी चुनाव का परिणाम उत्तर भारत में इतना विपरीत क्यों हुआ इसकी समीक्षा करें। इसका मुख्य कारण है परिवार नियोजन, किसानों का लगान बढ़ाना, विद्युत् कर का बढ़ाया जाना, जो शहर अंचल में झोपड़ियां थीं उनका हटाया जाना। इन सबका दुष्परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस की उत्तर भारत में पराजय हुई। इसलिये इस सरकार से मांग है कि जो परिवार नियोजन है उसमें जितनी नसबन्दी हुई हो उनकी जांच करायी जाय और यदि किसी गलत व्यक्ति की नसबन्दी हो गयी हो तो सरकारी खर्च में उसका अबध्याकरण होना आवश्यक है। यही नहीं नसबन्दी के बाद कितने लोग परेशान और बीमार हैं जो आज तक स्वस्थ नहीं हो पाये हैं उनकी भी जांच हो और सरकारी खर्च पर उनका इलाज कराया जाय यह सरकार इस सदन को आश्वासन दे। यही नहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी थे उन पर भी लक्ष्य निश्चित कर दिये गये थे कि तुम्हें इतने केस देने पड़ेंगे नहीं तो वेतन नहीं मिलेगा, पदोन्नित नहीं होगी। जितने ऐसे आदेश थे उन्हें रद्द कर दिया जाय और सरकार इस सदन को आश्वासन दे कि इस तरह का कोई भी आदेश भविष्य में नहीं दिया जायगा।

जो किसानों का लगान बढ़ाया गया उसके बारे में चुनाव के बीच में यह ऐलान किया गया कि जो बढ़ा हुआ लगान है उसको आधा किया गया है। मेरी मांग है कि इसको पूर्व स्तर पर लाया जाय और जो पन्द्रह रुपया प्रतिहार्स पावर बिजली का कर लगाया गया है उसे भी जो वास्तविक बिजली का उपयोग किया जाता है उस हिसाब से उसे वसूल किया जाय। जो हमारी खाद की कीमतें हैं उन्हें कम किया जाय।

शहरी अंचल से हटाये गये झोपड़ी वालों को स्थायी रुप से बसाया जाय और समय-बद्ध कार्यक्रम का इसके लिये ऐलान किया जाय।

यहां हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री के बारे में एक बात कही गयी कि मीसा के अन्तर्गत बंद हुए लोगों को छोड़ा गया। चुनाव के दौरान जिन लोगों को छोड़ा गया उनमें कुछ असामाजिक तत्व हैं, स्मगलर हैं, उन्हें भी छोड़ा गया। आपको याद होगा कि जब चुनाव हो रहा था तो जनता पार्टी के घोषणा पत्र में इस बात का उल्लेख था कि मीसा के अलावा भी और कानून है जिसके मातहत इस प्रकार के असामाजिक तत्वों, स्मगलर से निपटा जा सकता है। हम बड़ी बेसब्री से उस कानून की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे उस कानून की जो मीसा की जगह पर उसका रिप्लेसमेंट होगा और उसके अन्तर्गत वर्तमान केन्द्रीय सरकार ब्लैक मार्केटियरों और स्मगलरों को ठीक करेगी। मान्यवर, 16 सौ करोड़ रु0 का जो काला धन था वह सफेद धन में परिवर्तित हुआ उससे सरकार को टैक्स मिला हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह कितना काला धन निकालते हैं, कितने स्मगलरों को पकड़ते हैं कितने गैर सामाजिक तत्वों को जेल में भेजते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव पर जो संशोधन हमारे मित्र सत्य प्रकाश जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(श्री काशीनाथ मिश्र के कुछ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मिश्र जी, आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान करते हैं इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है।

श्री राजमंगल पांडेय—

मान्यवर, इधर से कष्ट जरूर है कि मुख्य मंत्री जी नहीं ह, लेकिन काशीनाथ जी की मौजूदगी से मैं मानता हूं कि वह उनका सही प्रतिनिधित्व करके जो कुछ भी मैं कहूंगा उन तक जरूर पहुंचा देंगे।

(विरोधी पक्ष की ओर से जोरदार हंसी)

मान्यवर, इस लोकतंत्रीय हुकूमत वाली प्रदेश सरकार में श्री काशीनाथ जी का बड़ा योगदान रहा है। मान्यवर, जिस व्यक्ति के साथ हमने 9 वर्षों तक उसकी जय जय करते जबान घिसी, क्या कारण था कि हमें उससे अलग होना पड़ा ? वह कोई अच्छा दिन नहीं था। कोई भी स्वभिमानी व्यक्ति कांग्रेस में नहीं रह सकता था। मान्यवर, इस इमरजेंसी के दौरान जिसको कि हम लोगों ने सोचा कि इससे लाभ मिलेगा पर इस देश में इसके विपरीत अराजक तत्वों का उभार आया है, अनुशासनहीनता बढ़ी है। मान्यवर, हम लोगों ने यह भी सोचा था कि इससे देश में अनुशासन बढ़ेगा, समृद्धि होगी, खेतों और कल कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा, परन्तु इसके विपरीत इमरजेंसी एक अभिशाप के रूप में हमारे सामने आयी। वे लोग जिन्होंने कभी हिन्सात्मक कार्यवाही करने की कल्पना तक नहीं की और मैं भूल नहीं सकता कि काशीनाथ मिश्र जी और शायद श्री ओम प्रकाश जी के लिये भी कहीं न कहीं इस बात का निर्देश आया कि इन लोगों को भी इमरजेंसी में बंद कर दिया जाय। मैं एक व्यक्ति और प्रशासन में रहने के नाते इसका खुलकर विरोध करता हूं। मैं जानता था कि काशीनाथ जी ऐसी हरकत नहीं कर सकते हैं जोकि देश के विपरीत होगी अतएव मैंने इस चीज का विरोध किया। (शोर होने पर) कम से कम इतना तो सुन लें मैं मर्यादा के खिलाफ कोई बात नहीं कहूंगा क्योंकि यह मेरी परम्परा के खिलाफ है। इतना मैं काशीनाथ जी से कहना चाहूंगा कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो वह खड़े होकर कह दें।

तो मान्यवर, हमें कितना कष्ट हुआ इनका साथ छोड़ने में परन्तु यह इसलिये हुआ कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग लोकतंत्र की आड़ में तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे थे। इनका लोकतंत्र ऐसा ही है जैसा कि जर्मनी में हिटलर का था। जिसने कि किस प्रकार काउन्सिल आफ चैम्बर्स को मजबूर किया था और बाद में किस तरह से वह चांसलर हो गया और फिर किस तरह से लोकतंत्र की आड़ में तानाशाह बन गया था। मान्यवर, इसी तरह का तरीका इस देश में अख्तियार किया गया और मैं इसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। काशीनाथ मिश्र जी बहुमत में होने का दावा कर रहे हैं परन्तु मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि जिस वक्त हमलोग बेशर्मी से निकाले गये उस वक्त बहुमत किन लोगों का था। हम लोग किसी असंवैधानिक तरीके से किसी सरकार को हटाने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक के बाद दीगर चीजें हमारे सामने आईं। 1 फरवरी की रात को, आप विश्वास करें या न करें, हमारे मित्रों ने इस बात पर दबाव डाला कि आप लोग यू० पी० निवास से भाग जाइए। कहीं आपके निर्णय लेने के पहले ही आपको और श्री बहुगुणा जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को मीसा में बन्द न कर दिया जाय। ऐंटीफासिस्ट कांफेंन्स पटना में हुई, भूतपूर्व मुख्य मन्त्री जी भी उसमें गए थे लेकिन यह खबर फैलाई गयी लखनऊ में कि बहुगुणा जी मीसा में बन्द हो गये। नागरी प्रचारणी सभा में गए तो वहां प्रचार किया गया कि लखनऊ में वह मीसा में बन्द हो गए। इस तरह की भ्रमात्मक खबरें फैलती रहीं और विधान सभा के सदस्य मेरे घर पर गए और उन्होंने कहा यह सुना है कि पाण्डेय जी और उनकी धर्मपत्नी बन्द हो गए हैं। माननीय काशीनाथ जी से यह कहने का मुझे अधिकार है जैसी हमने लोकतन्त्र की रक्षा की इसे वह अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी ओर से यह दबाव पड़ा कि जो लोग हिंसा पर विश्वास नहीं करते, जो कांस्ट्रक्टिव वर्कर रहे हैं और जिन्होंने राजनीति में योगदान दिया है उनको किसी सूरत में मीसा में या डी0आई0आर0 में बन्द न किया जाय। लेकिन ज्यों यह सरकार आई, तिवारी जी मेरे साथ काम करते थे और जिनको मैं छोटे भाई के रूप में मानता था, उसके मुख्य मन्त्री बने हमारा उस समय भी उनके प्रति यही विश्वास था कि यह सरकार अपने विरोधियों का सम्मान करेगी, भले ही राजनीति में उनका वह विश्वास न रहा हो जो हमारा था लेकिन उस विश्वास के विपरीत हुआ यह कि जो भी विरोधी थे उनको जेल भेज दिया गया। कांस्टेबिल और दरोगा ने किसी से घूस मांगी और उसने नहीं दी या चकबन्दी में लेखपाल ने गलत इन्द्राज किया और उस पर आपत्ति की गयी तो थाने में यह रिपोर्ट लिखी गयी कि इंदिरा गांधी को गाली दे रहे थे, नसबन्दी का विरोध कर रहे थे और उनको जेल भेज दिया गया।

जनता का सरकार पर से विश्वास उठ चुका था। आज जो सरकार में बैठे हुए हैं वह कहते हैं कि हम बहुमत में हैं। इसका भी फैसला आज नहीं तो कल अथवा एक महीने के बाद हो जायगा। संविधान में संशोधन इसलिए किया गया कि गरीबी दूर करना है लेकिन गरीबी तो हटी नहीं, गरीब जरूर हट गया। लोगों के मकानों को गिरा दिया गया और जिन्होंने हीला हवाली की उनको मीसा में बन्द कर दिया। क्या लोकतंत्र के नाम पर चलने वाली सरकार का यही तरीका है? केन्द्र में जैसा पतन हुआ उससे यह सिद्ध होता है कि जो कोई तानाशाह बनने की कोशिश करेगा जनता कभी किसी तानाशाह को पनपने नहीं देगी। उधर के लोगों से भी मेरा यही निवेदन है कि अपना आचरण वह ठीक करें। अगर नहीं करेंगे तो मुमकिन है कि विधान सभा के सदस्य आपको न हटा सकें लेकिन इस प्रदेश की जनता आपको जरूर हटा देगी। माननीय सदस्य सत्य प्रकाश जी ने जो कुछ कहा है उसका मैं समर्थन करता हूं और यह कह कर समाप्त करता हूं कि लोकतंत्र के नाम पर इस देश में तानाशाही चलने वाली नहीं है और परिणाम जो होंगे उसको भुगतने के लिए हम सब तैयार हैं।

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (श्री रामायण राय)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो हमारी ओर से सदन में धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, मेरे दल में जिसमें मुझसे ज्यादा सक्षम वक्ता हैं, उनके बोलने के बीच में मुझे बोलने की कोई खास इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे पड़ोसी पांडेय जी ने सदन में जो अपने विचार व्यक्त किए उसे सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ . . .

(व्यवधान)!

निःसन्देह पाण्डेय जी उस जमाने में इस दल के मन्त्री थे जिस जमाने में मीसा लगाया गया था। मैं उनसे आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पी0सी0सी0 के मेम्बर श्री मंगल उपाध्याय जी को किसने मीसा में बन्दी बनाया था. . .

(घोर व्यवधान)

श्री राज मंगल पांडेय—

जिस मंगल उपाध्याय की बात आप कर रहे हैं उनके बारे में सेंट्रल इन्टेलीजेंस की रिपोर्ट मंगाकर देख लीजिए।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि क्या यह सही नहीं है कि एक निरपराध, हमारे साथी गर्ग साहब और भीखा लाल जी जब बोल रहे थे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई और मैंने सोचा कि मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा. . . . (व्यवधान)

मान्यवर, मैं जानता हूं कि मेरे कहने पर माननीय जैदी साहब परेशान होंगे। मैं उधर के बैठने वाले कई माननीय सदस्यों को जानता हूं जिन्होंने निरपराध एक बिजली कर्मचारी को उनके बंगले के सामने मारे जाने पर एक कमेटी बनाई गई थी, उनके वे भी एक सदस्य थे। जब उस निरपराध बिजली कर्मचारी को मरवा दिया गया और जब हमारे दल के एक सदस्य ने कहा कि एक गरीब आदमी मार दिया गया तो कलेक्टर से कहा गया कि एक नहीं सैकड़ों लोग भून दिये जायं मुझे इसकी तनिक भी परवाह नहीं है। (व्यवधान) . . . . .

श्री राज मंगल पांडेय—

इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, उसे आप देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सदन में गम्भीरता का परिचय दें।

श्री रामायण राय—

मैं जनसंघ दल के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जब मुझे चिकित्सा विभाग का एक छोटा सा मन्त्री बनाया गया तो क्या यह सही नहीं है कि जनसंघ के अध्यक्ष और मंगल उपाध्याय जी जो कि दोनों देवरिया जिले में बन्द थे, उनकी आंखें जाने वाली थीं, इस सेवक ने उनकी आंखों की रक्षा नहीं की और श्री बहुगुणा जी और राज मंगल जी ने मुझसे कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. . . . . (व्यवधान)। . . . . . आज नाराजगी तो केवल इतनी है कि सन् 1957 से मैं इस विधान सभा की सदस्यता में हूं, लेकिन एक बार कांग्रेस की ओर से निर्धारित उम्मीदवार श्री सच्चिदानन्द त्रिपाठी के विरोध में इन्होंने अपनी पत्नी मालती पांडेय को जितवाया, श्री बहुगुणा के कहने पर जितवाया, 69 के चुनाव में इन्होंने जाति-बिरादरी और दुनिया भर की खुराफात करवा कर जितवाया. . . . . (व्यवधान)।

श्री उपाध्यक्ष—

आप शांति रखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कह रहे हैं या हम दोनों के बीच में जो बातें हुई उनको कह रहे हैं (व्यवधान) माननीय सदस्य और पांडेय जी के बीच में जो बातें हुई उनका यहां क्या संबंध है? यह व्यवस्था का सवाल है। इस तरह से सदन नहीं चलेगा। इसको हम सुनने के लिये तैयार नहीं हैं कि उन्होंने क्या किया या कांग्रेस के क्या कुकर्म हैं। इसके लिये सदन यहां नहीं बैठा है। व्यक्तिगत बातें नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

ओझा जी आप बैठें। सुन लें। आपने अपनी भावना व्यक्त कर ली। आप बैठने की कृपा करें।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)--
यह गलत कह रहे हैं ।

श्री रामायण राय--
क्या यह सही नहीं है कि श्री गौरी शंकर राय जिनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संघर्ष समिति का मंत्री चुना था उन्होंने 15 पृष्ठ की एक रिपोर्ट श्री पाण्डेय जी के खिलाफ पेश की थी तथा क्या यह सही नहीं है कि लाखों की सभा में देवरिया में, गोरखपुर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने घोषणा की थी कि बहुगुणा जी अपने मंत्रिमंडल से इस भ्रष्ट मंत्री को निकाले दें तो वे उत्तर प्रदेश शासन का विरोध नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रामप्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)--
मैं रामायण राय जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या वह आरोप सही पाये गये या गलत ? आप तो कांग्रेस में हैं। आप सरकारी पक्ष में हैं. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठने की कृपा करें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--
आप अपनी व्यवस्था दें कि यह व्यक्तिगत बातों की तरफ न जाकर अभिभाषण पर बात करें ।

श्री राज मंगल पांडेय--
जनता ने फैसला कर दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--
ये ही लोग हैं जिन्होंने माननीय गेंदा सिंह जी की जमानत जब्त करवाई है (व्यवधान) मैं निवेदन करना चहता हूं कि व्यक्तिगत बात इस सदन में न हों। इसका फैसला यहां नहीं होगा देवरिया या गोरखपुर में होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप बैठें ।

श्री रामायण राय--
क्या यह सही नहीं है . . . . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--
बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके विवाद का स्तर धीरे-धीरे नीचे होता जा रहा है। यह हमारी विधान सभा की मर्यादा और गरिमा के विपरीत है। मैं सभी माननीय सदस्यों से उम्मीद करूंगा कि इस सदन की मर्यादा को बनाये रखें। व्यक्तिगत आरोप लगाना या असंगत बात कहना इस माननीय सदन की मर्यादा को नष्ट करना होगा उसका कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। यदि व्यक्तिगत शिकायत करनी हैं, तो बाहर जाकर करें सदन में नहीं. . . .वह मर्यादा बनाए रखकर कहें तो ठीक है। व्यक्तिगत प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब कैसे दिया जाएगा। आप थोड़ा सीमित और मर्यादित रहें, ताकि शान्ति से इस कार्यवाही को चलाया जा सके ।

श्री रामायण राय--
मान्यवर, मैं आपके आदेश का पूर्णतया पालन कर रहा हूं। मैं कतई राजमंगल पांडेय पुराण के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। प्रदेश की जनता उनको अच्छी तरह से

[श्री रामायण राय]

जानते हैं, मुझे अधिक बताने की जरूरत नहीं है। उनके कारनामें, जबतक राजनीतिक इतिहास जीवित रहेगा, जीवित रहेंगे। मैंने केवल एक संकेत मात्र कर दिया था। (व्यवधान) मैं संसदीय परम्पराओं का आदर करते हुए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि उधर से निरन्तर इस बात का ऐलान किया गया था कि विरोधी दल जनतन्त्र की रक्षा के लिये यह चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भी कोई संसदीय परम्परा है कि जिस समय मैं बोल रहा हूं, आप उसमें बाधा डालें। प्रश्न पूछने का आपको केवल अधिकार है, और वह भी तब जब मैं बैठ जाऊं या अपनी सहमति दे दूं। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अभी एक माननीय विरोधी सदस्य ने एक बहुत अच्छी बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा 'आप नसबन्दी कराकर आइये, तभी आपको बोलने का अधिकार होगा। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुझे उस दिन परम हर्ष हुआ, जिस दिन केन्द्रीय सरकार का दिल्ली में गठन हुआ और केन्द्रीय सरकार—

श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

वे दोनों सदस्य देवरिया के हैं, वे दोनों सदन से इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर देख लें कि जनता किसको चाहती है। आप शायद इस फैसले को स्वीकार करेंगे। जिस क्षेत्र से आप चाहें पाण्डेय जी से एलेक्शन लड़ लें, आपकी जमानत तक जब्त हो जाएगी, तब पता चलेगा।

(व्यवधान)

श्री रामायण राय—

मैं उन बातों का उल्लेख नहीं करता हूं। मैं धैर्य के साथ उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का उपदेश देने में और हनुमान चालीसा का पाठ करने से किस तरह परिवार सीमित करने का काम हो सकता है। कैसे वह इस सम्बन्ध में अपने दायित्व को पूरा करेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

ज्यादा समय नष्ट न करें, इससे आपका ही नुकसान होगा।

श्री राम अधार—

आप अपनी बात कहिए, राज मंगल पांडेय की बात कहां से आ गयी?

एक सदस्य—

[* * * *]

श्री रामायण राय—

मैं अपने पूर्ववक्ता महोदय से आग्रह करता हूं कि जो स्वयं शीशे के घर में बैठे हुए हैं, वह दूसरे के घर में पत्थर फेंकने की कोशिश न करें। जिसका सारा जीवन बुरे कारनामों और भ्रष्टाचार का प्रतीक रहा है, वह भ्रष्टाचार का आरोप इस दल के ऊपर न लगा कर आज उधर बैठने वाले लोग आपके नापाक इरादे से अवगत भी हैं और पहचानते भी हैं। ये आपको मुख्य मंत्री नहीं मानने वाले हैं। यह आप समझ लीजिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय रामायण राय जी जरा बता दें कि क्या मैं उनके भाषण से यह समझूं कि कांग्रेस में शुरू से इसी तरह के भ्रष्टाचारी मंत्री रहे हैं और उनको ग्राह्य किये हुए रहे। जब कोई उनके दल से निकलता है तब उसकी पोल खोलते हैं। जो नहीं निकलता है उसकी पोल खोलने के लिये वह तैयार नहीं हैं।

नोट—[* * * *] मा० उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह अंश निकाल दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष—

लारी साहब बैठने की कृपा करें ।

*श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं । साथ ही साथ देश की भूतपूर्व प्रधान मंत्री को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस प्रदेश के (शोर) मुख्य मंत्री को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया, जिन्होंने पूरे भारत के दो तिहाई हिस्से से कांग्रेस को सफाया करने में योगदान किया है । उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं । इस समय मैं यह नहीं कहूंगा कि हम लोग जो जेल में बन्द रहे उनको कौन कौन सी यातनाएं दी गयीं । यह भी नहीं कहूंगा कि पिछली सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया । दुनिया भर के लोगों को पता है । मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल महोदय ने तीन पन्ने का भाषण दस करोड़ जनता के सामने रखा है, इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा ।

माननीय उपाध्यक्ष, पिछली जो केन्द्रीय सरकार थी उसकी जो पांचवीं पंचवर्षीय योजना बनी है उसके अन्दर 69 हजार, सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है । उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश शासन को बहुत बड़ी धनराशि दी गयी है । उस धनराशि में से 2445 करोड़ रुपया पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये दिया गया जब कि महाराष्ट्र को 2324 करोड़ रुपया दिया गया । महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम 1368 रुपये है और उत्तर प्रदेश कि 658 रुपये है । जिस प्रदेश के गरीब को दो जून भोजन नहीं मिलता, मकान और कपड़ा नहीं मिलता, जो पेट भर दो जून भोजन नहीं खाता, इस देश की 40 करोड़ जनता जिसको हमने गरीबी की रेखा के नीचे माना है, उसका प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 47.25 है जबकि महाराष्ट्र का 25 प्रतिशत है, आप फैसला करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी सहायता दी गयी और सूबे की पुरानी कांग्रेस सरकार केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता प्राप्त कर सकी, किस प्रकार यह प्रदेश का विकास कर सकेगी । अगर यह अपनी सरकार से सहायता लेने में सफल न हो सकी तो इनको प्रदेश की हुकूमत में बने रहने का कोई हक नहीं है । जो भाषण में कहा गया है कि 675 करोड़ रुपया चालू वित्तीय वर्ष के लिये प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है यह झूठ और गलत है ।

इस अभिभाषण में जितने भी आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं वह सारे झूठ हैं । बिजली के बारे में 1974 में राज्यपाल के अभिभाषण में 2124 मेगावाट बिजली बन रही थी, यह कहा गया था और आज यह कह रहे हैं कि 3100 मेगावाट बनायेंगे । यह सब झूठ है । नानपारा तहसील में चीनी मिल लगाने की घोषणा की थी लेकिन वह अभी तक नहीं लगी है । राज्यपाल महोदय ने यह घोषणा की थी कि किसानों का जो गन्ने का बकाया है जो 12 करोड़ रुपया बकाया है उसको देने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक दिया नहीं गया है । जरवल रोड मिल का 58 लाख रुपया बकाया है, मजदूरों को तनख्वाहें नहीं मिलीं । इन्दिरा जी बोनस चाट गयीं और हमारे नारायण दत्त जी मजदूरों की तनख्वाहें खा गये । राज्यपाल महोदय गोंडा गये थे वहां पर घोषणा की गयी कि घाघरा घाट का पुल बनाया जायेगा । लेकिन वह भी नहीं बना । यह सब झूठे वादे करते हैं । मैंने पिछली बार कहा था कि हमारे जनपद की सड़कें जो हैं वह अधूरी हैं तो सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने उत्तर दिया था कि वह शीघ्र ही बन जायेंगी, लेकिन अभी तक नहीं बनी हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

समाप्त करने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

2 मिनट का समय और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

एक मिनट दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

शान्ति बनाये रखें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

जनता पार्टी का जो घोषणा-पत्र है उसको जनता ने स्वीकार किया है और पार्टी के पक्ष में अपना फैसला दिया है । यह हमारा दस्तावेज है जिसके आधार पर हम समाज की रचना करेंगे। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है वह हम आपको सुनाना चाहते हैं । इसके पेज 15 पर 8वां प्वाइन्ट है कि तारकुन्डे समिति सहित अनेक समितियों ने चुनाव प्रणाली में सुधार करने के सुझाव दिए है। पार्टी इन सब सुझावों का भली भांति निरीक्षण करके उचित सुधार लागू करेगी । पार्टी इस सुझाव पर विशेष ध्यान देगी कि भ्रष्ट विधायकों को वापस लौटाने का अधिकार मतदाताओं को मिलें, चुनाव पर होने वाले व्यय का परिमाण कम हो और मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दी जाये । यह हमारे घोषणा पत्र में लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

उसका पालन किया जायेगा जो भ्रष्टाचार करेगा उसको वापस बुला लिया जायेगा और जेल जाना पड़ेगा । आपने 3 साल में जो अपराध किया है । . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री बाबू लाल वर्मा--

395 धारा है जिसके अन्तर्गत हर कांग्रेसी विधायक को बन्द किया जा सकता है । आपको सजा मिलेगी । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । श्री नारायण दत्त तिवारी जी आ गये हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो गलती श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया है उसको वह करने की कृपा न करें ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आंखे बन्द करके न बोले । माननीय वर्मा जी मेरी बात सुनें ।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो आलोचना कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों की की है अगर माननीय राम अधार जी या माननीय हिम्मत सिंह जी करते तो बात समझ में आती है लेकिन अगर वे 4-5 लोग, जो कुछ दिन पूर्व तक हमारे साथ बैठते थे, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीत कर आये थे, व्यक्तिगत कारणों से उधर चले गये हैं, तो बात समझ में नहीं आती है । (व्यवधान)

("आगा जैदी दलाल है" की आवाजें ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपात्कालीन घोषणा के समय जो नेता लोग इस दल का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं के नेतृत्व मे जब आपात्कालीन घोषणा इस प्रदेश में हुई, कितने लोगों को मीसा और डी0 आई0-आर0 में बन्द किया गया, ये ही लोग आज अपने व्यक्तिगत कारणों मे उधर बैठे हुए हैं। पहले वे इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे लेकिन आज लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और हमें लोकतंत्र का सबक सिखाते हैं, हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं? लखनऊ में 3 दिन से केन्द्रीय सरकार के मंत्री लोग पड़े हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे नैतिकता का पालन कर रहे हैं? कौन सा खाद का कारखाना या तेल के कुएं यहां पर खोदे जा रहे हैं? हो क्या रहा है, विधायकों के ऊपर भिन्न-भिन्न प्रकार जोर डाले जा रहे हैं और उनको प्रलोभन दिए जा रहे हैं। ये सब बातें यहां पर हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथी बताते हैं कि नैतिकता की वजह से यह हो जाना चाहिये, यह हो जाना चाहिये, समझ नहीं आता है कि क्या होना चाहिये।

अन्त में मैं एक दो सुझाव माननीय मुख्य मंत्री जी को देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। कुछ दिन पूर्व उन्होंने घोषणा की थी कि प्रदेश के पश्चिमी जिले मेरठ में वे हाई कोर्ट की एक बेंच खुलवायेंगे। मैं चाहता था कि कुछ न कुछ जिक्र इस बात का महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में होना चाहिये था, किसी कारण रह गया होगा, लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि जो वायदा उन्होंने किया है उसको वे अब पूरा करेंगे और जल्द ही इस सदन में कोई न कोई इस आशय का प्रस्ताव पेश किया जायगा।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने कांग्रेस के लोगों को नसीहत दी लेकिन मैं कम्युनिस्ट पार्टी के भाइयों से यह निवेदन करना चाहता हूं और उनको बता भी देना चाहता हूं कि इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुक्सान अगर किसी को हुआ है तो वह सी0 पी0 आई0 के लोगों को, यानी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को हुआ है। जहां वे कांग्रेस के लोगों को सबक देने की बात करते हैं वहां इस चुनाव से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी सबक लेने की जरूरत है। आज भी मैं समझता हूं कि वे सबक लेने की हालत में नहीं है। क्योंकि आज भी सी0 पी0 आई0 के लोगों ने जो भाषण दिए हैं वे लोगों को बड़े गुमराह करने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उससे बचिए, दूसरों की परवाह न कीजिए।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मान्यवर, यह कहना कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का कि हिंसा का वातावरण था और शांति-व्यवस्था को बनाये रखने के लिये आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई, इससे ज्यादा बढ़कर झूठ और गलत और भ्रामक बात कोई हो नहीं सकती। असलियत यह है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनके कि 30 साल में 30 बोतलों का नशा सवार हो गया था वह हाई कोर्ट में मुकदमा हारीं। मुकदमा हारने के बाद चारों तरफ से उनसे इस्तीफे की मांग होने लगी। उन्हें फौरन इस्तीफा दे देना चाहिये था, लेकिन इस कुर्सी को बचाये रखने के लिये श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। घोषणा के बाद जब उन्होंने जयप्रकाश जैसे लोगों को गिरफ्तार किया तो उनका नशा चौगुना हो गया. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

ये बड़ी पुरानी कथाएं हो गयीं। 5 मिनट का समय मात्र है।

श्री मोतीलाल देहलवी—

उसके बाद फिर भी जब उन्हें डर हुआ कि यह कुर्सी नहीं रहेगी तो उन्होंने सोचा कि अपना वारिस भी बना लिया जाय तो उन्होंने वारिस बनाने के खयाल से 24 घंटे के अन्दर श्री संजय गांधी को राष्ट्रीय नेता की शक्ल में पेश कर दिया। मान्यवर, दुनियां के इतिहास में इस तरह की मिसाल नहीं मिलेगी कि 24 घंटे के अन्दर. . .

एक सदस्य—[×××]

श्री मोती लाल देहलवी—

24 घंटे के अन्दर कोई राष्ट्रीय नेता हो गया हो। अपनी गद्दी बनाये रखने के लिये और श्री संजय को वारिस बनाने के लिये ही मान्यवर, यह नसबन्दी का काम संजय गांधी के द्वारा शुरू कराया गया। इसके पीछे भावना सिर्फ एक थी कि किसी प्रकार से संजय गांधी का प्रभुत्व कांग्रेस पर चले और कांग्रेस संजय गांधी को प्रधान मंत्री की शक्ल में हजम कर सके। इसीलिये संजय गांधी का इतना प्रभुत्व पैदा कर दिया गया। मुझे यह कहते हुए शर्म और लज्जा आती है, झिझक होती है कि संजय गांधी का इतना प्रभुत्व बना दिया गया कि मुख्य मंत्री लोग संजय गांधी की चप्पल तक उठाने लगे। इससे बढ़ कर लज्जा और शर्म की बात क्या हो सकती है? इस प्रदेश के मुख्य मंत्री की क्या दशा बन गयी थी? इस चुनाव में देखकर मुझे इस बात की तकलीफ होती थी कि श्री संजय गांधी के चित्र में मुख्य मंत्री को उनके जूते की पालिश करते हुए दिखाया गया। हमको भी तकलीफ हुई। लेकिन अगर उन्होंने इस तरह का लज्जाजनक आचरण नहीं किया होता हमारे मुख्य मंत्री जी ने, तो आज हिम्मत नहीं हो सकती थी कि इतनी नौबत आ जाय कि इस तरह की तस्वीर माननीय मुख्य मंत्री जी की बनायी जाय। स्वार्थ में माननीय मुख्य मंत्री जी को भी श्री संजय गांधी का नशा सवार हो गया। ऐसा नशा सवार हुआ कि पैरोल के लिये लोग आते थे मुख्य मंत्री के पास, तो उस समय मान्यवर, मैंने अपनी आंख से देखा कि लोग नारायणदत्त तिवारी जी के पैरों पर सिर रखदेते थे और कहते थे कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मेरी बीबी बीमार है, मुझको एक महीने की पैरोल दे दीजिये और माननीय तिवारी जी कहते थे कि हलफ्नामा दाखिल करो कि राजनीति छोड़ दोगे या कांग्रेस में आ जाओगे। आज तक इतिहास में कभी इस तरह की बात नहीं हुई। लेकिन यहां के मुख्य मंत्री ने इस तरह की नीचे स्तर की बात की पैरोल के लिये कि लोगों से राजनीति छुड़वाते थे।

श्री उपाध्यक्ष—

समय समाप्त।

श्री मोतीलाल देहलवी—

अगर कोई विवेकशील सरकार होती तो मेरे जैसे आदमी को गिरफ्तार न करती। जिस समय मुझको गिरफ्तार किया गया मैं आबदस्त लेने के लायक भी नहीं था। सब को मालूम है कि मेरा ऐक्सीडेन्ट करवाया गया, जान से मरवाने के लिये और जब उससे मैं बच गया और 46 दिन भर्ती रहने के बाद अस्पताल से दारुलशफा आया तो इलाज जारी रहते मुझको गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त मैं न कपड़े पहनने की हालत में था और न आबदस्त लेने के लायक। हाथ में सूजन थी, दर्द से बेचैन रहता था, मेरे हाथ में तीन फ्रेक्चर थे और मुझ पर इल्जाम लगाया गया कि मैं विधानसभा के गेट नं0 7 के सामने जनता को रोक कर भाषण कर रहा था और अगर मुझको रोका न जाता तो कत्लेआम हो जाता। असलियत यह है कि उस समय मेरा इलाज जारी था।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ। और भी लोग बोलने वाले हैं।

नोटः—[××××] मा0 उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह अंश निकाल दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी—

जार्ज फरनान्डीज की बात कही गयी ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसका जवाब सभी दे चुके, समय समाप्त हो गया ।

श्री मोती लाल देहलवी—

जाहिर है कि मेरी ही तरह जार्ज फरनान्डीज पर भी बिल्कुल झूठा केस चलाया गया और जनप्रिय सरकार ने उस झूठे केस को वापस लेकर एक मिसाल कायम की है, जो 30 साल के इतिहास में आपने कभी कायम नहीं की ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हो गया । अब औरों को बोलने दीजिये ।

श्री मोती लाल देहलवी—

नसबन्दी मंत्री माननीय प्रभु नारायणजी थे । पहले 4 लाख का लक्ष्य था । लेकिन इनाम लेने के लिये, मुख्यमंत्री बनने केलिये 4 लाख से 15 लाख कर दिया । दिन-दिन भर किसान छिपा रहता था खेतों में, खलिहानों में और इतना आतंक था कि लोग अस्पताल तक नहीं जाते थे ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें, अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चहाते हैं । यह सारी चीजें दोहराई जा चुकी हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

जो कुंवारी अध्यापिकाएं थीं उन तक से कहा गया कि नसबन्दी के केंस लाओ उनको कहते हुये शर्म लगती थी लेकिन इस सरकार को शर्म नहीं आयी । आज ये बेशर्मी केसाथ बने हुये हैं । अगर इनमें जरा भी हया है तो इनको आज इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, धन्यवाद ।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध पक्ष ने विरोध किया, उसका बहिष्कार किया और सदन छोड़ते वक्त राजनीतिक नारा भी लगाया । आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया ? शायद वे यह भूल गये कि राज्यपाल हमारे सदन का एक अंग है और वह इस प्रदेश का प्रतिनिधि है शासन का औपचारिक प्रधान है वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल के हाथ में होती है और राज्यपाल अभिभाषण के रूप में जो कुछ कहता है वह सत्तारुढ़ दल की नीति होती है । प्रश्न उठता है कि उनकी नाराजगी का कारण क्या है ? उन्होंने यह कहा कि प्रदेश में हाल ही के लोकसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ दल को पराजय मिली है । और उसे शासन करने का मौलिक अधिकार नहीं रहा । श्रीमन्, आप यह जानते हैं कि हमारे संविधान में देश के शासन के लिये दोहरी व्यवस्था है । एक व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का निर्माण होता है और दूसरी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रान्तीय सरकार का निर्माण होता है दोनों सरकारों के लिये चुनाव की भिन्न-भिन्न व्यवस्था है । यह जरूरी नहीं है कि दोनों सभाओं का चुनाव एक साथ ही हों । आप कल्पना कीजिये कि यदि दोनों सभाओं का चुनाव एक साथ होता, लोकसभा के चुनाव में हमारा दल विजयी नहीं हुआ यह ठीक है, किन्तु साथ ही यदि विधान सभा का भी चुनाव हुआ होता और उसमें हमारी पार्टी को बहुमत मिलता तो क्या, चूंकि केन्द्र में हमारी विजय नहीं हुई इसलिये यहां हमारी सरकार को मान्यता नहीं दी जाती । क्या हमको यहां शासन करने के अधिकार से वंचित रखा जाता ?

[बाबू प्रभाकर सिंह]

हमारा खयाल है कि विरोध पक्ष ने इस संवैधानिक पहलू की ओर कतई ध्यान नहीं दिया है। हमने माना कि उत्तरी भारत में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला, किन्तु दक्षिणी भारत में विरोधी पक्ष को भी बहुमत नहीं मिला है। अगर यही कसौटी मान ली जाय तो क्या दिल्ली की सरकार का कानून दक्षिणी भारत के लिये दूसरा होगा और उत्तरी भारत के लिये दूसरा होगा। कदापि नहीं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन संवैधानिक पहलुओं में गुस्से से काम न लिया जाय..... (शोर—व्यवधान)

आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने योजना आयोग से जो कि कुल धन 675 करोड़ प्राप्त किया उसके लिये वह बधाई की पात्र हैं। हमारी सरकार ने सिंचाई के लिये, बिजली के लिय और कृषि के लिये प्राथमिकता दी है। परन्तु इसके साथ ही सड़कों के निर्माण भी बहुत जरूरी हैं..... (व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा—

श्रीमन्, आपने व्यवस्था दी है कि सदन में कोई पान न खाये, मगर मंत्री जी सदन में पालन खा रहे हैं। इस पर आप कृपया अपनी व्यवस्था दें। (व्यवधान)

बाबू प्रभाकर सिंह—

विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो निर्माण किया जा रहा है उसके संबंध में शासन से कहना चाहता हूं कि वह देखे कि हमारे डिग्री कालेजेज और विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वहां के प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों का स्थानान्तरण भी हो सके। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

आज बड़े दुःख के साथ विपक्ष के पक्ष से बोल रहा हूं। आज 45 साल का सम्बन्ध कांग्रेस का मैंने तोड़ा है। मैं उन लोगों में से हूं कि जो 16 साल की अवस्था में 1932 में जेल गया। 9 साल जेल काटा। 12 बेंत लगे। कांग्रेस के वसूलों से मैं चिपका रहा।

(शोर—गुल, व्यवधान)

मैंने कांग्रेस के वसूलों से, नेहरू के सिद्धान्तों से, गांधी जी के सिद्धान्तों से मैंने बगावत नहीं की। मैंने बगावत की है कांग्रेस के उन मुसाहिबों से, कांग्रेस के उन दरबारियों से जो कांग्रेस शासन के ऊपर, कांग्रेस संगठन के ऊपर नाजायज तरीके से कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं आपसे श्रीमन्, कहना चाहता हूं कि यह राज्यपाल का जो भाषण है यह भाषण नहीं, मजाक है। यह मजाक है। बीस सूत्रीय प्रोग्राम के लिये और उसके साथ-साथ 5 सूत्रीय प्रोग्राम के लिये, जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री हमारे चिल्ला-चिल्ला कर कहते थे और जो नहीं मानता था, जेल में बंद किया जाता था। आज इसमें कुछ भी नहीं है।

(व्यवधान—शोरगुल)

इसमें समाजवाद का नाम भी नहीं है। यह कागज का टुकड़ा है। खिलौना देकर बहलाये गये हैं आप। इसमें कोई चीज नहीं है। मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह कांग्रेस को हरवाने की कोशिश की गयी है, उससे मुझे खुशी नहीं हुई। कांग्रेस को जिस तरीके से हरवाया गया है, इस प्रदेश में, उसमें खास तरीके से मुख्य मंत्री का जबरदस्त हाथ रहा है। 17 साल कांग्रेस से बाहर रहकर कांग्रेस को ये नहीं तोड़ सके, कांग्रेस के अन्दर रह कर इन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया। कांग्रेस को इन्होंने तोड़कर फेंक दिया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी, गांधी जी की टोपी नहीं लगाते। सफेद टोपी नहीं लगाते। इसका जरा कारण पूछिये क्यों नहीं लगाते? आज हमसे आप कहते हैं कि हम जनसंघ के साथ बैठ गये हैं। मुख्य मंत्री जी खुद आर0 एस0 एस0 की रैली सम्बोधित

कर चुके हैं। लाल टोपी के बाद सफेद टोपी नहीं लगाई। पीली टोपी से इनकी मिलती-जुलती टोपी आज भी लगी हुई है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो मुख्य मंत्री हैं वे मेन स्ट्रीम (मुख्य धारा) से कभी बाहर नहीं रहे हैं, सारा जीवन इनका मेन स्ट्रीम में रहा है। ये जनता पार्टी में जाने वाले हैं, आज नहीं तो कल जायेंगे। आगे ये आपके साथ रहने वाले नहीं हैं। इसकी बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री आगा जैदी—

(व्यवधान)

श्री राम अवार—

एक आदमी को भी बोलने नहीं दिया जायगा नहीं तो आप लोग इनको सुनें।

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जब विरोध पक्ष के सदस्य बोल रहे हैं तो कृपा करके आप अपने सदस्यों का नियन्त्रित करें। यदि आप अपने सदस्यों को नियन्त्रण में नहीं रखेंगे तो जब आपके सदस्य बोलेंगे तो हम लोग भी हरगिज-हरगिज आपको बोलने नहीं देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मुझे यह देख कर तकलीफ हो रही है और उस स्थिति में जब कि मुख्य मंत्री जी मौजूद हैं और नेता विरोधी दल भी मौजूद हैं और माननीय सदस्य पीछे बैठ कर माइक पर आवाजकशी और जिस तरह की बेढंगी बातें करते हैं, यह माननीय सदस्यों के लिये शोभा नहीं देता। मुझे निहायत तकलीफ होती है और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी गरिमा और मर्यादा को थोड़ा बनाये रखें। यह सदन कोई परेड का बाजार नहीं है। इस सदन की कुछ गरिमा है, मर्यादायें हैं, मान्यतायें हैं, उसके अनुरूप आप आचरण करें, अपना आदर्श रखें जिससे समाज उससे नसीहत ले। मेरी दरख्वास्त है कि आप जरा मेरे निवेदन पर गम्भीरता के साथ इस पर सोचें और इस सदन की गरिमा के अनुरूप थोड़ा कायदे से काम करें।

श्री आगा जैदी—

उपाध्यक्ष जी, कल तक हमसे कहा जा रहा था कि आप नेहरू की बात मत कीजिये, गांधी की बात मत कीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

व्यवस्था मैं दूंगा या आप देंगे? जितना समय निर्धारित है, उसके अनुरूप ही तो समय दिया जायेगा। आप बैठने की कृपा करें।

श्री आगा जैदी—

आप न लेफ्ट की बात कीजिये न राइट की बात कीजिये। गरीबी अपने आप हट जायेगी। यह कहा जाता था। मेरे एक मित्र से मुख्य मंत्री ने कहा कि आप समाजवाद की बहुत बात करते हो, मीटिंग्स बहुत करते हो, नेहरू का नाम बहुत लेते हो, लेकिन अब आप सिर्फ संजय गांधी का नाम लीजिये। इस पर उस एम0एल0ए0 ने कहा कि मैं आपका कोई गुलाम नहीं हूं। उनका नाम है श्री क्रांति कुमार, एम0 एल0 ए0। इसी तरह की एक घटना मेरे साथ भी घटी। मैं कांग्रेस का पुराना खादिम रहा हूं। उस कांग्रेस के लिये मेरे दिल में दर्द है और वह दर्द आज भी है लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से इन मुसाहिबों ने

[श्री आगा जैदी]

इस कांग्रेस पर कब्जा कर रखा है। कांग्रेस के अन्दर शराब कबाब की दुनिया में ये लोग रहते हैं। मेरे पास एक टेपरेकार्डर है। इसमें टेलिफोन पर जो रोमांटिक वार्तालाप हुआ है वह टेप किया हुआ है। अगर आप कहें तो इसको सुना सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आपकी व्यक्तिगत बात है।

श्री आगा जैदी—

एक मिनिस्टर साहब हैं जो नौजवान हैं, काफी खूबसूरत हैं, एजूकेशन के मिनिस्टर हैं, उनका 15 मिनट का यह टॉक है।

श्री उपाध्यक्ष—

कोई व्यक्तिगत बात आप यहां नहीं कहें।

श्री आगा जैदी—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है। यह टेप है। मंत्री जी एक स्कूल की टीचर से यह गुफ्तगू कर रहे थे।

(व्यापक शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपकी शिकायत व्यक्तिगत है।

(शोर)

एक सदस्य—

मान्यवर, इसको सदन में सुनाया जाना चाहिये।

(इसको पेश किया जाय की आवाजें और शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने माननीय मूल चन्द्र जी को बुलाया है। आप बैठने की कृपा करें। जैदी साहब, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री आगा जैदी—

इसको आप कहें तो मैं सुना दूं। .. (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको सुना जाय।

श्री आगा जैदी—

इसको अलग सुन लीजिये। कमरे में सुन लीजिये।

(शोर)

श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप मेरा प्रश्न सुन लीजिये। (व्यापक-शोर)।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह मंत्री जी से बयान दिलवायें।

श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर, इसे हाउस के सामने आना चाहिये और संबंधित मंत्री को यहां पर अपनी सफाई देनी चाहिये।

एक सदस्य—

माननीय मंत्री जी को सफाई का मौका मिलना चाहिये।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जिस टेप को माननीय जैदी साहब ने प्रस्तुत किया है उसको बजाया जाय।

(सदन में शोर जारी रहा)

श्री उपाध्यक्ष--

आखिर सदन की कुछ मर्यादायें, कुछ कायदें हैं, आप बैठने की कृपा करें।

एक सदस्य--

मान्यवर, इसको सुन लीजिये, यह हाउस की सम्पत्ति है।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, इसको आप जमा कराइये। एक सदस्य ने स्पष्ट लांछन एक मंत्री के ऊपर लगाया है। यह टेप सदन की सम्पत्ति है।

(कई सदस्य साथ-साथ बोलते रहे)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, यह सदन की सम्पत्ति हो गयी है। इसको ले लिया जाय।

श्री आगा जैदी--

इस टेप को सदन के सामने सुनना चाहिये। अगर आप नहीं सुनते हैं तो मैं चला जाता हूं।

(मा० सदस्य अपना स्थान छोड़ कर जाने लगे किन्तु फिर लौट आये।)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक डाकूमेंट के आधार पर आरोप शिक्षा मंत्री के विरुद्ध लगाया गया है। यह सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये और मंत्री महोदय को इस बारे में अपना वक्तव्य देना चाहिये ताकि सदस्यों को जानकारी हो सके।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता कि कोई अपना वक्तव्य दे।

(शोर)

एक सदस्य--

यह प्रश्न व्यवस्था का है इसको आप टाल नहीं सकते हैं।

(इस समय 3 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

श्री मधुकर दिघे--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। अभी माननीय आगा जैदी ने एक मंत्री के विरुद्ध, शिक्षा मंत्री के आचरण का उल्लेख करते हुये एक टेप सदन के सामने रखा। चूंकि यह सदन की प्रापरटी हो गयी है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह सदन के समक्ष आना चाहिये और माननीय शिक्षा मंत्री का इन आरोपों के संबंध में उनका वक्तव्य सदन के सामने आना जरूरी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है। उनको इस बारे में इस सदन के सामने अपना स्पष्टीकरण करने का मौका देना चाहिये। इस टेप को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

मेरे सामने जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका सैद्धान्तिक पहलू है कि क्या इस विघ्न सभा की गौरव और गरिमा को ध्यान में रखते हुये इसके लम्बे इतिहास और संसदीय

[श्री अध्यक्ष]

जीवन के परिप्रेक्ष में यह उचित हो सकता है कि किसी भी विधान सभा या लोक सभा या राज्य सभा अथवा विधान परिषद् में किसी के जीवन के बारे में एक गवाही या साक्ष्य के रूप में किसी टेप रिकार्ड की मान्यता दी जाय ? मैं आपसे कहूंगा . . . . (एक साथ कई सदस्यों के बोलने की आवाजें) मेरी पूरी बात सुनने की कृपा करें. . . . . .

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, टेप हाउस की संपत्ति है इसलिये मंत्री जी को यहां सफाई देनी चाहिये।

श्री मधुकर दिघे--

श्रीमन्, आप किसी गवाही के रूप में मानें या न मानें। यह आपके ऊपर है . . .

श्री अध्यक्ष--

दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है और वह भी संसदीय परम्परा और प्रणाली का अंग है कि क्या कोई पीठासीन अधिकारी जिस बात की स्वीकृति दे और जिसकी अनुमति न दे, तो उसकी अनुमति को दूसरा पीठासीन अधिकारी सक्षम अधिकारी के रूप में खंडन मंडन करे। यह सदन का और उसकी गरिमा और गौरव का खंडन करना होगा। इसलिये दोनों दृष्टियों से सदन से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि. . . . .

श्री सुखदराज सिंह (जिला बहराइच)--

इस के बारे में व्यवस्था नहीं दी है इसलिये यह कहना कि खंडन-मंडन करना उचित नहीं है, यह ठीक नहीं है। व्यवस्था अभी नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष--

जो यह रिकार्ड है और जो बात हुई है वह तो लिखित कार्यवाही में है। मैं उसको दिखवा लेता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

मान्यवर, जब टेप रिकार्ड आप अपने कब्जे में ले लें तब व्यवस्था दें।

(श्री आगा जैदी सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

जो चार्ज लगाया गया है उसके संबंध में आप वह टेप रिकार्ड ले लें।

श्री काशी नाथ मिश्र--

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आगा जैदी के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाता हूं क्योंकि उन्होंने टेप रिकार्ड दिखलाकर शिक्षा मंत्री पर मिथ्या आरोप लगाया है. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

आप लिखकर दें।

*श्री मूलचन्द्र राजपूत (जिला मुजफ्फरनगर)--

अध्यक्ष महोदय, मैं समझ रहा था कि गल्तियां करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति और पार्टी अपनी गल्ती को मान लेते हैं। लेकिन अभिभाषण को देखने से ज्ञात हुआ है कि जनता ने उनकी गल्तियों के लिये महसूस कराया और उत्तर प्रदेश में जो 85 सीटें थीं उनमें सभी पर कांग्रेस को हरा दिया और उसके बाद भी इन लोगों को महसूस नहीं हुआ कि अपनी गल्ती को महसूस करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इंदिरा गांधी और संजय गांधी के साथ-साथ उतने ही दोषी मंत्रिमंडल और कांग्रेस के विधायक हैं चूंकि इन विधायकों ने और मंत्रियों ने इंदिरा गांधी और संजय गांधी की बोली को सीखा और उसका समर्थन किया और 19 महीनों में जो यह घुटन रही उसके लिये यह पूर्णतया दोषी हैं। इसलिए इन लोगों को यह समझ लेना चाहिए था कि इन गलतियों की इनको यातनाएं भुगतनी पड़ेंगी और मैं इन्हें बतला देना चाहता हूं कि आगे भी जो ये 425 सीटें हैं वे भी लूज करेंगे यदि ये सही रास्ते पर नहीं आए और इनको चेतावनी दी जाती है कि इन लोगों को विशेष रूप से मुजफ्फरनगर से लेसन लेना चाहिए। वहां पर जो घटना हुई उसकी सुचारु रूप से कोई इनक्वायरी नहीं हुई है, न ही जो गोलियां चलीं उसकी ही कुछ इनक्वायरी हुई है। मैं मुख्य मन्त्री से कहता हूं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उनकी उचित इनक्वायरी कराई जाय और जो लोग अभी तक अपने पद पर आसीन हैं विशेष रूप से वहां के कलेक्टर जिन्हें आगरे में अब आर0एफ0सी0 बना दिया गया है उन्हें सस्पेंड किया जाय और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने वायदा किया था कि रोजगार को हम पूरी तरह से साल्व करेंगे लेकिन मैं देख रहा हूं कि लाखों-करोड़ों विद्यार्थी हर साल निकलते हैं और वे बेकार पड़े हुए हैं। उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है, न रोजगार दिया जाता है। इसलिए यह मंत्रिमंडल और विशेष तौर पर मुख्य मन्त्री इस ओर ध्यान देंगे कि उन्होंने जो बजट यहां पेश किया है उसमें रोजगार को हल करने का कोई हल नहीं दिया है।

इसके अलावा रिश्वतखोरी इतनी बढ़ी हुई है और इसे मिटाने का अभिभाषण में कोई हल नहीं दिया है।

कृषि के बारे में भी गवर्नर के भाषण में कुछ नहीं कहा गया है बल्कि यह कहा गया है कि हम लोगों ने आधा लगान माफ कर दिया है। आप इस पर गौर करेंगे कि आधा लगान माफ करने से भी जो छः गुना लगान रह गया है वह नारमल लगान से भी ज्यादा रह गया है। सब से बड़ी बात यह है कि किसानों का जो प्रोडक्शन होता है उसके अनुसार उसकी कीमत नहीं दी जाती है। इसके हल के लिए भी गवर्नर के भाषण में कुछ नहीं दिया गया है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रदेश के अन्दर सिंचाई की है और चारों तरफ यह ढोल पीटा जा रहा है कि सिंचाई के अन्दर बहुत सुविधा दे दी गयी है लेकिन मुजफ्फरनगर के अन्दर जो कटिनाई बिजली की पैदा हो रही है वह यहां पर बयान नहीं की जा सकती। वहां के मन्त्री भी हैं और उन से भी कहा गया है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और वहां पर केवल एक घंटे बिजली दी जाती है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां फसलें बरबाद हो रही हैं। मुख्य मन्त्री जी से मुझे कहना है कि इस ओर ध्यान दें और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाएं।

इसके अलावा जो भ्रष्टाचार सहकारिता में हो रहा है उसकी ओर भी गवर्नर के एड्रेस में कुछ नहीं दिया गया है। इस विभाग में जो भ्रष्टाचारी हैं उन लोगों को शह दी जा रही है।

इसके अलावा शिक्षा पर भी आना चाहता हूं। शिक्षा के अन्दर 10 धन 2 धन 3 का जो फार्मूला दिया गया है वह अभी चलाया नहीं गया है लेकिन इस सम्बन्ध में जो अन्तर प्राइमरी और पब्लिक स्कूल में आया है उसे मिटाना है और यदि यह नहीं कर पाए तो 10+2+3 का फार्मूला कामयाब नहीं होगा और न इसके लिए जो फल सोचा गया है वह निकलेगा। इसी वजह से मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर प्राइमरी और पब्लिक स्कूलों में जो बहुत बड़ा अन्तर है उसको मिटा देना चाहिए और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया और अपनी गलतियों को महसूस नहीं किया तो आपको भी, श्री संजय गांधी और इंदिरा गांधी जैसा हाल भुगतना पड़ेगा। इस समय

[श्री मूल चन्द राजपूत]

आप जबर्दस्ती मंत्रि मण्डल बनाए हुए हैं और उसमें आप मनमानी कर रहे हैं। जनता को जो आपने विश्वास दिलाए थे उस ओर आपका ध्यान नहीं है केवल आपको ध्यान कुर्सी बचाने का है और इधर जो 2 दिन के अन्दर आप घुड़दौड़ कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, चाय पिला रहे हैं। प्रत्येक मंत्री कार लेकर इधर-उधर दौड़ रहा है कि किसी प्रकार से मंत्रि मण्डल बच जाय तो इस तरह से मंत्रि मण्डल नहीं बच सकता है और मैं गारन्टी करता हूं कि अगर आपका रवैया यही रहा तो आपको इसका परिणाम आगे को भुगतना होगा। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि आप लोग जो हैं अपनी कुर्सी को छोड़कर और जनता की सेवा कीजिए और इधर आकर बैठिए ताकि आपका कल्याण हो सके और इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चा फेंकने की घटना के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 31-3-77 को प्रश्नोत्तर काल में लगभग 11.20 बजे सदन की कार्यवाही चलते समय एक व्यक्ति ने जिसके पास श्री लाल मोहन सिंह के नाम का दर्शक दीर्घा का प्रवेश-पत्र था और जिसे कि श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, जिला देवरिया ने जारी किया था, सदन के शासन पक्ष की ओर दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कुछ पर्चे फेंके, जिससे सदन की कार्यवाही में व्यवधान हुआ। दीर्घा में तैनात व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को तुरन्त वहां से हटा लिया और वह इस समय मार्शल की हिरासत में बैठाए गये हैं।

प्रवेश-पत्र संख्या 10744 है एवं फेंके गए पर्चे की एक प्रति सूचनार्थ एवं आदेशार्थ संलग्न है।

यह उक्त घटना के सम्बन्ध में मार्शल की रिपोर्ट सचिव ने हमारे पास भेजी है और इसमें उस व्यक्ति का बयान भी है।

"मैं लाल मोहन सिंह आत्मज श्री राम सूरत सिंह, निवासी ग्राम पिपरा बांध, डाकखाना लार रोड, जिला देवरिया बयान करता हूं कि मैं लखनऊ में श्री रामाज्ञा प्रसाद, एम0एल0सी0 के कमरे में ठहरा हुआ हूं। मैंने श्री हरिकेवल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा से प्रवेश-पत्र संख्या 10744 जारी कराया था। मैंने न श्री हरिकेवल प्रसाद को ही यह बताया था और न ही श्री रामाज्ञा प्रसाद को ही यह बताया था कि मैं दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने के लिए लखनऊ आया हूं। मैंने "महुआ वारी इण्टर कालेज, देवरिया में व्याप्त भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु प्रदेश की सरकार एवं विधायकगण से निवेदन" शीर्षक वाले पर्चे दर्शक दीर्घा से फेंके थे। पर्चे फेंकते समय मैंने कोई नारा नहीं लगाया था। मेरे पास कुल 24 पर्चे थे और मैंने सारे पर्चे फेंक दिए। मुझे यह ज्ञात नहीं था कि दर्शक दीर्घा से इस प्रकार पर्चे फेंकना सदन का अवमान है। यदि मुझे यह ज्ञात होता कि दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकना सदन का अवमान है तो कदाचित मैं ऐसा न करता। चूंकि मुझे यह ज्ञात नहीं था कि दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने से सदन का अवमान होता है इसलिए मैंने इस माध्यम को अपनाया। अब मुझे ज्ञात हो गया है कि ऐसा करने से सदन की मर्यादा भंग होती है इसलिए मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मेरी प्रार्थना को सरकार तक पहुंचा दिया जाय।

"ह0 लाल मोहन सिंह"
31-3-77

अनेक सदस्य—

जो पर्चा फेंका गया, उसमें क्या लिखा है ?

श्री अध्यक्ष—

वही मैं पढ़कर बता रहा हूं, सब आपके समक्ष रख दूंगा।

"सम्प्रति पं0 जवाहर लाल इण्टर कालेज, महुआवारी, देवरिया के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार की पराकाष्ठा हो गयी है। उनके अत्याचार से विगत 23–10–75 से 16 अध्यापक पीड़ित हैं। अध्यापकों के बीमा निधि और अन्य मदों के 7 लाख रुपए गबन कर लिए गये हैं। इस सम्बन्ध में जिले, मण्डल और प्रदेश के समस्त अधिकारियों से सम्पर्क किया गया और प्रतिवेदन भी समर्पित किए गये, किन्तु श्री राजमंगल पाण्डेय, भूतपूर्व न्याय मन्त्री, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री बृजानन्द सिंह, अध्यक्ष, जिला परिषद्, देवरिया की अधिकारियों से दुरभिसंधि होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आज भी सात स्थायी अध्यापक निष्कासित हैं और सपरिवार भुखमरी के शिकार हैं। अतः सभी प्रकार से बाध्य हो माध्यमिक शिक्षक संघ, देवरिया ने 11 अप्रैल से 18 अप्रैल, 10 बजे तक क्रमिक अनशन और 18 अप्रैल, 77 से आमरण अनशन करने का निश्चय इस दृष्टि से किया है कि सरकार के वरिष्ठ अधिकारी इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर समस्या का निराकरण तुरन्त करने की कृपा करें और आप सभी से निराकरण हेतु सहयोग की प्रार्थना है।

निवेदक,

लाल मोहन सिंह, अध्यक्ष,
विष्णु शरण पाण्डेय, मन्त्री,
पं0 जवाहर लाल कृषक इण्टर कालेज, महुवावारी,
देवरिया के पीड़ित अध्यापकों की तरफ से।

अब आप लोगों की जो राय हो ?

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उसको छोड़ दिया जाय। अब तक काफी सजा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष—

अब तक की सजा के बाद उनको छोड़ने की राय है ? (कुछ रुक कर) मार्शल उनको छोड़ दिया जाय।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*मुख्य मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं सबसे पहले यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि विरोधी दल के कार्यवाहक नेता, माननीय सत्य प्रकाश जी को बधाई दूं कि उन्होंने जिस गुरुतर भार को अब ग्रहण किया है मुझे आशा है कि वह पद की गरिमा के अनुरूप मर्यादा को बनाए रखेंगे और इस सदन में नेता, विरोधी दल की जो पुरानी परम्पराएं रही हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए इस सदन की मान मर्यादा को भी बढ़ायेंगे और जो एक नया दायित्व विरोधी दल पर आन पड़ा है, उसका भी निर्वहन करेंगे। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह एक अभूतपूर्व अवसर आया है और एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ है, चाहे वह कितने ही समय के लिए हो, कि आज जो विरोधी दल हमारे सम्मुख उपस्थित है केन्द्र में शासकीय दल का वह प्रतिनिधि है। मुझे विश्वास है कि न केवल नेता, विरोधी दल बल्कि विरोधी दलों के सभी सम्मानित सदस्य अपने इस नए उत्तरदायित्व की गरिमा को भलीभांति जानते हैं। मुझे ऐसा लगा इस अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन आया उसमें उस उत्तरदायित्व का मुझे थोड़ा आभास दिखाई दिया, इसके लिए मैं नेता, विरोधी दल और विरोधी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

दल के सभी सम्मानित सदस्यों को बधाई देता हूं इस बात के लिए कि उनकी समझ में यह अब आया कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी उनके कन्धों पर आ गयी है।

(व्यवधान)

मैं नेता, विरोधी दल को इसलिए भी बधाई देता हूं कि उनको राज्यपाल के अभिभाषण से कोई शिकायत नहीं है। उन्होंने केवल एक ही संशोधन पेश किया है और अभिभाषण में जहां तक नीति का सम्बन्ध है उसमें उनका कोई संशोधन नहीं है। वह संशोधन यह है चूंकि कांग्रेस के प्रत्याशी लोक सभा के चुनाव में हार गए हैं—यदि यह हम लिख देते कि सरकार पर अविश्वास प्रकट करते हैं तो वह बाकी अभिभाषण को वैसा का वैसा मंजूर कर लेते और इस प्रकार जो भी नीतियां हमने बनाई हैं उनसे कोई शिकायत उनकी नहीं है। लिखित में कुछ नहीं है, कहने में कुछ भी कह दिया हो। यह इस सदन की परिपाटी रही है। मुझे तो विरोधी दल में बैठने का सौभाग्य रहा है. . .

(व्यवधान)

आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन नीतियों का वर्णन हमने इस अभिभाषण में किया है उसे आपने भी माना है। उनके ऊपर कोई संशोधन मूव नहीं हुआ है। उसके बारे में नेता, विरोधी दल ने अपने संशोधन में कोई शिकायत नहीं की है। उनकी केवल शिकायत यह है कि लोक सभा के चुनावों के परिणाम के बाद भी हम यहां पर बहुमत में क्यों हैं . . . .

(व्यवधान)

मैं वही बात कहने जा रहा था, जो आपने अपने मुंह से कह दी कि चूंकि लोक सभा में चुनाव में आपका बहुमत आ गया इसलिए यहां पर चुनाव होना चाहिए। यही मैं भी कह रहा था और वही आपने पहले कह दिया।

श्रीमन्, संविधान के अनुसार अभी तक तो कोई ऐसा इतिहास नहीं मिला, इसी सदन के इतिहास में नहीं बल्कि संसार के किसी भी सदन के इतिहास में जहां कहीं संघीय संविधान है, ऐसी मिसाल हो कि यदि कहीं संघ की सरकार किसी दूसरी पार्टी की हो गयी तो राज्य की सरकारों ने खुद ब खुद इस्तीफा दे दिया हो। ऐसी कोई मिसाल संसार के इतिहास में नहीं है।

श्री आगा जैदी (जिला जौनपुर)—

एक प्वाइंट आफ आर्डर . . .

एक सदस्य—

भारत जैसा संविधान दुनियां में नहीं है।

श्री आगा जैदी—

आपको टेलीफोन से कहा गया कि इस्तीफा दे दो।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मेरा निवेदन यह है कि इस लोक सभा के चुनाव के साथ-साथ केरल की असेम्बली के चुनाव भी हुए। वहां पर जनता ने बहुमत को चुन लिया है।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)—

69 में केरल में बहुमत था, केन्द्रीय सरकार ने क्यों उसको भंग करवा दिया था, इसका कोई जवाब है आपके पास ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अब आगे की सरकारें भंग नहीं होंगी।

श्री रामप्यारे तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या दुनियां के किसी भी पर्दे में संघीय सरकार के किसी भी प्रधान का कोई सम्बन्धी जो कि सरकार के किसी पद पर आसीन न हो, जब प्रान्त में आए तो प्रान्तीय सरकार उनके स्वागत सम्मान पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग करे, ऐसा उदाहरण है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप तो राम के प्यारे हैं, मैं तो आपको नारायण का भी प्यारा मानता हूं। तर्क का उत्तर तर्क से दिया जाता है। मेरा निवेदन यह है कि केरल में इस समय असेम्बली के चुनाव हुए। करुणाकरण और कांग्रेस की वहां पर कोलीशन गवर्नमेंट बनी है। करुणाकरण वहां पर मुख्य मन्त्री चुने गए हैं। चूंकि जनता पार्टी की सरकार केन्द्र में कायम हो गयी इसलिए केरल की सरकार अवैधानिक हो गई ?

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

आप संघीय संविधान की बात कर रहे हैं उनको मैनडेट मिला है, लेकिन यहां तो बुरी तरह से पराजित हुए हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए। श्रीमन्, इसी उत्तर प्रदेश में सन् 1971 में चुनाव में क्या हालत हुई थी। लोक सभा के चुनाव में 79 सीटें कांग्रेस ने जीतीं थीं और उस समय यहां पर संविद सरकार थी और उसके मुख्य मन्त्री पराजित हो चुके थे, उसके बाद भी वह मुख्य मन्त्री बने रहे। यहां तो प्रधान मन्त्री की पराजय दिल्ली के लिए हुई। यहां पर मुख्य मन्त्री की पराजय होने के बाद भी और लोक सभा के लिए पराजय होने के बाद भी सरकार बनी रही। दो-दो पराजय होने के बाद सरकार बनी रही। इसी उत्तर प्रदेश का उदाहरण मौजूद है।. . .

(व्यवधान)

हमारे चन्द सम्मानित सदस्य उस समय भी सदस्य रहे होंगे तो उनको याद होगा इस सदन में इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ। आप दूसरे देशों को ले लीजिए जहां-जहां पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी है आप इंगलैण्ड को ले लीजिए। वहां पर लेबर पार्टी और कंजरवेटिव दो पार्टियां हैं अगर मेट्रोपोलिटन काऊंसिल में लेबर पार्टी है तो काउण्टी काऊंसिल में कंजरवेटिव की है। ऐसा नहीं है कि कंजरवेटिव यूनिट बनी न रहे। श्रीमन्, जर्मनी को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए वहां पर भिन्न-भिन्न पार्टियों की सरकारें हैं। इस पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा क्या भिन्न-भिन्न स्तरों पर भिन्न-भिन्न सरकारें नहीं रह सकती हैं ? चाहे जिला परिषद् हो. चाहे ग्राम सभा हो। आज अमेरिका में वहां के राष्ट्रपति डिमोक्रेटिक पार्टी के हैं लेकिन कई प्रान्तों में रिपब्लिकन पार्टी के गवर्नर बने हैं। तो क्या वे सब लोग इस्तीफा दे देंगे चूंकि डिमोक्रेटिक पार्टी का बहुमत है ? कहीं ऐसा नहीं है। आप इंगलैण्ड को ले लीजिए, फ्रांस को ले लीजिए वहां पर फैडरल रिपब्लिक में क्रिश्चियन डिमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है और प्रान्तों में उनकी सरकार नहीं है। आज संघीय संविधान का टेस्ट है. . . . . .

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम कौषिक (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मुख्य मन्त्री जी से एक सवाल जानना चाहता हूं. .

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप तो पुरुषों में भी उत्तम हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि जहां तक पराजय का प्रश्न है मुझे आशा थी कि कम से कम नेता, विरोधी दल, क्योंकि उनका पद गरिमा का है उन्होंने एक शब्द भी कहा होता जिस ग्रेस से, जिस नम्रता से जनता के वरडिक्ट की हमारी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

नेता प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया, उसके सम्बन्ध में एक शब्द तो कहा होता क्या यह प्रजातांत्रिक परिपाटी में नहीं आता है ? इसे देख कर मुझे दुख हुआ. . . .

(व्यवधान)

माननीय जयप्रकाश नारायण जी ने एक परम्परा कायम की, वह आधे घंटे तक प्रधान मन्त्री के साथ बैठे, उनके निवास स्थान पर गए। आपने अखबार में नहीं पढ़ा, तो क्या किया जाय। इसी प्रकार प्रधान मन्त्री, मोरार जी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी जी से मिलने उनके घर गए थे और उन्होंने कहा कि कोई शब्द या वाक्य जनता पार्टी के लोगों की तरफ से नहीं कहा जाना चाहिए, जो कटु हो। उन्होंने कहा, अब चुनाव हो गया, उसकी होड़ाहोड़ी हो गयी, अब कोई शब्द कटुता का जो प्रजातांत्रिक वातावरण को कलंकित करे, नहीं कहना चाहिए।

एक सदस्य—

घबड़ाइए नहीं, मैं भी आपके पास संवेदना प्रकट करने आऊंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जिस वातावरण की अपेक्षा केन्द्रीय नेताओं ने हमसे की थी, उसके विपरीत वातावरण को पुनः दोहराने की चेष्टा की जा रही है। हमारे कुछ साथियों को बहुत दुःख है कि उन्हें जेलों में रहना पड़ा, इसका मुझे भी हार्दिक दुःख है। राजनीतिक झंझावात में उन्हें कष्ट उठाना पड़ा और मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कोई भी हममें से यह नहीं चाह सकता कि राजनीति में भी हो तो किसी साथी को कोई कष्ट हो। लेकिन यदि हम स्वयं कष्ट आमन्त्रित करें या ऐसी स्थिति बनाई जाय, तो इतिहास उसका निराकरण करता है। तो यह कटुता की बातें, व्यक्तिगत आक्षेप की बातें अब समाप्त होनी चाहिए और जो जनता पार्टी का मैनीफेस्टो है, उसको आप देखें।

श्री राजेंद्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

आपने जो विधायकों पर झूठे आरोप लगाये हैं, उसका दुख है या नहीं ?

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

[× × × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ लिखा नहीं जायेगा, गर्ग जी बिना अनुमति बोल रहे हैं।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—

[× × × ×]

श्री तेज सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

आप यह बतायें कि क्या श्री सी० बी० गुप्ता और श्री तेज सिंह, एम०एल०ए० को सुन्दर डाकू द्वारा मरवा डालने का षडयन्त्र हमने किया था। आपने इतना बड़ा षड़यन्त्र करके उससे कहलवाया। मैं जिन्दा इस विधान सभा में आ गया तो मैं समझता हूं कि हमारे बड़े भाग्य थे और आप सबके दर्शन भाग्य में लिखे थे। . . . .

(व्यवधान)

उसे आप पटल पर रखिए। आप क्या आदर्श दे रहे हैं, आपने कितनी खूबसूरती से इल्जाम लगाया है। इंदिरा जी को मरवाने का षड़यन्त्र हमने किया था ?

नोट—[××××] माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार उपरोक्त अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आप पटल पर फाइल रखिए। साफ कीजिए कि किसने किया है। जो बकाया है, उसको साफ कीजिए।

एक सदस्य—

इन सज्जन को तुरन्त बरेली भेजिए।

श्री तेज सिंह—

आप सजा दीजिए जो खतावार हो और जो आपके दल के लोग रास्ता साफ करते हैं, एम0एल0ए0 बनने के लिए, मन्त्री बनने के लिए मरवाना चाहते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आपने आरोप लगाया है, माननीय मुख्य मन्त्री बड़ी उदारता का परिचय दे रहे हैं, फाइल को पटल पर रखिए। जिसने षड्यन्त्र का कार्य किया है, जिसने सरेंडर कराया है, बयान दिलाया है, सी0आई0डी0 की रिपोर्ट रखिए। पोजीशन साफ की जाए।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

नेता, विरोधी दल नहीं हैं। कृपा करके आप देखें।

श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

आप विरोधी दल के नेताओं को उपदेश दे रहे हैं। उनके पीछे बैठे हुए लोग गड़बड़ कर रहे हैं, उनको नहीं कह रहे हैं। जो कह रहे हैं कि बरेली भेजिए। हम तो बरेली और आगरा हो आये हैं। अब आप का नम्बर है। आप बरेली जायेंगे. . . . (शोर) चुप रहिए आप। शर्म नहीं आती आपको।

श्री अध्यक्ष (जिला बहराइच)—

माननीय तेज सिंह, बात यह है कि आप जो कहना चाहते हैं, अभी यह कहने का अवसर आपको मिला और जिन्होंने जो बातें कही हैं, उनके जवाब का यह समय है। आप अपने ही, जो दो दिन का चर्चा का विषय है, उसी को विफल करना चाहते हैं। मैं माननीय तेज सिंह से कहना चाहता हूं कि वह कुछ लिख कर दें तो कुछ हो सकता है। उस पर करने की विधि है। आप लिख कर दें, आपके ऊपर जो हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ। इस तरह से अभी नहीं कहना चाहिए। सवाल यह है कि इसके पहले कोई भी दस्तावेज रखना चाहिए। कम से कम जो पीठासीन अधिकारी है, अध्यक्ष है, उसको विश्वास में लेना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी अब जवाब दे रहे हैं। उसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री तेज सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, दफा 51 में मैंने दिया है। उसको खारिज किया है। खारिज करने के बाद दोबारा फिर आज दिया है। जिस को खारिज किया है, जिसको मैंने अपने दस्तखत से दिया था, उस पर यह कहा है कि केवल प्रश्न कर लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय तेज सिंह, नियम 51 इसके बाद आता है। 9 नम्बर पर है कार्य-सूची में।

श्री तेज सिंह—

मेरे पास जवाब मौजूद है।

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 पर अवसर देंगे, जैसे नियम 56 में अवसर दिया जाता है, अगर आपने दिया है। मैंने अभी देखा नहीं है। आया है। लेकिन उस पर एक आपत्ति यह है कि दस बजे के बाद आया है, समयोपरान्त 10 बज कर 15 मिनट पर आया है। इसको नहीं उठा सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं निवेदन कर रहा था कि जनता पार्टी के मैनिफेस्टों से स्पष्ट है कि प्रजातन्त्र के सबसे बड़े हामी, लोकतन्त्र के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हुए सबसे बड़ी कसौटी यह है कि क्या इस विधान सभा का जो पूरा टर्म है चलने दिया जायगा ? (शोर)

इसका उत्तर नहीं है । (व्यवधान)

श्री बाबू लाल वर्मा—

आप इस्तीफा दें और गद्दी से हटिए । (शोर)

श्री आगा जैदी—

यह मुख्य मन्त्री हुए हैं वह संजय और बंसी लाल के द्वारा हुए हैं । उनको निकाला जा रहा है । यह भी निकलें । (शोर)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

(शोर में) माननीय सदस्यों ने लगान और बहुत से अन्य सुझाव दिए हैं । सम्मानित नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं । मैं उनसे सहमत हूं और हमारे कांग्रेस विधान मण्डल दल द्वारा भी कई सुझाव दिए गये हैं । इस राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में मैं यह समझता हूं कि उनको यहां पर उपस्थित करना और स्पष्ट करना ठीक होगा । श्रीमन्, जहां तक लगान का सवाल है, हमारे विधान मण्डल दल की जो राय है उसको देखते हुए और जो हमारे माननीय अन्य सदस्यों ने अपनी राय व्यक्त की है उसको देखते हुए हम यह निर्णय ले रहे हैं कि तात्कालिक प्रभाव से लगान जो पहले था, वह पूर्ववत् वैसे ही कर दिया जायेगा ।

श्री तीरथ राम कोहली (जिला इलाहाबाद)—

जनता ने मजबूर किया है आपको । तिवारी जी आपको बधाई हो ।

(शोर और व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बैठिए-बैठिए, सिंचाई के बारे में यह निर्णय लिया है कि जो कमाण्ड एरिया का 21 रु0 प्रति एकड़ लिया जाता था उसे खत्म किया जाता है और पानी की दर जो पहले थी वैसे ही कर दी जायगी । (शोर)

श्री बाबू लाल वर्मा—

बिजली का भी कुछ एलान कर दीजिए ।

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

यह सब करने के लिए जनता ने आपको मजबूर किया है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दशरथ सिंह आप बैठे और सुनें ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक बिजली का सवाल है, उसके बारे में सारी कठिनाइयों को देखते हुए 15 रु0 प्रति हार्स पावर से घटाकर 12 रु0 कर दिया गया है । (शोर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय दौनोरिया जी आप बैठें । अब समय नहीं है ।

यदि आप इस तरह से करेंगे तो इधर वाले भी वैसा ही करने लगेंगे और फिर सदन का काम नहीं चलेगा। अब आप कृपया बैठें।

एक सदस्य—

लगान के बारे में भी आप बता दें कि क्या आप रामपुर और बरेली के समान कर रहे हैं या नहीं ? (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यूनिवर्सिटी में बी0ए0, बी0एस0-सी0 और बी0 काम0 आदि की फीस भी वे ही कर दी जायेंगी जो पहले थीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

एक बात मैं भी जानना चाहता हूं. . . .

श्री अध्यक्ष—

ऐसे काम नहीं चलेगा, आप सुनें, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

तो मैं कह रहा था कि यूनिवर्सिटी में बी0ए0, बी0एस-सी0, आदि की जो फीस बढ़ाई गई थी वह वही रहेगी जो पहले थी।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आई। मैं फिर कहे देता हूं कि हमारी सरकार इस बात की संस्तुति करेगी कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय।

(मेजें थपथपाई गयीं)

(माननीय सदस्यों के खड़े होने और कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें। आप क्यों बार-बार उठते हैं। इसको आप बाजार न बनाइए। आप जानते हैं कि सदन कानून और नियमों से चलते हैं। माननीय बाबू लाल वर्मा जी, आपको हिदायत देता हूं। एक बार खड़े हो गए और अपनी बात कह दी। इस प्रकार से आप माननीय बाबू लाल जी, सदन की मजाक और हंसी के पात्र बन रहे हैं। आपकी गरिमा को मैं सुरक्षित रखूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

हमारी पहले भी राय थी कि बोनस का सम्बन्ध श्रमिकों की मेहनत पर होना चाहिए। तो हम यह संस्तुति करेंगे कि मजदूरों का बोनस 8.33 प्रतिशत जैसा पहले था, वैसा ही होना चाहिए।

(मेजें थपथपाई गयीं)

तो मैं समझता हूं कि जब हमने इनकी सारी बातें मान ली हैं अब इनके संशोधनों का सवाल ही नहीं उठता है। अब तो केन्द्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में आप हमें पूरा सहयोग देंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि केन्द्र की जो योजनाएं होंगी हम उनको कार्यान्वित करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने संशोधनों को वापस ले लेंगे ?

(मेजें थपथपाई गयीं)

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, मैं एक सवाल करना चाहता हूं।. . . .

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें।

श्री राम प्यारे तिवारी—

आपने जो 7 बीघे लगान माफी की बात मान ली है, अब क्या आप हमारी 6 1/4 एकड़ तक लगान माफी की भी बात मान लेंगे ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन विपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गये थे और उसके बाद विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किए, वे संशोधन इसलिए प्रस्तुत किये गये थे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इन जन-आकांक्षाओं और इच्छाओं का आदर करते हुए जनहित में कुछ घोषणाएं करेंगे । लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि सदन के इस कदर माननीय सदस्यों ने जो अपेक्षा माननीय मुख्य मन्त्री जी से की थी, उस प्रकार की घोषणाएं माननीय मुख्य मन्त्री जी ने नहीं की हैं । लेकिन फिर भी जनहित के लिए, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगता है अनिच्छा से जो कुछ भी घोषणाएं मुख्य मन्त्री जी ने की हैं उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन यह जो कुछ भी माननीय मुख्य मन्त्री जी ने किया है, जनता के दबाव और जनता पार्टी के पक्ष में हाल में लोक सभा के चुनाव में जो कुछ भी निर्णय जनता ने दिया है, विशेष करके जो प्रधान मन्त्री को चुनाव में हराया है इसलिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो कुछ भी घोषणाएं की हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं ।

मैं उम्मीद करता था कि माननीय मुख्य मन्त्री जी कम से कम आज जरूर निश्चित रूप में इस बात की घोषणा करेंगे कि परिवार नियोजन के सम्बन्ध में पुलिस की गोली से जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, साथ-साथ नसबन्दी करने में डाक्टरों ने जो असावधानी बरती और उस सिलसिले में जिन नागरिकों की मृत्यु हुई है या कारागार के अन्दर मृत्यु हुई, जो डी0आई0आर0 और मीसा में बन्दी थे उनकी जो मृत्यु हो गयी है, उनके आश्रितों के भरण-पोषण के लिए और परिवार के भरण-पोषण के लिए कुछ मुआवजा घोषित करेंगे ...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

अवश्य करेंगे और किया भी है । आप नाम दें, अवश्य करेंगे ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

इसी प्रकार से पिछले चुनाव के सम्बन्ध में इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया था कि संजय गांधी जी के चुनाव के सम्बन्ध में और उनको सरकारी हेलीकाप्टर, सरकारी हवाई जहाज और सरकारी भवनों में ठहराने के लिए लाखों रुपयों का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी के मुख्य मन्त्री ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, श्री संजय गांधी के पक्ष के लिए किया । मैं मुख्य मन्त्री जी से आशा करता हूं कि इस सम्बन्ध में अपनी सरकार से इस बात का हिसाब लें कि कितना रुपया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बनता है और मेरा मुख्य मन्त्री जी से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में जितना भी सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है, उसका सारा का सारा बिल जो इन पर किया गया, वह कांग्रेस पार्टी से दिलवाएं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी ने पूरी अदायगी कर दी है । हेलीकाप्टर की, जैसा पहले होता रहा है, हर बिल की अदायगी हो चुकी है और रसीदें यू0पी0 कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मौजूद हैं, आप भी देख सकते हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर ध्यान आकर्षित कर रहा था कि यहीं लखनऊ में ही, संजय गांधी जी के लिए मुख्य मन्त्री जी के आवास में ठहराने की व्यवस्था की जाती रही है । लगभग डेढ़ लाख रुपया का दुरुपयोग केवल मात्र उनकी सुख-सुविधाओं के लिए वहां किया गया । मैंने इस ओर कल भी ध्यान आकर्षित किया था और मैं अपेक्षा करता था कि शायद माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने भाषण में इस ओर कुछ उत्तर देंगे, लेकिन मुझे निराशा हुई ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, माननीय नेता, विरोधी दल अभी अगर मेरे साथ चलें कृपया और देखें कि क्या सुख-सुविधाएं हैं और चीफ मिनिस्टर्स रेजीडेंस में कमरे दुरुस्त करने में पहले भी खर्चा होता रहा है, आखिर कोई भी मुख्य मन्त्री हो उसके कोई ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

इस देश और प्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि संजय गांधी गोली काण्ड के सिलसिले में जो प्रचार करवाया गया, उसके सम्बन्ध में अधिकारियों की क्या रिपोर्ट है ? जहां तक मेरी जानकारी है वह मैं माननीय सदन के समक्ष रखना चाहता हूं और वह यह है कि इस सिलसिले में जो फर्स्ट इंफार्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई गयी वह बिल्कुल फर्जी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

ऐसी कोई सूचना हमें नहीं है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

आज 31 मार्च है । यह गोली काण्ड 13–14 मार्च की बात है । करीब 15–16 दिन आज हो चुके हैं । उत्तर प्रदेश के आई0जी0, ए0आई0जी0 और सी0आई0डी0 के टाप आफिशियल्स सुल्तानपुर गए थे इसकी जांच के लिए । यह किसी भी सरकार के लिए गौरव की बात होनी चाहिए कि 14–15 दिन के अन्दर इतने महत्वपूर्ण विषय पर जो कुछ भी इन अधिकारियों ने जांच की हो उस जांच रिपोर्ट को इस प्रदेश की जनता और इस माननीय सदन के समक्ष रखें ।

आपात्काल के दौरान इस बात का भी नारा दिया गया कि हम कम खर्च करेंगे लेकिन बड़े ही शर्म और क्लेश की बात है कि प्रत्येक मन्त्री के लिए 27–27 हजार रुपए का फर्नीचर खरिदवाया गया । ऐसे प्रदेश में जहां के छात्र स्कूलों में उचित ढंग से शिक्षा प्राप्त न कर सकें, जहां उनके बैठने के लिए टाट और पट्टी की भी व्यवस्था न हो सके, वहां मंत्रियों के लिए 27–27 हजार रुपए का फर्नीचर खरीदा गया । अगर जोड़ा जाय तो इस प्रकार से 15 लाख रुपए का अपव्यय किया गया । तो मितव्ययता के आधार पर आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया । मुझे यह भी जानकारी दी गयी है कि फर्नीचर को सप्लाई करने के लिए मंत्रि परिषद् के कैबिनेट स्तर के एक मन्त्री के एक सगे सम्बन्धी को इसका ठेका दिया और माननीय मुख्य मन्त्री जी अगर चाहेंगे तो मैं उन मन्त्री जी और उनके परिवार रिश्तेदार का नाम भी बता दूंगा । लेकिन मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वह जो भी रिपोर्ट हो, उसे सदन को बताने की कृपा करें । इसी तरह से चुनाव के ठीक पहले सरकारी कर्मचारियों और अध्यापकों को घूस के रूप में मंहगाई भत्ता दिया और अध्यापकों को पेंशन की भी घोषणा की । सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाय और अध्यापकों को पेंशन दी जाय, इससे हम सभी सहमत हैं क्योंकि ये बहुत ही छोटे कर्मचारी हैं, लेकिन ऐसे वे मौके ठीक चुनाव के अवसर पर इस तरह की घूस देना और चुनाव के बाद माननीय मुख्य मन्त्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस की और उसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर इस बात का आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने इलेक्शन में भारी मात्रा में रिगिंग की है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैंने ऐसा नहीं कहा । मैंने कहा कि कुछ शिकायतें आई हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय मुख्य मन्त्री जी आज यहां इस बात का खंडन कर रहे हैं लेकिन यह सही है कि आज तक समाचार-पत्रों में इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी ने कोई भी कन्ट्राडिक्शन नहीं किया । इस प्रकार से सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर लांछन लगाना उचित नहीं था ।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, इसी शहर में बाजार, खाला में हैदरगंज एक मोहल्ला है, वहां लखनऊ की पुलिस ने एक कुंवारी लड़की के अपहरण का प्रयास किया। लड़की के भाई बशीर अहमद ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से शिकायत की कि पुलिस लड़की को भगा ले गयी लेकिन रास्ते में ही जनता ने किसी तरह से उस लड़की को छुड़ा लिया। माननीय मुख्य मन्त्री जी इसकी भी जांच करायें।

दूसरा मामला लखनऊ का शिया सुन्नियों वाला है। यह झगड़ा, कहा यह जाता है, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा को हराने के लिए एक सुनियोजित ढंग से कराया गया है जब कि शिया सुन्नी एक होकर शान्तिपूर्ण रहना पसन्द करते हैं। एक व्यक्ति अब्दुल कयूम है, जिसके पास कर्फ्यू पास भी था, पुलिस वालों ने उसका पास छीन लिया, उसकी घड़ी छीन ली, और उसके ढाई सौ रुपए छीन लिए। इसकी भी जांच कराना चाहिए।

अन्त में निवेदन करूंगा कि श्री संजय गांधी के मामले में भी, जो गोली काण्ड हुआ, उस सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों की रिपोर्ट को जनता के सामने रखा जाय।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी माननीय सदस्य यहां बैठे हैं, वे सभी मेरे संशोधन के पक्ष में अपना मत देने की कृपा करेंगे।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मैं सदन का आभारी हूं। सदन में इधर और उधर बैठने वाले करीब 44 माननीय सदस्यों ने इस अभिभाषण पर चर्चा में भाग लिया। और अपने-अपने विचार प्रकट किए। जब माननीय विरोधी दल के नेता बोल रहे थे तो मैं यह आशा कर रहा था कि वे कुछ इस पर भी चर्चा करेंगे कि सरकार की क्या नीति होनी चाहिए, जो नीति अब तक रही है, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, कहां सुधार की आवश्यकता है, वह बतलाना चाहिए। मगर उस तरह की कोई बात सुनने को नहीं मिली। केवल चुनाव की ही चर्चा होती रही और इस सदन को चुनाव का ही एक अखाड़ा बना लिया गया। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बहुत सी बातों का उत्तर दे दिया है, मुझे कोई विशेष बात विस्तार से इस समय नहीं कहना है। लगान के मामले में, कमान्ड क्षेत्र के बारे में, बोनस के बारे में, चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में जो भी इस सरकार ने निर्णय लिया है, उसके लिए यह सदन माननीय मुख्य मन्त्री जी का आभारी है। माननीय मुख्य मन्त्री जी के कहने के बाद कुछ और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं रह गयी है। मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया। आपसे प्रार्थना है कि मेरे इस धन्यवाद के प्रस्ताव को आप पास करें और आशा है विरोध पक्ष अपने संशोधन को वापस लेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य जो लोक सभा का सदस्य चुन गया हो, यहां बैठ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है, मैं अपने कर्तव्य को जानता हूं। आप कृपया बैठें। जो अजनबी व्यक्ति यहां बैठे हों वे कृपया बाहर चले जायं क्योंकि अब मतदान की प्रक्रिया आरम्भ होने जा रही है। सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर शान्ति पूर्वक बैठने की कृपा करें।

जो सदस्य न हों, और जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी हैं, उनके अतिरिक्त यहां हों, वह सभी इस कक्ष को छोड़ दें। मैं संशोधन को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको कार्यवाहक नेता विरोधी दल ने आपके सम्मुख रखा है।

प्रश्न यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

"किन्तु खेद है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में इस बात की चर्चा नहीं की कि उत्तर प्रदेश की जनता ने हाल ही में हुए लोक सभा के चुनाव में प्रदेश की समस्त सीटों पर कांग्रेसी प्रत्याशियों को हरा कर, जिसमें प्रधान मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश के सभी केन्द्रीय मन्त्री भी सम्मिलित हैं, वर्तमान प्रदेशीय सरकार पर पूर्ण रूप से अविश्वास प्रकट कर दिया है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और लिखित विभाजन की मांग होने पर घंटी बजाई गयी।)

श्री अध्यक्ष—

(लिखित विभाजन के मध्य) श्री विमल प्रसाद तिवारी ने यह लिखा है कि लोकसभा के जो सदस्य हो गये हैं और उन्होंने जो वोट दिये हैं, उनको नहीं स्वीकार करना चाहिये। तो इस संबंध में संविधान में प्राविधान स्पष्ट है और वह यह है कि यदि कोई संसद सदस्य चुन लिया जाय तो वह यहां से त्याग-पत्र दे दे और त्याग-पत्र अगर नहीं दिया है तो उसमें प्राविधान यह है कि उसकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जायगी। तो इसमें जिन्होंने वोट दिया है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी हां, ऐसी हालत में उनकी लोकसभा की सदस्यता अवश्य समाप्त हो जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यहां मैं नेता सदन से सहमत नहीं हूं क्योंकि मैं यह सवाल न्यायालय के ऊपर छोड़ूंगा। अपना कोई निर्णय इस संबंध में नहीं दूंगा। संविधान की जो अपेक्षा है उसके बारे में भाष्य करने का और विवेचना करने का कार्य तो अदालत का है।

एक सदस्य—

किसने शपथ ली है?

श्री अध्यक्ष—

मुझे नहीं मालूम है। कोई माननीय सदस्य यह कहता है कि हम इस सदन के सदस्य हैं तो वह रहेगा सदस्य जब तक कि वह यहां से त्याग-पत्र नहीं देता है और अगर उस अधिकार का वह प्रयोग करना चाहता है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

शपथ ले ली है लोक सभा की तब क्या होगा? वह वोट यहां नहीं दे सकता।

श्री अध्यक्ष—

मैं संविधान पढ़े देता हूं।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी—

लोकसभा के सदस्य ने यहां पर अगर दस्तखत किये हैं तो वह मान्य नहीं हो सकता। वह दोनों सदनों का एक साथ सदस्य नहीं हो सकता।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

एक सदस्य दो स्थानों पर मत नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में उनसे जानकारी की जा सकती है कि वह यहां रहना चाहते हैं या लोक सभा में रहना चाहते हैं?

एक सदस्य—

श्री चन्द्र पाल सिंह ने वोट नहीं दिया है।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में मैं संविधान के अनुच्छेद 101 (1) व 101 (2) को पढ़ देता हूं :

"101—(1) कोई व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों का सदस्य न होगा तथा जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित हुआ है उसके एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिये संसद् विधि द्वारा उपबन्ध बनायेगी।" यह दोनों सदनों के बारे मे है।

101—(2) कोई व्यक्ति संसद् तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य न होगा तथा यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसे किसी राज्य के विधान मंडल के किसी सदन, इन दोनों, का सदस्य चुन लिया जाय तो ऐसी कालावधि की समाप्ति के पश्चात्, जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाये गये नियमों में उल्लिखित हो, संसद् में ऐसे व्यक्ति का स्थान रिक्त हो जायगा यदि उसने राज्य के विधान मंडल के अपने स्थान को पहिले ही त्याग न दिया हो।"

इसको दृष्टि में रखते हुए हमको कोई कार्यवाही नहीं करनी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान लीजिये कोई असेम्बली और लोकसभा दोनों के लिये खड़ा हो और दोनों में चुन लिया जाय उसके लिये यह व्यवस्था है लेकिन अगर कोई एम० एल० ए० या एम० एल० सी० है और वह लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उसमें वह जीत जाता है तो वह किसी हालत में विधान सभा में वोट देने के लिये सक्षम नहीं है।

एक सदस्य—

वोट नहीं दिया है।

श्री नारायण दत तिवारी—

वोट नहीं दिया है तो बड़ा अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

इसलिये मैंने निवेदन किया कि यह मामला न्यायालय अथवा लोक सभा के विचारार्थ छोड़ देना चाहिये और वहां इसकी अभिव्यक्ति विधिवत् हो सकती है। मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है कि शपथ ली जा चुकी है अथवा नहीं ली जा चुकी है और शपथ औपचारिक होती है अथवा कार्यवाही का अंग है।

मैं समझता हूं कि विधान सभा में राज्यपाल का अभिभाषण औपचारिक है। जब राज्यपाल का भाषण स्वीकर पढ़ कर सुनाते हैं तभी वह कार्यवाही का अंग माना जाता है और वह प्रथम बैठक मानी जाती है (व्यवधान) जहां तक इस प्रश्न का सवाल है यह भाषण का प्रश्न है इसलिये मैंने निवेदन किया कि यह मामला या तो लोक सभा तय करे या अदालत तय करे।

श्री राजमंगल पांडेय—

जब वोट ही नहीं किया तो प्रश्न कहां उठता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस मामले को लोक सभा को रिफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अभी मुझे मालूम नहीं है कि वोट दिया या नहीं।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

वोट ही नहीं किया।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—
यहां पर यह बात मौजूद होनी चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल) —
मान्यवर, समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—
जो माननीय सदस्य नहीं जानते हैं उनसे बताना चाहता हूं कि मतदान प्रारम्भ होने पर जितना भी वक्त लगे समय बढ़ा हुआ समझा जाता है। समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती ।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का एक प्रश्न है । 5.20 हो रहा है। समय बढ़ा दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष—
समय नहीं बढ़ाया जाता है। जब विभाजन होता है तो जब तक विभाजन समाप्त नहीं हो जाता है, समय बढ़ा हुआ समझा जाता है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—
इनको नियमों का ज्ञान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—
यह जो अभी शंका व्यक्त की गयी थी, किसी एम0 पी0 ने वोट नहीं किया है।

श्री शकील अहमद (जिला लखनऊ)—
मैं एक जानकारी चाहता हूं कि यदि कोई एम0 पी0 वोट नहीं दे सकता है तो क्या वह इस सदन में बैठ सकता है ?

श्री अध्यक्ष—
वह नहीं, वह नहीं, वह ठीक है जानकारी की बात है ।
अब परिणाम आ गया है ।

संशोधन के पक्ष में—177,
और विपक्ष में—222† मत हैं ।

अतः संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

पक्ष में—177

अंगने लाल, श्री
अठई राम, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम यादव, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
एदल सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री

†सदन में यह संख्या 223 घोषित की गयी थी किन्तु विभाजन में श्री राजेन्द्र सिंह यादव ने अपना मत अभिलिखित किया था। उनको मा0 सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखे थे कि विभाजन में भाग नहीं ले सकेंगे। अतः उनका मत मा0 अध्यक्ष द्वारा बाद में निरस्त किये जाने पर मतों की संख्या 223 से घट कर 222 हो गयी।

ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकेट)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चरन दास सेठ, श्री
छज्जू सिंह, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद बोस, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार श्री
तीरथ राम कोहली, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नारायण पाण्डेय, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नारायण सिंह, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
फरजन्द अली बेग, श्री
बल वीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह यादव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री

मन्ना लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हयात, हाजी
रघुनाथ सिंह, श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
राजबहादुर, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डय, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राधा चरण सिंह, ठाकुर
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
रामनाथ, बाबा
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम रति बिन्दु एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विश्राम, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
बेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री

विपक्ष में--222

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां।
अनवार मोहम्मद, श्री

अनिरुद्ध राय, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आनन्द स्वरूप यादव, श्री (एडवोकेट),
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णबीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
खूब चन्द, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री

बलदेव सिंह आर्य, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भीखा लाल, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम बाबू मिश्र, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
रामहर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी

वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव नाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी शर्मा, श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों का दिनांक 25 मार्च, 1977 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष—

यह प्रदर्शन ठीक नहीं है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 की सूचनाएं अनियमित थीं इसलिये वे अस्वीकृत की गयी हैं।

कतिपय सदस्यों द्वारा दल परिवर्तन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि मैंने कहा था, तीन दिन बाद ही नाम सुनाता हूं। किन्तु माननीय नेता विरोधी दल ने आज ही सुनाने की अपेक्षा की थी तो मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इससे सहमत होंगे क्योंकि यह सदन उठ रहा है तो जिन्होंने दल परिवर्तन किया है, उनके नाम मैं सुना देता हूं।

सदस्य का नाम	जिला	दल जिसे छोड़ा	दल जिसमें सम्मिलित हुये
1	2	3	4
1—श्री मो0 अयूब सिद्दीकी	आगरा	मुस्लिम लीग	लोकतांत्रिक कांग्रेस
2—श्री वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर	बुलन्दशहर	कांग्रेस (शासन)	,,
3—श्री खचेड़ू सिंह मोहरिया	,,	जनता पार्टी	,,
4—श्री धर्मपाल सिंह	फर्रुखाबाद	कांग्रेस (शासन)	जनता पार्टी
5—श्री कैलाश सिंह	बलिया	निर्दलीय	,,
6—श्री केशरी लाल	कानपुर	,,	कांग्रेस (शासन)
7—श्री ओम प्रकाश	मुरादाबाद	कांग्रेस (शासन)	जनता पार्टी
8—श्री मंगरे सिंह	गोण्डा	निर्दलीय	,,
9—श्री विजय पाल सिंह	गोण्डा	,,	,,
10—श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा	बांदा	कांग्रेस (शासन)	लोकतांत्रिक कांग्रेस
11—श्री इन्द्रपाल सिंह	अलीगढ़	निर्दलीय	जनता पार्टी
12—डा0 वीरेन्द्र स्वरूप	मैनपुरी	कांग्रेस (शासन)	,,
13—श्री मलखान सिंह	जालौन	निर्दलीय	,,
14—श्री वीर सिंह सेंगर	जालौन	,,	,,
15—श्री ओम प्रकाश गुप्ता	शाजहांपुर	कांग्रेस (शासन)	,,

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन की सदस्यता से त्याग-पत्र के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय चन्द्र पाल सिंह जी जो लोकसभा में निर्वाचित हुये हैं, उन्होंने यहां से अपना त्याग-पत्र दे दिया है, जिसे मैंने आज की तारीख से स्वीकार कर लिया है।

सदन के अनिश्चित काल के लिये स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय

श्री अध्यक्ष—

अभी आधे घंटे की चर्चा और है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, चूंकि हाउस उठने के मूड में है इसलिये मैं इसको प्रेस नहीं करता हूं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

अब हम अनिश्चित काल तक के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
31 मार्च, 1977

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नस्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 216 पर ।)

कालोनाइजर तथा प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ के बीच एग्रीमेन्ट की शर्तें

(1) प्लाट संख्या 294 को छोड़कर पार्टी नं0 1 (कालोनाइजर) ने वह प्लाट जो नीचे लिखे हैं तथा जिनके सम्बन्ध में कालोनाइजर और भूमि धर के बीच एग्रीमेन्ट हो गया है वह अर्जन से रिलीज की जाती है :—

शेखपुर :— 293, 296, 297, 315, 299, 300, 301, 302, 314, 313, 319, 320, 322, 324, 326, 234, 295, 298, 303, 321, 325 ।

फतेहपुर :—282, 283, 286, 287, 77 ।

(2) यह कि कालोनाइजर, नगरमहापालिका का प्लान जो कि मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक ने बनाया है, मानेगा ।

(3) यह कि कालोनी का विकास कार्य कालोनाइजर के खर्चे से महापालिका द्वारा किया जायेगा तथा विकास कार्य आरम्भ होने से 60 दिन के नोटिस के अन्दर कालोनाइजर विकास व्यय महापालिका कोष में जमा करेगा ।

(4) यह कि कालोनाइजर द्वारा विकास व्यय जमा करने के बाद नगरमहापालिका विकास कार्य आरम्भ कर देगी और यदि महापालिका के पार्ट पर देर होने के कारण यदि सामान की कीमत और मजदूरी बढ़ जाती है तो वह महापालिका को देय होगी ।

(5) यह कि नगरमहापालिका यह ध्यान रखेगी कि विकास कार्य में अधिक देरी न हो जिसके कारण सामान की कीमत व मजदूरी में बढ़ोत्तरी न हो ।

(6) यदि कालोनाइजर, विकास व्यय या अतिरिक्त विकास व्यय या प्रपोशनेट विकास व्यय महापालिक द्वारा मांगने पर नहीं जमा करता है तो ऐसी दशा में महापालिका को अधिकार होगा कि वह विकास व्यय पर 3 प्रतिशत जुरमाने के रूप में कालोनाइजर से वसूल करे ।

(7) यह कि कालोनाइजर पार्क तथा सड़क की भूमि बिना किसी कीमत के महापालिका को दे देगा और यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो महापालिका किसी भी प्रकार पार्क तथा सड़क की भूमि ले लेगी ।

(8) यह कि कालोनाइजर महापालिका को बाहरी विकास व्यय का प्रपोसनेट कास्ट देगा ।

(9) यह कि प्लाट संख्या 294 के सम्बन्ध में कालोनाइजर से मुकदमा चल रहा है तथा कालोनाइजर पहला मुकदमा जीत गया है यदि किसी भी समय कालोनाइजर मुकदमा हारता है या यह प्लाट उसके कब्जे में नहीं रहता है तो नगरमहापालिका उस प्लाट को एक्वायर कर सकती है और ऐसी दशा में यदि कालोनाइजर को कुछ हानि होती है तो कालोनाइजर उसकी कोई मांग नहीं करेगा ।

(10) यह कि एग्रीमेंट की किसी भी कन्डीशन का उल्लंघन होने पर नगर महापालिका अर्थात् प्रथम पार्टी को किसी प्रकार की हानि होती है तो वह कालोनाइजर को देय होगी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 239 पर।)

संलग्नक

महावीर नगर, कमक्षा
बांसफाटक
सारंग तालाब, पाण्डेपुर
साकेतनगर, संकटमोचन
पहड़िया, पाण्डेपुर
विवेकानन्द नगर, लहराबीर
महामनापुरी, कंरोदी
सम्पूर्णानन्द नगर, सिगरा
कस्तूरबा नगर, सिगरा
शिवाजीनगर, महमूरगंज
जवाहरनगर, भेलूपुर
सिन्धुनगर, सिगरा
सावित्रीनगर, सिगरा
जवाहरनगर; इक्टेन्शन
पाण्डेपुर
उपेन्द्र नगर, दुर्गाकुन्ड
शिवपुरवा, सिगरा
कबीरचौरा
सिगरा
भेलूपुर
छित्तूपुर, कैण्ट
असफकनगर; कमक्षा
कमलानगर; शिवपुरवा
भगवानदास नगर खेजवा
दीनदयाल नगर, खोजवा
लाजपतनगर, भलदहिया
सिगरा
महाराणाप्रताप कालोनी, काशी विद्यापीठ
संत रघुवरनगर, शिवपुरवा, सिगरा
जवाहर नगर के पास, दुर्गाकुन्ड
रमाकान्त नगर, पिशाचमोचन
चेतगंज
रघुनाथनगर, महमूरगंज
अहिल्याबाई नगर; लेंका
रघुनाथ नगर; रथयात्रा चौमुहानी
कोल्हुआ; कमक्षा।

विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 242 पर।)

मांगों की सूची

(1) केसा में होने वाले रिक्त स्थानों की पूर्ति बाहरी व्यक्तियों से न कर प्रशासन में कार्य करने वाले कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों से की जाय।

(2) अप्रेन्टिसशिप समाप्त होने पर उन्हें कार्य पर लिया जाय।

(3) केसा श्रमिक बस्ती में सुधार किया जाय।

(4) रविवार को कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियमानुसार छुट्टी दी जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 24 वि0 सभा—(68) 25-4-1977—840।